लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक–10, मंगलवार, 15 नवम्बर, 1966/24 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 10—Tuesday, November 15, 1966/Kartika 24, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
271.	भारत-पाकिस्तान-ब्रिटेन महाद्वीप सम्मेलन द्वारा वस्तु-भाड़ा दरों में वृद्धि / Increase of Freight Rates by Indo-Pak-U. K. Continental Conference	1195—1197
272.	विधि मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग / Use of Hindi in Law Ministry	1197—1200
274.	मुसलमानों में बहु विवाह / Polygamy among Muslims.	1201—1203
275.	चोर बाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान / Drive against Black Marketeers.	1203—1207
276.	खाद्यान्नों के लिये राज सहायता / Subsidy on Foodgrains	1207—1210
277.	कृषि उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन / Incentives for Agricultural Production	1210-1211

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
273.	केरल में चावल का राशन	Rice Ration in Kerala	1211
278.	कृषि उपज मूल्य आयोग	Agricultural Price Commission	1211
279.	चुनाव चिन्ह	Election Symbols	1212
280.	चावल का आयात	Import of Rice	1212
281.	मतदाता सूचियां	Electoral Rolls	1212-1213
282.	स्टेट फार्म	State Farms	1213-1214

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		SUBJECT	पृष्ठ PAGES
283.	नई विमान सेवायें	New Air Services . . .	1214
284.	खाद्य पदार्थों का मानकीकरण	Standardisation of Foodstuffs . .	1214-1215
286.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की समय सारणी	I. A. C. Time Table .	1215
287.	कृषि सम्बन्धी अध्यापन कार्य	Agricultural Teaching .	1215-1216
288.	कृषि के आंकड़े	Agricultural statistics . .	1217
289.	पश्चिम बंगाल में चावल का समाहार	Rice Procurement in West Bengal .	1217
290.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिये द्विवार्षिक चुनाव	Biennial Elections for U. P. Legislative Council	1218
291.	मृय्या खाड़ी	Miryya Bay . .	1218
292.	मध्य प्रदेश में गुलाबी चने की बिक्री	Sale of Gulabi Chana in Madhya Pradesh .	1218-1219
293.	राष्ट्रीय वन नीति	National Forest Policy .	1219
294.	कच्चे पटसन की कीमत	Price of Raw Jute . .	1218-1220
295.	दिल्ली में सूखा बन्दरगाह	Dry Port at Delhi.	1220
296.	डा० धर्म तेजा द्वारा ब्रिटेन में नौवहन कम्पनी की स्थापना	Floating of a Shipping Company in U. K. by Dr. Dharma Teja	1220-1221
297.	भूमि विकास बैंक	Land Development Banks . . .	1221
298.	दिल्ली तथा अन्य स्थानों में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi and other Places	1222
299.	फसलों की प्रति एकड़ उपज	Per acre yield of Crops .	1223
300.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कैरावैल विमान	I. A. C. Caravelles . .	1224
अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
1300.	केरल में मछली का व्यापार	Fish Trade in Kerala	1224-1225

विषय			पृष्ठ
ता० प्र० संख्या .S.Q. Nos.		SUBJECT	PAGES
1301.	केरल में मछुए	Fishermen in Kerala .	1225-1226
1302.	मछली पकड़ने वालों को दी जाने वाली बर्फ का मूल्य	Price of ice supplied to Fishermen .	1226
1303.	केरल में कृषि तथा पशचिकित्सा महाविद्यालय	Agriculture and Veterinary Colleges in Kerala	1226-1227
1304.	कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दे	Contributions to Political Parties by Companies.	1227
1305.	कृषि जन्य पदार्थों के मूल्य	Prices of Agricultural Commodities .	1227-1228
1306.	राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11	National Highway No. 11 in Rajasthan	1228
1307.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	1228
1308.	भारत के खाद्य निगम का मुख्यालय	Headquarters of Food Corporation of India	1228
1309.	एलप्पी जिले (केरल) में भूमि को कृषियोग्य बनाने का काम	Reclamation Work in Alleppey District (Kerala)	1229
1310.	केरल जल परिवहन निगम	Kerala Water Transport Corporation	1229-1230
1311.	मद्रास कन्याकुमारी तटवर्ती सड़क	Madras Kanyakumari Coastal Road	1230
1312.	मैसर्स मैकेंजीज लिमिटेड, बम्बई	M/s. Mackenzies Ltd., Bombay	1230
1313.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर	Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa-Vidyalaya	1231
1314.	उपभोक्ता सहकारी भण्डार	Consumer Cooperative Stores	1231
1315.	मद्रास में पंचायत प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team on Panchayati System in Madras.	1231-1232

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1316.	गेहूं का चोरी छिपे लाना ले जाना	Smuggling of Wheat	1232
1317.	नई दिल्ली का सुपर बाजार	Super Bazar, New Delhi.	1232—1233
1318.	आयात किये गये अनाज की ढुलाई में हानि	Loss on the Transport of Imported Foodgr	1233
1319.	पश्चिम बंगाल में न जोती गई भूमि	Uncultivated land in West Bengal	1233
1320.	केन्द्रीय मत्स्य निगम	Central Fisheries Corporation .	1234
1321.	समवाय सचिव परीक्षा	Company Secretaryship Examination	1234—1235
1323.	आयोजन सम्बन्धी अग्रिम परियोजना	Pilot Project for Planning	1235
1324.	दिल्ली दुग्ध योजना के टोकन	D. M. S. Tokens	1235—1236
1325.	एयर इण्डिया की उड़ानों में मनोरंजन	Entertainment in Air India Flights	1236
1326.	जेतसर में मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म	Mechanised State Farm at Jetsar	1236—1237
1327.	उत्तर भारत में काजू की खेती	Cashew Cultivation in Northern India	1237
1328.	माइलो के भाव	Prices of Milo	1237—1238
1329.	बिहार के केन्द्रीय गोदामों में खाद्यान्नों की बर्बादी	Damage to Foodgrains in Central Godowns in Bihar.	1238
1330.	बिहार को खाद्यान्न का सम्भरण	Supply of Foodgrains to Bihar .	1238—1239
1331.	गंगा नदी पर पुल	Bridges over River Ganga	1239
1332.	नाशक कीटों द्वारा प्रभावित धान	Paddy affected by Pests.	1239
1333.	गैमन (इंडिया) लिमिटेड	Gammon (India) Limited	1240
1334.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिए कैरावेल विमान	Caravelles for I.A.C.	1240—1241

अता० प्र०
संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1335.	इल्यूशिन विमान में तब्दीली	Modification in Ilyushin	1241
1336.	बन्दरगाहों की अनाज उतारने रखने की क्षमता	Capacity of Ports to handle Foodgrains	1241—1242
1337.	राजस्थान में भूमिगत जल	Subterranean Water in Rajasthan	1242
1338.	रूसी बहुप्रयोजनीय विमानों की खरीद	Purchase of Soviet Multipurpose Planes .	1242—1243
1339.	चीनी के मिलों द्वारा गन्ने का देय मूल्य	Sugarcane Price due from Sugar Mills	1243
1340.	भोजन व्यवस्था नियंत्रण आदेश, दिल्ली	Catering Control Order, Delhi. .	1243—1244
1341.	कोचीन शिपबिल्डिंग यार्ड	Cochin Ship building Yard .	1244
1342.	राशन की दुकानों पर देशी गेहूं	Indigenous Wheat at Ration Shops . .	1244—1245
1343.	विधि मन्त्रालय में चौथी श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees in Law Ministry	1245
1344.	हिन्दी पारिभाषिक शब्द संग्रह	Hindi Glossary of Technical Terms . .	1245—1246
1345.	विधि मन्त्रालय में हिन्दी	Hindi in Law Ministry .	1246
1346.	गोमती नदी पर पुल	Bridge on River Gomti .	1247
1347.	चौथी पंचवर्षीय योजना में चीनी के कारखाने	Sugar Factories in Fourth Plan	1247
1348.	वनस्पति के मूल्य	Prices of Vanaspati . .	1247—1248
1349.	केरल में कुमारा कोम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Kumara Kom as Tourist Centre in Kerala	1248
1350.	कोचीन पत्तन	Cochin Port . .	1248—1249
1351.	केरल पशु चिकित्सक विधेयक	Kerala Veterinary Practitioner's Bill .	1249—1250

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1352.	सहकारी ऋण नीति	Cooperative Loan Policy.	1250
1353.	उर्वरकों की चोर-बाजारी	Blackmarketing in Fertilizers	1250
1354.	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की विमान दुर्घटनायें	I. A. C. Air Accidents .	1251
1355.	लगान की समाप्ति	Abolition of Land Revenue . .	1251—1252
1356.	दक्षिण परिवहन क्षेत्र	Southern Transport Zone . .	1252—1253
1357.	पूर्वी क्षेत्र में खाद्य निदेशालय	Food Directorate in Eastern Region .	1253—1254
1358.	मालाबार में कैनोली नहर	Canoly Canal in Malabar	1254
1359.	बनिहाल के निकट हुई इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के फोकर फ्रेंडशिप विमान की दुर्घटना की जांच	Enquiry into Air Crash of I.A.C. Fokker Friendship Aircraft near Banihal . .	1254—1255
1360.	जोधपुर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Jodhpur as Tourist Centre.	1255
1361.	राज्यों के सामुदायिक विकास मन्त्रियों का सम्मेलन	Conference of State Ministers of Community Development	1255
1362.	आंध्र प्रदेश में चावल का मूल्य	Price of Rice in Andhra Pradesh .	1255—1256
1363.	समुद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं	Marine Technological Institutes.	1256
1364.	केरल के वनों का उन्मूलन	Denudation of Kerala Forests. .	1256—1257
1365.	केरल की वन सम्पत्ति	Forest Wealth of Kerala	1257
1366.	क्विलोन के लिये कृषि फार्म	Agricultural Farm for Quilon . .	1257—1258
1367.	भूमि सुधार उपायों का लागू किया जाना	entation of Land Reforms . .	1258—1259
1368.	पूर्वी क्षेत्र के खाद्य निदेशालय में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Food Directorate, Eastern Region	1259—1260

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1369.	चावल की मिलें	Rice Mills	1260
1371.	त्रिपुरा में चीनी का कारखाना	Sugar Mill in Tripura . .	1260
1372.	त्रिपुरा में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Tripura .	1260-1261
1373.	त्रिपुरा में पुल	Bridges in Tripura.	1261
1374.	खाद्य निगम द्वारा राज्यों में खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लिया जाना	Takeover of Foodgrains Trade by Food Corporation in States. . . .	1262
1375.	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के भाड़े में वृद्धि	Increase in I. A.C. Fares . . .	1262
1376.	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की ट्रंक लाइनों के लिए टैलेक्स सम्पर्क व्यवस्था	Telex Connection for I.A.C. Trunk Routes	1262-63
1377.	कुमाऊं के पर्वतीय तथा सीमांत जिलों में मिट्टी का कटाव	Soil Erosion in Hill and Border Districts of Kumaon	1263
1378.	कांडला पत्तन में आयातित गेहूं	Imported wheat at Kandla Port . .	1263-1264
1379.	गंगा पर पुल	Bridge over Ganga . . .	1264
1380.	सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer factory in Cooperative Sector .	1264—1266
1381.	मैसूर में लघु सिंचाई कार्यक्रम	Minor Irrigation Programme in Mysore .	1266-1267
1382.	पर्यटन सम्बन्धी गोलमेज सम्मेलन	Round Table Conference on Tourism. .	1267
1383.	आगरा डिपो में अनाज का रख रखाव	Handling of Foodgrains at Agra Depot .	1267-1268
1384.	फसलों की उपज बढ़ाने का नया तरीका	New Method for Raising Crop Yield .	1268
1385.	टीपू सुल्तान सड़क	Tipu Sultan Road.	1268

2356 (Ai) LS—2.

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGE
1386.	केरल में छोटी और मध्यम दर्जे की बन्दर-गाहें	Minor and medium Ports in Kerala .	1269
1387.	केरल में पालघाट में पैकेज कार्यक्रम	Package Programme in Palghat in Kerala .	1269
1388.	दिल्ली में राशन की एक से अधिक अधिकृत दुकानों से राशन लेने के बारे में शिकायत	Complaint regarding drawal of Ration from more than once A.R.D. in Delhi. . .	1269
1389.	गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना	Cow as a National Animal . . .	1270
1390.	बर्मा से बीज के आलू का आयात	Import of Seed Potatoes from Burma	1270
1391.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन	Earning of Foreign Exchange by I.A.C.	1271
1392.	केरल में थेक्काडी हवाई अड्डा	Thekkady Aerodrome (Kerala)	1271-1272
1393.	कृषि सम्बन्धी प्रचार सामग्री	Publicity material relating to Agriculture .	1272
1394.	उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हिन्दी में प्रकाशन	Publication of Judgement of High courts in Hindi	1272
1395.	इर्विन अस्पताल को दूध की सप्लाई	Milk supply to Irwin Hospital .	1272-1273
1396.	तूतीकोरिन हवाई अड्डा	Tuticorin Airport . . .	1273
1397.	सिलचर जिरिबूम मणि-पुर सड़क	Silchar Jiribum Manipur Road	1273
1398.	शिलांग-जोवाई-बदर-पुर सड़क	Shilong Jowai Badarpur Road . . .	1274
1399.	पत्तन तथा गोदी कर्म-चारियों के लिये भत्ते	Allowances for Port and Dock Workers .	1274-1275
1400.	कलकत्ता बन्दरगाह पर लादे गये आयातित गेहूं की मात्रा में कमी	Shortage in Imported wheat consignments loaded at Calcutta Port. . . .	1275-1276

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGE
1401.	सहकारी क्षेत्र में वनस्पति घी का उत्पादन	Manufacture of Vanaspati in Co-operative Sector.	1276
1402.	पंजाब के गोदामों में गेहूं	Wheat in Punjab Godowns	1276–1277
	ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices	1277
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1277
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	1280
	साठवां प्रतिवेदन	Sixty Report	1280
	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद के बारे में नियम 109 के अन्तर्गत प्रस्ताव	Motion under Rule 109 Re. Debate on Representation of People (Amendment) Bill and Constitution (Twenty-first (Amendment Bill.	1280
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Lamaye	1280
	श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	1281
	श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	1281
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	1281
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1282
	श्री काशीराम	Shri Kashi Ram Gupta	1282
	श्री किशन पटनायक	Shri Kishen Pattnayak	1282
	श्री बागड़ी	Shri Bagri	1282
	श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narayan Sinha	1282
	श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G. S. Pathak	1283
	कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक	Employees State Insurance (Amendment) Bill	1284
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	1284
	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	1284
	डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	1284
	श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	1285
	श्री शाहनवाज़ खां	Shri Shahnawaz Khan	1286
	खंड 2 से 43 तथा 1	Clauses 2 to 43 and 1	1288

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended .	1289
श्री शाहनवाज़ खां .	Shri Shahnawaz Khan	1289
श्री दीनेन भट्टाचार्य .	Shri Dinen Bhattacharya . .	1289
श्री जगजीवन राम .	Shri Jagjivan Ram	1289
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के बारे में प्रस्ताव . .	Motion Re. Banaras Hindu University (Amendment) Bill.	1290
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	Banaras Hindu University (Amendment) Bill.	1290
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha.	1290
श्री सिंहासन सिंह .	Shri Sinhasan Singh . .	1291
श्री रघुनाथ सिंह .	Shri Raghunath Singh	1291
श्री यशपाल सिंह .	Shri Yashpal Singh . . .	1291
श्री बालकृष्ण सिंह .	Shri Balkrishna Singh	1292
श्री सुमत प्रसाद .	Shri Sumat Prasad . .	1292
श्री नि० चं० चटर्जी .	Shri N. C. Chatterjee .	1293
श्री बाकर अली मिर्जा .	Shri Bakar Ali Mirza	1293
श्री मुथिया . .	Shri Muthia	1294
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा .	Shri Narendra Singh Mahida	1294
श्री मु० क० चागला .	Shri M. C. Chagla .	1294
खण्ड 2 से 25 . .	Clauses 2 to 25	1295

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 15 नवम्बर, 1966/24 कार्तिक, 1888 (शक)

Tuesday, November 15, 1966/Kartika 24, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Increase of Freight Rates by Indo-Pak-U.K. Continental Conference

+

*271. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Borooah:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether the Indo-Pak-U.K. Continental Conference have enhanced the rates of freight charges for goods exported from India with effect from September last;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether it has adversely affected our exports?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० म० पुनाचा): (क) जी हां। 15 सितम्बर, 1966 से दर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत बढ़ा दी गई है।

(ख) जहाजों के चालन के मूल्य में सब प्रकार से वृद्धि होना ?

(ग) भाड़ा उन अनेक बातों में से एक है, जिनका देश के निर्यात के प्रयत्नों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए देश के निर्यात पर समुद्री भाड़े की दरों में वृद्धि के प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है।

Shri M. L. Dwivedi: The hon. Member has just now stated that the freight rates have been increased on account of increase in the cost of operation of ships. Has this cost of operation of ships increased only after September because of which the freight rates have been enhanced?

श्री चे० म० पुनाचा : ऐसी व्यवस्था है कि भाड़े की दरें 2 अथवा 3 वर्ष के बाद ही घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं। पहला पुनरीक्षण 1963 में किया गया था। सम्मेलन ने 1965 में भाड़े की दरों का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव रखा था और विचार-विमर्श हुआ था। अन्त में भाड़े की दरों में वृद्धि के प्रत्येक पहलू पर विचार करके प्रस्ताव को मोटे तौर पर मान लिया गया।

Shri M. L. Dwivedi: What has been the impact of increase in freight rates after 15th September on our ships, the foreign ships hired by us for transporting wheat etc. and what has been the increase in the freight which we have to pay to foreign companies on account of devaluation?

Mr. Speaker: How will devaluation come here?

श्री चे० म० पुनाचा : यह भारत-पाकिस्तान ब्रिटेन महाद्वीपीय सम्मेलन था, अर्थात् ब्रिटेन महाद्वीप, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले जहाजों का। इसलिए जहां तक इन देशों से अनाज के आयात का संबंध है, संभवत: कुछ प्रभाव पड़ा हो, लेकिन वह अधिक नहीं है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाली 25 विदेशी जहाजरानी कम्पनी और लगभग 3 भारतीय कम्पनियां तथा 2 पाकिस्तानी कम्पनियां हैं। इस सीमा तक जहाजों के चलाने के खर्च में वृद्धि में भाड़े की वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है। अवमूल्यन का यहां कैसे आ गया ?

श्री प्र० चं० बरुआ : भारतीय माल को पहले ही विश्व में कम मूल्य वाली वस्तुओं के साथ कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। भाड़े में इस वृद्धि से स्थिति और खराब हो जायेगी। क्या सरकार ने इस सम्मेलन से संबंधित अन्य जहाजरानी कम्पनियों का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया है ; यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

श्री चे० म० पुनाचा : यह सम्मेलन इस मार्ग पर भाड़े की निश्चित दरों तथा निश्चित समय सारणी के अनुसार जहाज चलाने वाली कम्पनियों का संगठन है। एक प्रकार से यह व्यापार के लिये उपयोगी बात है क्योंकि कोई भी कम्पनी जब चाहे भाड़े की दर नहीं बढ़ा सकेगी। ऐसी व्यवस्था है कि चाहे छोटी कम्पनी हो अथवा बड़ी भाड़े की एक ही निश्चित दर लेगी। इसलिए यह बहुत लाभपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि सारे विश्व में ही जहाज चलाने का खर्चा बढ़ गया है और यह वृद्धि इसको ध्यान में रखकर ही की गई है।

श्री सं० चं० सामन्त : क्या इस सम्मेलन का अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी सम्मेलन से कोई संबंध है और क्या इन दो संस्थाओं के निर्णय कभी कभी परस्पर विपरीत होते हैं।

श्री चे० म० पुनाचा : जी, नहीं। इस क्षेत्र में चलने वाली सभी कम्पनियां इस सम्मेलन की सदस्य हैं। इस महाद्वीप की, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान, 25 जहाजरानी कम्पनियां हैं और इन मार्गों पर इनके जहाज चलते हैं। यहां पर अन्य जहाजों की नियमित सेवा नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्या इस सुझाव में कोई तथ्य है कि भाड़े की दरों में इस वृद्धि का कोई राजनैतिक उद्देश्य है और वित्तीय कारण नहीं है ?

श्री चे० म० पुनाचा : जी, नहीं; ये तो केवलमात्र लागत खर्च के मूल्यांकन पर आधारित है।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : इस सम्मेलन की सदस्य जहाजरानी कम्पनियां पांच साल में ब्रिटेन और भारत के बीच भाड़े की दरों का पुनरीक्षण करती हैं; यदि हां, तो क्या यह वृद्धि भी इसी प्रकार की है ?

श्री चे० म० पुनाचा : समझौता यह है कि दो वर्ष तक कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए परन्तु तीन अथवा पांच वर्ष तक पुरानी दरें रह सकती हैं।

Use of Hindi in Law Ministry

+

*272. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the steps taken by his Ministry on the suggestions made by the Hindi Advisory Committee under the Ministry of Home Affairs in their last meeting regarding simultaneous use of Hindi in the routine work of his Ministry;

(b) the mode in which the texts of the authenticated version of the Acts published so far by Government or to be published in future are being enforced; and

(c) the action being taken to treat the text of Hindi versions of such Bills as are placed on the Table of both the Houses of Parliament as equally authentic as English version thereof after their enactment?

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) गृह मंत्रालय के अधीन हिन्दी सलाहकार समिति ने 29 और 30 जुलाई, 1966 को हुई अपनी बैठक में, विनिर्दिष्टत: विधि मंत्रालय के नैत्यिक कार्य में हिन्दी के समसामयिक प्रयोग के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया। कदाचित यह निर्देश समिति द्वारा किए गए इस विनिश्चय के प्रति है कि मंत्रालय के ऐसे अनुभागों को हिन्दी में काम करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी जिनमें हिन्दी जानने वाले कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हैं। विधि मंत्रालय में मुख्य कृत्य विधि सम्बन्धी सलाह देना और विधान का प्रारूपण है। विधि सम्बन्धी सलाह प्राय: भारत सरकार के उन सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों की फाइलों पर दी जाती है जो उन्हें इस मंत्रालय को निर्दिष्ट करते हैं, और आफिसरों तक कर्मचारीवृन्द को ऐसे मामलों में हिन्दी में कार्य करने की मुश्किल से ही गुंजाइश होती है। जहां तक कि विधेयकों, अध्यादेशों, आदि के प्रारूपण का सम्बन्ध है, जब तक कि संसद् संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक ऐसा प्रारूपण उस अनुच्छेद के अधीन अंग्रेजी भाषा में ही किया जाना है। जहां तक कि कानूनों, अध्यादेशों, विनियमों, नियमों, आदेशों, आदि के हिन्दी में अनुवाद के काम का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में सभी कार्य (टिप्पणों आदि सहित) हिन्दी में किया जाता है। सभी संकल्प अधिसूचनाएं और प्रशासनिक रिपोर्टें, विधि मंत्रालय द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में साथ साथ निकाली जा रही हैं। हिन्दी भाषी राज्यों या जनता से प्राप्त होने वाले हिन्दी के पत्रों के उत्तर सदा हिन्दी में दिए जाते हैं या उनके हिन्दी अनुवाद साथ में लगा दिए जाते हैं। हिन्दी जानने

वाले कर्मचारियों पर प्रशासन अनुभागों जैसे अनुभागों में, जहां कहीं सम्भव हो, अपना नैत्यिक काम हिन्दी में करने पर, कोई निर्बन्धन भी नहीं है।

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम, आदि का हिन्दी पाठ, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हो जाने के पश्चात्, हिन्दी पाठ स्वत: प्रवर्तन में आ जाता है। प्रवर्तन के लिए किन्हीं अपर अध्युपायों का आश्रय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसद् सदस्यों को प्रदाय किए जा रहे या प्रदाय किए जाने के लिए प्रस्थापित विधेयकों के हिन्दी रूपान्तरों को प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर नहीं माना जा सकता, जब तक कि वे नियम जो राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(2) में परिकल्पित प्रक्रिया अधिकथित करेंगे, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन विरचित नहीं कर दिए जाते। इस प्रकार विरचित किए गए नियम विधेयकों के प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर प्रदाय करने में सरकार को समर्थमात्र बनाएंगे। किन्तु अंग्रेजी रूपान्तरों की ही भांति, अधिप्रमाणिक होने के लिए विधेयकों के हिन्दी में पुर: स्थापित और हिन्दी में पारित किए जा सकने से पूर्व, संसद् को संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अधीन तन्निमित्त एक विधि अधिनियमित करनी होगी।

Shri M. L. Dwivedi: I very well realise the difficulty of Shri C. R. Pattabhi Raman but since the hon. Law Minister, who knows Hindi, is present here and you had directed that questions put in Hindi should be answered in Hindi, why did Shri Pathak not reply this question in Hindi?

Mr. Speaker: I have said earlier also and I repeat it again that though there is arrangement for simultaneous interpretation in the House, the question put in Hindi should be answered in Hindi when there is a Hindi-knowing Minister is there in the Ministry concerned.

Shri M. L. Dwivedi: As far as I recollect it was agreed to by the Law Minister in the Advisory Committee that Hindi version of Bills will also be presented to Parliament in case of Bills in English. But it is not been done at present. How long will it take to make this arrangement.

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): As far as Bills in English are concerned, Hindi translation thereof are so far presented therewith. I have also decided that in future Hindi translation of Amendment Bills in English will also be presented simultaneously as is done in case of Bills.

Shri Priya Gupta: What is Hindi translation of "Amendment Bills".

Shri G. S. Pathak: It is "Sanshodhan Vidheyak".

Shri M. L. Dwivedi: The hon. Deputy Minister stated that before the Bills could be introduced in Hindi and passed in Hindi for being as authenticated as English versions, the Parliament has to enact a law in that behalf under article 348 of the Constitution and frame rules under Official Languages Act. Is this question under consideration of the Ministry; if so, when it is likely to be implemented?

Shri G. S. Pathak: The question is pending consideration. Many difficulties are being experienced. We will have to think over it and I can't say at the moment how much time it will take.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सभी राज्य अधिनियमों और विधियों के अनुवाद का कार्य किसी केन्द्रीय एजेन्सी को सौंपा जायेगा और यह एक "मानक" (स्टैन्डर्ड) कार्य तथा सभी राज्यों में एक समान होगा ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, राजभाषा आयोग जहाँ तक संभव है कुछ शब्दों का सरकारी हिन्दी अनुवाद करने का प्रयत्न कर रहा है। पिछले अवसर पर मैंने बताया था कि इसमें समय लगता है क्योंकि सभी शब्दों के अनुवाद के बारे में सहमति नहीं होती। मैंने ऐसे उदाहरण भी बताये थे। "प्लैंटिफ" और "डीफेंडेंट" का साधारणतया अनुवाद 'वादी' और "प्रतिवादी" किया जाता है लेकिन कुछ स्थानों में "अन्यायवादी" शब्द प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो व्यक्ति न्यायालय में जाता है वह अन्याय को दूर कराने के लिये वहां जाता है। इसलिए, बहुत कठिनाई है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि अंग्रेजी शासन में केन्द्रीय सरकार महत्वपूर्ण अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में भी अनुवाद करती थी ? क्या सरकार इस नीति को अपनायेगी ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस समय आयोग वर्तमान संविधियों, अध्यादेशों आदि का अनुवाद करने में अत्यधिक व्यस्त है और इसमें कुछ वर्ष अवश्य लगेंगे। यह अधिक महत्वपूर्ण कार्य है और इसके बाद ही किसी अन्य कार्य के बारे में विचार किया जा सकता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या श्रम विधियों के अनुवाद को वरीयता दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत समानता है, सरकार साथ इन अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद क्यों नहीं करा लेती जिससे बहुत समय बच सकता है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : प्रामाणिक अनुवाद करने योग्य अधिकारियों की व्यवस्था करने में काफी समय लगता है। सभी भाषाओं में प्रामाणिक अनुवाद करने योग्य विशेषज्ञों की कमी है।

Shri R. S. Pandey: Apart from the Ministry has encouragement been given to use of Hindi in courts also; if so, the nature thereof?

Shri G. S. Pathak: It is not possible to introduce Hindi in the working of Supreme Court and the High Courts and I am of the opinion that the time is not yet ripe for enacting a legislation under Article 348(1) of the Constitution as neither the Judges of Supreme Court nor the judges of High Courts of non-Hindi speaking region are in a position to hear the cases in Hindi and write down their judgments in Hindi. The sale of Hindi version of Acts is quite large and I hope these might be in use in the lower courts. It should actually start from the lower courts.

श्री कपूर सिंह : हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तरों के समान रूप से प्रामाणिक होने की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं, जबकि हमारा न्यायशास्त्र और न्याय प्रणाली पूर्णत: रोमनो-लेटिन है क्या हिन्दी को मांगा जा रहा दर्जा प्रदान करना व्यावहारिक होगा ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जी, हां। मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक होगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा।

Shri Yashpal Singh: Can the hon. Minister kindly state if he had presented a Bill in Hindi in Rajya Sabha or Lok Sabha during his term of office?

Shri G. S. Pathak: No Bill in Hindi can be introduced in Parliament unless an amendment in Article 348 is made that for "English" read "Hindi."

Shri D. N. Tiwary: Is it due to lack of experts knowing technical terms that the translation in Hindi is delayed?

Shri G. S. Pathak: The present number is sufficient for the existing quantum of work. If their number is increased, possibly the output may be more.

श्री कंडप्पन : क्या सभी विभागों में साथ साथ हिन्दी अनुवाद आरम्भ करने से पहले सरकार सभी राज्यों में समान शब्दावली तैयार करेगी ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : यह किया जा रहा है ; आयोग इसपर विचार कर रहा है।

श्री प्रिय गुप्त : विधि मंत्री, श्री पाठक ने अभी कहा कि हिन्दी जानने वाले अधिक अधिकारी देने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्या सरकार हिन्दी में अनुवाद कराने के हेतु वर्तमान कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिये प्रोत्साहन देगी अथवा सभी मंत्रलयों में सभी कर्मचारियों के स्थान पर हिन्दी जानने वाले कर्मचारी रखे जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सामान्य प्रश्न है, यहां हम विधि मंत्रालय की बात कर रहे हैं।

श्री प्रिय गुप्त: मैं विधि मंत्रालय की बात कर रहा हूं। वैसा ही अन्य मंत्रालयों में भी होगा। जब तक शब्दावली न हो, अधिनियमों का अनुवाद करना कैसे संभव होगा ? इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इसमें कई वर्ष लगेंगे, यह अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार का प्रश्न है। पहले उच्चतम न्यायालय में तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में ऐसे न्यायाधीश होने चाहिएं जो हिन्दी में मुकदमों की सुनवाई कर सकें और हिन्दी में अपना निर्णय लिख सकें।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आपने यह निर्णय किया था कि मंत्री महोदय को ठीक ठीक उत्तर देने चाहियें, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जब वह निश्चित संख्या नहीं बता सकते, तो वे इससे अधिक ठीक उत्तर नहीं दे सकते।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Since the hon. Law Minister is well aware that Sanskrit is well followed in Maharashtra, the South and Bengal, will he give directions that the translation should be Sanskritised language?

Shri G. S. Pathak: No, it is not possible.

Shri U. M. Trivedi: As he has said the Commission is doing this work of evolving terms which occur in all the languages. But a great mistake has been made which has not spared even eminent judges. The words 'अभियोग' and 'आरोप' have one and the same meaning. But 'आरोपित' means 'accused' and 'अभियोगी' means 'complainant'. What is the root of these words?

Mr. Speaker: That question has already been asked and replied to.

मुसलमानों में बहु विवाह

+

*274. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुसलमानों में बहु विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव के संबंध में सरकार को विभिन्न राज्यों की सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस प्रस्थापना का समथन करते हैं ; और कौन से राज्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन मुस्लिम देशों से जानकारी एकत्रित की है, जहां बहु विवाह पर रोक लगी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). अब तक आसाम, मैसूर, जम्मू कश्मीर और नागालैण्ड की राज्य सरकारों तथा दादरा और नागर हवेली और गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों ने अपने विचार भेजे हैं। अन्य राज्य सरकारों से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। आसाम और मैसूर की राज्य सरकारें तथा दादरा और नागर हवेली और गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तो इस प्रस्थापना के पक्ष में हैं और नागालैण्ड और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारें इस के विरुद्ध हैं।

(ग) जी, नहीं। किन्तु सरकार विभिन्न मुस्लिम देशों के बारे में आवश्यक जानकारी संग्रहीत करने का प्रयत्न कर रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri M. L. Dwivedi: Government had some time ago enforced a rule that any person having more than one wife will not be taken into Government service or he will be discharged from service if he is already in Government employment. Is that rule being vigorously enforced and if so, to what extent?

अध्यक्ष महोदय : केवल मुसलमानों में ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : वह सब के लिए था।

Shri M. L. Dwivedi : It was applicable to all.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या वह नियम मुसलमानों पर भी लाग है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : हालांकि मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है। बहु विवाह के बारे में ऐसा नियम लागू होता है या नहीं मैं इसकी जांच करूगा।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत है कि यह मुसलमानों से भिन्न जातियों के लोगों पर लागू होता है या मुसलमानों पर भी ।

Shri M. L. Dwivedi: May I know whether Government have consulted or propose to consult Muslim leaders, legislators and social leaders in this matter? If they have been consulted, what are their reactions and if they have not yet been consulted, when are they going to be consulted?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): As I had stated one day in reply to a question here, all the State Governments have been addressed in this connection to elicit their opinions because this matter pertains to List III (Concurrent List) and the States can also enact such a legislation. Similarly letters have been sent to some selected Members of Parliament and leaders. Some 50 or more letters have been sent. We have received some replies and others are awaited. Action will be taken when all the replies have been received.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान कानून के अनुसार, मुसलमानों में बहु विवाह पर रोक नहीं है । यदि ऐसा है, तो सरकार विभिन्न राज्यों की राय क्यों ले रही है ? क्या इसे कानून द्वारा बन्द करने का विचार है ?

Shri G. S. Pathak: States' advice was sought because it has become a convention that in regard to matters included in the Concurrent List, States should be consulted as they are also empowered to make laws on such subjects. Accordingly, all the States have been addressed to. Some have sent in their replies, and replies from the other States are awaited.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : सरकार की राय में राज्यों से उत्तर कब तक प्राप्त हो जायेंगे ? क्या सरकार इस तरह का विधान बहुत ही शीघ्र पेश करेगी ताकि मुस्लिम महिलाएं भी उस विशेषाधिकार का लाभ उठा सकें जिसका हिन्दू महिलाएं फायदा उठा रही हैं ।

Shri G. S. Pathak: I cannot tell just now as to when their replies will be received. Reminders have either been sent or will be sent now so that replies may be expedited. Unless replies are received we cannot proceed further.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या किन्हीं मुस्लिम दलों अथवा धार्मिक या सांस्कृतिक संगठनों ने संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसरण में एक समान व्यवहार संहिता लागू करने के विरुद्ध सरकार से अभ्यावेदन किया है ? यदि हां, तो उन दलों अथवा संगठनों के नाम क्या हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक: मुझे किसी मुस्लिम संगठन से ऐसी कोई सूचा प्राप्त नहीं हुई है परन्तु कुछ वर्ष पहले कुछ सूचनाएं मिलीं थीं और पेशतर इसके कि सरकार उस प्रश्न पर विचार करती, एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया । परन्तु वह समिति नियुक्त नहीं की जा सकी क्योंकि ऐसा किये जाने का विरोध किया गया और उस मामले में आगे कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया ।

श्री हरि विष्णु कामत : उस समय किन-किन राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया था ? उनके नाम बताए जाने चाहिएं ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : कुछ मुख्य मुस्लिम संगठनों ने ऐसी समिति के नियुक्त किये जाने का विरोध किया था और उनके नाम . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : किस उद्देश्य के लिए समिति ?

अध्यक्ष महोदय : उन संगठनों अथवा दलों के नाम बताए जा रहे हैं जो उस समिति के नियुक्त किये जाने के खिलाफ थे तथा समान व्यवहार संहिता के खिलाफ नहीं ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : संसद् में घोषणा किये जाने के पश्चात् मुसलमानों तथा मुस्लिम संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, और उन्होंने वर्तमान मुस्लिम कानून में कोई संशोधन किये जाने का इस कारण विरोध किया है कि इसका मतलब उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना होगा । इस बारे में कुछ विरोधपत्र समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुए थे । उस समिति की नियुक्ति का जमायत-उल-उलेमा, दिल्ली, जमायते-इस्लामिया-ए-हिन्द की मजलिसे-शूरा, दिल्ली तथा दस अन्य संगठनों ने विरोध किया था । यदि माननीय सदस्य उनके नाम जानना चाहते हैं तो मैं वे बता सकता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह जानकारी सभा-पटल पर रख दी जाये । धर्मनिरपेक्ष भारत में उन्हें ठीक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उनके नाम सभा-पटल पर रख दिये जायें । अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। श्री प्र० चं० बरुआ ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं जानना चाहती हूं . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो बहु विवाह के संबंध में चर्चा की मांग कर सकते हैं । परन्तु और प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री त्यागी : यह बहुत ही दिलचस्प विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है । परन्तु मैंने श्री प्र० चं० बरुआ को अगला प्रश्न पूछने के लिए पुकारा है । वे बहु विवाह पर बहस की मांग कर सकते हैं परन्तु मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री हेम बरुआ : ऐसे प्रश्नों के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी अन्य तरीके से इस पर बहस की अनुमति मांग सकते हैं ।

चोर बाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान

\+

*275. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1966 में अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी

तथा चोर बाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के बारे में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों से कोई रिपोर्ट प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में इस वर्ष कितने छिपाये हुए अनाज का पता लगाया गया है ; और

(ग) अनाज की वसूली के काम को तेज करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अनाज के बारे में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में चलाये गये अभियोगों की संख्या तथा दण्ड आदि के बारे में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों से समय-समय पर सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अनाज का समाहार करने के काम को तेज करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में उत्पादकों, मिल वालों तथा व्यापारियों पर अनाज वसूली लागू करने की एक व्यापक समाहार नीति अपनाई जाती है । उत्पादकों से वसूली करने की पद्धति हाल के वर्षों में पहली बार लागू की गई थी । अनेक राज्यों में वसूली संबंधी आदर्शों का पालन न करने वाले लोगों के विरुद्ध अभियोग चलाए गए । अन्य उपायों में, समाहार क्षेत्रों के इर्द-गिर्द घेरा डालने आदि के उपाय शामिल हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : मंत्री महोदय ने 1964 में अत्यावश्यक वस्तु विधेयक पर विचार प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इस बात की ओर निर्देश किया था कि बड़े जमाखोरों, बड़े व्यापारियों तथा बड़े काश्तकारों के बीच एक कड़ी विद्यमान है जिसका पता लगाना बड़ा कठिन है क्योंकि यह सारे देश में फैली हुई है । आज इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है और क्या सरकार इस कड़ी को समाप्त करने में सफल हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि इसे पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है परन्तु विभिन्न उपाय करने से यह काफी कम हो गई है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : 1966 में अनाज समाहार अभियान कहां तक सफल रहा और 1966 के उत्पादन की तुलना में वह कैसा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने ये आंकड़े पहले दिये थे; मेरे पास इस समय सही आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि 1965–66 में कम उत्पादन होने के बावजूद हमने वर्ष 1964-65 की तुलना में अधिक मात्रा में अनाज का समाहार किया ।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन राज्यों में जहां लैवी आदेश लागू हैं फालतू अनाज सरकार ले लेती है और कुछ स्थानों में जमाखोरों आदि के विरुद्ध मुकदमे चलाए गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार जमाखोरी की वास्तविक परिभाषा के अनुसार कार्यवाही कर रही है और क्या यह चीज सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट कर दी गई है ?

श्री गोविन्द मेनन : लैवी आदेश के अनुसार अनाज सरकार को दिये जाने के पश्चात् जो अनाज उनके पास बचता है उसे जमाखोरी नहीं समझा जाता है ।

Shri M. L. Dwivedi: May I know why the steps taken in composite Punjab State, prior to the formation of Punjab and Hariana States, to deal with black-marketeers, hoarders, etc. are not being applied to Delhi and other Centrally administered territories so that such crimes may be stopped and people may get foodgrains etc. on reasonable prices?

श्री गोविन्द मेनन : इस तरह के उपाय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई क्योंकि संघ राज्य-क्षेत्रों में अधिक जमाखोरी किये जाने का शक नहीं किया गया ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that in the beginning of this year the system of compulsory levy was introduced and whether levy was realised from persons in cash in case they were unable to pay it in kind? Do Government propose to make some relaxation in it or to continue it as it is?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसे मामले एक आध ही हो सकते हैं। सामान्यतया लैवी आदेश उन्हीं लोगों को जारी किये जाते हैं जिन के पास अनाज होता है या भूमि पर खेती की हुई होती है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को पता है कि बुरी तरह अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में जमाखोर तथा मुनाफाखोर हजारों मन अनाज जमा करके उसे बहुत ऊंचे दामों पर बेच कर लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं । और यदि इसका उत्तर 'हां' में है तो क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे स्थानों पर जहां पर राज्य सरकारों को जमाखोरी किये जाने का शक हो छापे मारने के लिए उन्हें कोई आदेश जारी कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अकाल की स्थिति में ही नहीं अपितु इससे पहले से ही उपलब्ध अनाज के उचित वितरण के लिए तथा जमाखोरी की अनुमति न देने के लिए ऐसे सुझाव पहले से ही दिये हुए हैं । यदि अकाल की स्थिति में भी व्यापारी जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी करते हैं तो वह और भी अधिक जघन्य सामाजिक अपराध होगा । अवश्य ही राज्य सरकारें ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगी ।

Shri P. L. Barupal: May I know whether disparity in prices is responsible for the evil of black-marketing? For instance, the price of gram in Punjab is Rs. 86 per quintal and in Rajasthan it is Rs. 60 or 62 per quintal.

श्री गोविन्द मेनन : हालांकि यहां पर पूर्ण समाहार नहीं है और खुला बाजार है, फिर भी हमेशा यह देखा गया है कि खुले बाजार में दाम नियंत्रित दामों से थोड़े अधिक अथवा कभी-कभी बहुत अधिक होते हैं । ऐसा हर जगह ही देखा गया है परन्तु वह चोर-बाजारी का कारण नहीं हो सकता । चोर-बाजारी बन्द की जानी चाहिए ।

श्री उ० म० त्रिवेदी : चोर-बाजारी सारे देश में फैली हुई है । क्या उन स्थानों की जांच किये जाने की कोई सभावना है जिनके बारे में कुछ संसद् सदस्यों ने उन्हें लिखा है कि वहां पर अनाज जमा करके रखा गया है ? परन्तु उन सदस्यों के नाम गुप्त ही रखे जाने चाहिएं । क्या ऐसे मामलों में तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ताकि चोर-बाजारी करने वाले तत्काल पकड़े जा सकें । या वह वही

उपाय करेगी जो मध्य प्रदेश सरकार ने किये हैं कि उन सदस्यों के नाम संबंधित पार्टी को बता कर उन के लिए मुसीबत खड़ी की जाये ?

श्री गोविन्द मेनन : सरकार को सदस्यों से इस तरह की जानकारी पा कर प्रसन्नता होगी

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या उनके नाम गुप्त रखे जायेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : . . . . उनके नाम नहीं बताए जायेंगे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जहां तक कमी वाले राज्यों में वसूली करने का संबंध है, क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न राज्य सरकारों का अधिक से अधिक अनाज इकट्ठा करने के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है ताकि वे आधिक्य वाले राज्यों से अनुचित मांग न कर सकें जिससे कृत्रिम अभाव उत्पन्न होगा ?

श्री गोविन्द मेनन : सभी राज्य यह प्रयत्न करते हैं कि सभी फालतू अनाज इकट्ठा कर लिया जाये ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : चोर-बाजारी सरकार तथा जनता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या न गई है । क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने चोर-बाजारी के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन आरम्भ किया हैं ?

श्री गोवन्द मेनन : उन राज्यों में जहां लैवी प्रणाली लागू है चोर-बाजारी की कोई गुंजायश नहीं है यदि उन आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाये । राज्य सरकारें पूरा प्रयत्न कर रही हैं कि इन आदेशों का पूरी तरह पालन हो ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या सरकार ने चोर-बाजारी के विरुद्ध कोई अभियान या आन्दोलन चलाया है ?

श्री कन्डप्पन : क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न राज्य बैंकों तथा अन्य बैंकों ने अनाज व्यापारियों को 80 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिये हैं जिससे जमाखोरी तथा चोर-बाजारी को बढ़ावा मिला है ? यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या वह चाहती है कि ऐसे ऋण न दिये जायें ?

श्री गोविन्द मेनन : जमाखोरी को रोकने के लिये अनाज की बिना पर ऋण दिये जाने पर समय-समय पर प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं ।

श्री कन्डप्पन : क्या यह सच नहीं है कि 80 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ऋण दिया गया है ? क्या सरकार क्रमशः 1960 के तथा वर्तमान आंकड़े बता सकती है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं अभी आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री हेम बरुआ : देश के कुछ भागों में जमाखारों द्वारा अनाज जमा करके रखे जाने के कारण लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और अनाज के गोदामों को लूटा है इस प्रकार एक घटना हाल में गया में हुई है । क्या सरकार देश में इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को रोकने के लिए

क्या कोई कारगर कार्यवाही करने जा रही है ताकि जमाखोरों का पता लगाया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके ?

श्री गोविन्द मेनन : राज्य सरकारें इस प्रकार की दुर्व्यवस्था को रोकने के लिये सभी उपाय कर रही है ?

श्री हरि विष्णु कामत : केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : चूंकि यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, इसलिए राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : दो वर्ष पहले वरिष्ठ मंत्री महोदय ने बताया था कि जमाखोरों और व्यापारियों के कारण भारत में अनाज का अभाव होता है । यदि उनका अब भी यही विचार है, तो उन्हें कार्यवाही करनी चाहिये और राज्य सरकारों को सलाह देनी चाहिये । जब हजारों लोग मर रहे हों, यह मामला कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जा सकता ।

श्री हेम बरुआ : देश में जब इस प्रकार की खतरनाक स्थिति हो, तो क्या हम यह भी जान सकते हैं कि राज्य सरकारें क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है । अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री महोदय से राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे सभी उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती है ।

श्री हरि विष्णु कामत : देश में संकट काल है । मंत्री महोदय जानकारी सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे इसे सभा-पटल पर रखने के लिए कहूंगा ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : चोरबाजारी करने वाले और जमाखोरों की बात छोड़िये, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में राशन की दुकानें लोगों को राशन नहीं दे सकती हैं । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ? सरकार को कम से कम इतना तो करना ही चाहिये था ।

श्री गोविन्द मेनन : जिन क्षेत्रों में कानूनन् राशन व्यवस्था लागू है, वहां राशन की दुकानों से निर्धारित मात्रा के अनुसार राशन मिलता है । जिन क्षेत्रों में अनौपचारिक राशन व्यवस्था है, वहां समय-समय पर राशन की दुकानों को जितना राशन मिलता है वह लोगों को बेचा जाता है । यह ठीक है कि देश में अनाज का अभाव है और इसलिये कुछ क्षेत्रों में अनाज की कमी है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : तो लोग क्या करें ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

खाद्यान्नों के लिये राज सहायता

*276. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वितरित खाद्यान्नों के लिए बताये गये आंकड़ों से वास्तव में बहुत अधिक राज सहायता दी गई है और यदि हां, तो वास्तविक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार का इस प्रकार होने वाले घाटे को पूरा करने के लिये उचित मूल्य की दूकानों पर खाद्यान्न का मूल्य बढ़ाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) यह स्पष्ट है कि ये आंकड़े 23 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3034 के उत्तर से सम्बन्धित है। उसमें दिये गये राज सहायता के आंकड़े केवल अमरीका से आयात किये गये अनाज के सम्बन्ध में थे। 1966-67 में सभी स्रोत से आयात किये गये अनाज के उचित मूल्य, विक्रय मूल्य तथा उस पर दी जाने वाली राज सहायता की अनुमानित दर दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। कोदो (माइलो) के सम्बन्ध में दी गई राज सहायता के आंकड़ों में अन्तर का कारण यह है कि उसके मूल्य तथा/अथवा समुद्री भाड़े में अन्तर है।

(ख) रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप बढ़ाई गई राज सहायता को कम करने तथा सरकार द्वारा विक्रय मूल्य तथा खुले बाज़ार मूल्य के अन्तर को कम करने के लिये 15 नवम्बर, 1966 से आयातित गेहूं तथा कोदों के मूल्य बढ़ाये जा रहे हैं। प्रत्येक राज्य में मोटे चावल के विक्रय मूल्य को एक्स-मिल लागत के स्तर पर लाने के लिये निकट भविष्य में चावल के मूल्यों में भी वृद्धि की जायेगी। अच्छे किस्म का चावल उचित मूल्य पर ही बेचा जाता रहेगा।

विवरण

(प्रति क्विंटल दर)

वस्तु	उचित मूल्य	विक्रय मूल्य	राज सहायता की राशि
गेहुं (सभी स्रोतों से)	रुपये 66.46	रुपये 50.00 (14-11-1966 तक) 55.00 (15-11-1966 से)	रुपये 16.46 (14-11-1966 तक) 11.46 (15-11-1966 से)
चावल (सभी स्रोतों से)	102.50	58.00 से 70.00 तक (मोटे चावल के लिये विभिन्न राज्यों में)	32.50 से 44.50 तक (मोटे चावल के लिये विभिन्न राज्यों में)
मिलो (कोदो) (केवल अमरीका से)	52.10	33.00 (14-11-1966 तक) 40.00 (15-11-1966 से)	19.10 (14-11-1966 तक) 12.10 (15-11-1966 से)

श्री महेश्वर नायक : सरकार द्वारा की जाने वाली राज सहायता एक प्रकार का अप्रत्यक्ष करारोपण है । क्या इस प्रकार की राज सहायता मझौलियों को दी जाती है जिससे न तो उपभोक्ताओं को लाभ होता है और न ही उससे उत्पादकों को ही प्रोत्साहन मिलता है ?

श्री गोविन्द मेनन : राज सहायता का लाभ उपभोक्ता को होता है ।

श्री महेश्वर नायक : जिन उचित मूल्य वाली दुकानों को राज सहायता दी जाती है उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिये । इन दुकानों को, जिन्हें बिना लाभ-हानि के आधार पर कार्य करना चाहिये, राज सहायता का अतिरिक्त लाभ क्यों दिया जाता है ।

श्री गोविन्द मेनन : ये दुकानें बिना लाभ-हानि के आधार पर कार्य करती हैं किन्तु इन्हें राज-सहायता प्राप्त दरों पर अनाज दिया जाता है ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या मंत्री महोदय का विचार देश भर में अभाव की स्थिति का कोई हल निकालने का है और क्या सरकार अनुभव करती है कि देश में जितना अनाज पैदा होता तथा विदेशों से जितना अनाज आयात किया जाता है उसका वितरण जनता में समान आधार पर हो ? क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई कार्यवाही करने का है कि सम्पूर्ण देश में कानूनी राशन व्यवस्था लागू की जाये ताकि सबको बराबर अनाज मिल सके, कम से कम अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से रोके जायें तथा जमाखोरी न होने दी जाये, जैसा कि विदेशों में किया जाता है ?

श्री गोविन्द मेनन : यदि प्रश्न का यह आशय है कि देश भर में सभी लोगों से आवश्यकता से अधिक अनाज लेकर जमा करके उनका वितरण किया जाये, तो अभी ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

श्री प्रिय गुप्त : संविधान के आमुख के अनुसार समूचा भारत एक राष्ट्र है । इसका क्या कारण है कि कुछ लोग भूखे रहें और कुछ लोगों के पास आवश्यकता से अधिक अनाज हो ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में केवल जानकारी मांगी जा सकती है न कि तर्कों में उलझा जा सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर आदि कानूनी राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचे जाने वाले पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित अनाज के विशेष रूप से गेहूं के, जो मूल्य बढ़ाये गये हैं उन्हें उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता है और यदि हां, तो क्या इस बात के लिये कोई कार्यवाही की गई है कि आयातित गेहूं के मूल्य में की जाने वाली वृद्धि उपभोक्ताओं को वहन न करनी पड़े ।

श्री गोविन्द मेनन : गेहूं के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है । धीरे-धीरे राज सहायता कम की जा रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : राज सहायता कम करने से उसका भार उपभोक्ता पर अधिक पड़ेगा ।

श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि राज सहायता का लाभ उपभोक्ता को होता है । क्या सरकार किसानों को मूल्य प्रोत्साहन के रूप में किसानों को भी राज

सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि किसान इस प्रोत्साहन से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक प्रयत्न करे ?

श्री गोविन्द मेनन : कृषि-मूल्य आयोग लागत के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा : मैं आयोग के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । क्या सरकार इस समय किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है अथवा नहीं ?

श्री गोविन्द मेनन : उचित उत्पादन लागत तथा समय समय पर उत्पादकों को दिये जा ने वाले मूल्य के बारे में हम कृषिमूल्य आयोग की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं ।

कृषि उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

\+

*277. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री हु० चं० लिंग रेड्डी :**
श्री बागड़ी : **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को कृषि उपज बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन प्रोत्साहनों में आर्थिक सहायता तथा ऋण भी शामिल किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) से (ग). तेजी से कृषि विकास करने के लिये किसानों को पहले से ही ऋणों और राज सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं । अनाज, गन्ना, रुई और पटसन आदि महत्वपूर्ण कृषि जन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्य समर्थन नीतियों का पालन किया जा रहा है । इस समय चुनी हुई लघु सिंचाई और भूमि रक्षण योजनाओं तथा अच्छे बीजों, कृषि उपकरणों, कीटनाशी दवाइयों, कुछ किस्म के उर्वरकों तथा पौंद रक्षण उपकरणों के लिये राज सहायता दी जा रही है । कृषि विकास के लिये अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं । किसानों को सहायता देने के लिये सहकारी व्यवस्था को समर्थ तथा सबल बनाया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether the increase by 25 per cent in land revenue and irrigation charges in Uttar Pradesh, which will worsen the situation and effects the crop there, have effected by the U.P. Government on the instruction of the Central Government?

श्री शिन्दे : सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । यदि कोई विशेष जानकारी पूछी जाये तो मैं उसे राज्य सरकार से प्राप्त करके दे सकता हूं ।

Shri Yashpal Singh: Is it a fact that the loans to farmer are advanced not according to their needs but according to their capacity to repay and if so, whether Government consider a change in this policy?

श्री शिन्दे : ऋण देने के सम्बन्ध में इस समय जो नीति अपनाई गई है, वह किसानों व्यक्तिगत उत्पादन योजनाओं के अनुसार किसानों की आवश्यकता पर आधारित है। पिछले एक वर्ष में 375 करोड़ रुपये से अधिक राशि के मध्यकालीन तथा मध्यकालीन ऋण तथा लगभग 50 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण दिये गये हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : किसान अपने उत्पादों के लाभप्रद और समेकित मूल्य चाहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में दी जाने वाली राज सहायता प्रशासनिक कार्यों पर व्यय के रूप में वापिस ली जाती है। क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किसानों को अप्रत्यक्ष राज सहायता जिससे उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है, देने के स्थान पर लगान समाप्त किया जाये ताकि किसानों को भूमि पर विनियोजन के लिये पर्याप्त धन मिल सके ?

श्री शिन्दे : मैं यह नहीं मानता हूं कि राज सहायता से किसानों को कोई लाभ नहीं होता है। माननीया सदस्या प्रश्न की सीमा से बाहर प्रश्न पूछ रही हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में चावल का राशन

*273. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में राशन के चावल की मात्रा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में राशन के चावल की मात्रा बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका है।

कृषि-उपज मूल्य आयोग

*278. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-उपज मूल्य आयोग ने सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अपनाई जाने वाली मूल्य नीति के बारे में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) कृषि-मूल्य आयोग प्रत्येक मौसम में विभिन्न फसलों के लिए मूल्य नीति के बारे में सिफारिशें करता है। चौथी योजना अवधि के लिए उसने कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Election Symbols

*279. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether any final decision has been taken in regard to election symbols of political parties and the contesting independent candidates; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): (a) As far as the allotment of election symbols to political parties is concerned, the Election Commission is not aware of any point requiring "final decision".

As regards the allotment of symbols to independent candidates, a proposal that a sitting member should be entitled to the free symbol allotted to him on the previous occasion has been made to the Commission and is being considered by it. The Government is not opposed to the allotment of any "free" symbol to any contesting independent candidate.

(b) Does not arise.

चावल का आयात

*280. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने दक्षिण अमरीकी देशों से चावल प्राप्त करने की व्यवस्था की है;

(ख) बर्मा और थाईलैंड से चावल के सम्भरण की सम्भावनायें क्या हैं; और

(ग) चावल उत्पन्न करने वाले किन अन्य देशों से सरकार ने इस सम्बन्ध में अनुरोध किया है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) चावल की कमी को पूरा करने के लिये कुछ चावल ब्राजील, इक्वेडर और गाइना से खरीदा है ।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा 1967 के दौरान अमरीका, बर्मा, थाईलैंड, कम्बोडिया और संयुक्त अरब गणराज्य से चावल आयात करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है । यह पता लगाया जा रहा है कि इनमें से प्रत्येक देश से कितनी मात्रा में चावल उपलब्ध हो सकेगा ।

निर्वाचक नामावलियां

*281. **श्री ब० कु० दास :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी साधारण निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के नाम, जो आजकल विभिन्न राज्यों में बस्तियों और शिविरों में रह रहे हैं, नियमित रूप से निर्वाचक नामावलियों में शामिल करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) इन लोगों को नागरिकता की अपेक्षाओं और प्रारूपिक शर्तों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं और इसके परिणामस्वरूप उनको क्या अधिकार प्राप्त होंगे ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): (क) आगामी साधारण निर्वाचनों की निर्वाचक नामावलियों को, सभी राज्यों और (अंडमान और निकोबार के सिवाय) संघ राज्य-क्षेत्रों में, 1 दिसम्बर, 1966 तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की आशा है। अंडमान और निकोबार की निर्वाचक नामावली को 15 दिसम्बर, 1966 तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

(ख) और (ग) पात्र विस्थापित व्यक्तियों को नागरिकता प्रमाण-पत्रों के अनुदान के लिए दावों का शीघ्र निपटारा किये जाने के लिए संपृक्त राज्यों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। इन प्रमाण-पत्रों के अनुदत्त कर दिये जाने के पश्चात् निर्वाचन आयोग, सभी पात्र विस्थापित व्यक्तियों को निर्वाचकों के रूप में नामांकित करने के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के अधीन, सम्पृक्त निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण के लिए आदेश देगा।

स्टेट फार्म

282. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेट फार्म, जिनके साथ वर्कशाप भी हों, स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या इन के लिये स्थान चुन लिये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन फार्मों के लिये रूस की सरकार मशीनरी देने को सहमत हो गई है; और

(घ) क्या बड़े पैमाने की इस खेती के साथ-साथ भूमि संरक्षण उपाय भी किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) चौथी योजना के दौरान देश में कई केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इनमें से प्रत्येक फार्म का अपना वर्कशाप होगा। राज्य सरकारों को कहा गया

है कि वे केन्द्र को इन फार्मों के लिए उपयुक्त कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करें। अब तक हीराकुड (उड़ीसा), हिसार (हरयाना) तथा तुंगाबद्र कमान्ड एरिया (मैसूर) के रायचुर में स्थान चुन लिये गये हैं। फार्मों का मुख्य कार्य उन्नत बीजों का उत्पादन करना होगा।

(ग) रूस की सरकार हमें मशीनरी देकर सहायता करना चाहती है। यह मशीनरी कुछ भेंट के रूप में होगी और कुछ मूल्य पर। बातचीत चल रही है।

(घ) इन बड़े पैमाने के फार्मों में सभी आवश्यक भूमि संरक्षण उपाय अपनाये जायेंगे।

नई विमान सेवायें

*283. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने उन स्थानों से तथा उन स्थानों तक विमान सेवाएं जारी करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है, जहां पहले विमान सेवा उपलब्ध थीं; और

(ख) क्या निकट भविष्य में कोई और नई विमान सेवायें भी चालू करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) दिल्ली-चण्डीगढ़ और बम्बई-पूना के बीच विमान सेवाएं क्रमश: पहली अक्तूबर और 20 अक्तूबर, 1966 से पुन: आरम्भ कर दी गयी हैं। कारपोरेशन का निकट भविष्य में निम्न मार्गों पर विमान सेवाएं चलाने का विचार है :—

(1) पटना—मुजफ्फरपुर
(2) त्रिची—कोलम्बो
(3) त्रिवेन्द्रम–कोलम्बो
(4) बम्बई—भुज

खाद्य पदार्थों का मानकीकरण

284. **श्री स० चं० सामत :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों के मानकीकरण के क्षेत्र में अब तक बहुत ही कम प्रगति होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर होने वाले अप-मिश्रण को दृष्टि में रखते हुए विपणन तथा मानकीकरण की योजनाओं को अनिवार्य बनाने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) शुद्ध खाद्य पदार्थों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (घ) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की समय-सारणी

*286. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की समय-सारणी में बार-बार परिवर्तन करते रहने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं में बार-बार होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :(क) मौसम सम्बन्धी परिवर्तनों के अनुरूप अनुसूचियों को सामान्यतः वर्ष में दो बार बदला जाता है। जब कभी विमान-बेड़े की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तभी अनुसूचियों में भी परिवर्तनों की आवश्यकता हुई है।

(ख) आई ए सी की उड़ानों में देरी होने के मुख्य कारणों में से एक कारण यह है कि वायुयान सीमित संख्या में उपलब्ध हैं और आई ए सी को इस सीमित विमान-बेड़े से एक बड़ी संख्या में उड़ानों का परिचालन करना होता है। हाल ही में दो कैरेवल वायुयानों की हानि से स्थिति और अधिक विकट हो गई है ।

कृषि सम्बन्धी अध्यापन कार्य

287. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि सम्बन्धी अध्यापन कार्य के बारे में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई, यद्यपि शिक्षा पर होने वाले व्यय में गत तीन पंचवर्षीय योजना में 400 प्रतिशत वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) कृषि सम्बन्धी उच्च शिक्षा में मुख्यतः यह प्रगति और विकास हुआ है :—

(एक) जहां आवश्यक था, वहां नये कालेज खोले गये हैं और विद्यमान कालेजों में विस्तार किया गया है जिसके फलस्वरूप कृषि कालेजों में 1953 में 1,254 स्थानों से बढ़

कर 1965 में लगभग 10,660 स्थान और पशुचिकित्सा कालेजों में 1953 में 615 से बढ़ कर 1965 में लगभग 1580 स्थान हो गये हैं। इस समय 70 कृषि कालेज और 20 पशुचिकित्सा कालेज हैं और इन से सारे देश की आवश्यकता पूरे हो जाने की सम्भावना है ।

(दो) इस समय 36 कृषि और 12 पशुचिकित्सा संस्थाएं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा दे रही हैं जो हमारे देश की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए काफी रहेंगी।

(तीन) स्नातक पूर्व शिक्षा के वर्तमान स्तर को सुधारने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा निश्चित किये गये न्यूनतम स्तरों का सभी राज्यों तथा सम्बन्धित संस्थाओं में परिचालन किया गया है ।

(चार) कृषि और पशुचिकित्सा के पाठ्यक्रमों के लिए तदर्थ समितियों द्वारा आदर्श पाठ्यचर्यायें तैयार की गईं हैं और सभी सम्बन्धित संस्थाओं में उनका परिचालन किया गया है ।

(पांच) गुणी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष भारी संख्या में स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्तियां दी जा रही हैं ।

(छः) अध्यापकों के लाभ के लिए देश में नवीकर पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं ।

(सात) संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हुए एक समझौते के अन्तर्गत चुनी हुई संस्थाओं में से अध्यापकों को उच्च प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा जा रहा है ।

(आठ) चुने हुए कालेजों की प्रयोगशालाओं के लिये उपकरणों की व्यवस्था करने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ एक सहायतार्थ समझौते के अन्तर्गत उपकरणों का बाहर से आयात किया जा रहा है ।

(नौ) कृषि शिक्षा को एक अच्छे स्तर पर लाने के लिये आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं जिनमें अध्यापन, अनुसन्धान तथा विस्तार कार्य को काफी हद तक एकीकृत कर दिया गया है ।

(दस) कृषि शिक्षा में और सुधार लाने के लिये संस्थाओं को उपयुक्त अनुदान दिये जा रहे हैं ।

Agricultural Statistics

*288. **Shri Mohan Swarup:**
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Alvares:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Hem Barua:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Dr. B. R. Sen, Director General of Food and Agriculture Organization, has pointed out a wide gap between the statistics of agricultural production vis-a-vis actual produce collected by Government;

(b) whether he has also stated that in no country of the world, such a great differences exists and the official method of collecting statistics in India is defective; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) No communication from Dr. B. R. Sen, Director General of Food and Agriculture Organisations has been received in the matter.

(b) and (c). The question does not arise.

पश्चिम बंगाल में चावल का समाहार

289. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में पश्चिम बंगाल सरकार की चावल समाहार नीति के असफल रहने की बात को ध्यान में रखते हुए 1966-67 की फसल में वहां समाहार का कार्य भारतीय खाद्य निगम को सौंपने का विचार किया गया था ;

(ख) क्या राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतिकूल थी; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं। खाद्य निगम वसूल किये गये अनाज को लेने, उसकी कीमत का भुगतान करने, उस अनाज को भंडार में रखने तथा राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार के उस अनाज को लाने-ले जाने के लिये राज्य सरकार के एजेंटों के रूप में कार्य करेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Biennial Election for U.P. Legislative Council

*290. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to the Starred Question No. 182 on the 2nd August, 1966 and state:

(a) whether the reports about the use of Government machinery in connection with biennial elections to the Uttar Pradesh Legislative Council have since been received; and

(b) if so, the brief account thereof?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): (a) and (b). Yes, Sir; reports have been received from the Election Commission except in one case.

A statement containing a brief account in respect the various complaints is laid on the Table of the House. [Placed in Library, *See* No. LT-7318/66] In the case (item II in the Statement) in which the report has not yet been received, the Chief Electoral Officer has asked the District Officer, Bareilly to expedite the matter.

मृग्या खाड़ी

*291. **श्री नाथ पाई :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मृग्या खाड़ी (रत्नगिरि) को प्रत्येक मोसमों में काम में आने वाला एक बड़ा बन्दरगाह बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) नया बन्दरगाह कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में विचार-विमर्श किया गया था ।

(ग) इसके पहले चरण जिसमें (1) 1500 फुट लम्बी समुद्री दिवार का निर्माण, (2) जेटी का निर्माण, (3) 8 एकड़ भूमि को सुधारा जाना और (4) 167 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक सड़क का निर्माण सम्मिलित है, को चौथी योजना के दौरान पूरा किये जाने की सम्भावना है ।

मध्य प्रदेश में गुलाबी चने की बिक्री

*292. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 9 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी को गुलाबी चने की बिक्री से हुए लाभ के बारे में पता लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसमें से वास्तविक कृषकों को कितनी राशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) चूंकि सम्पूर्ण माल अभी तक नहीं बेचा गया है, इसलिये लाभ और हानि का हिसाब अभी तैयार होना शेष है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय वन नीति

293. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से सरकार अपनी वन नीति में परिवर्तन करके एक नई राष्ट्रीय वन नीति बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) सरकार अपनी वन नीति में परिवर्तन करके एक नई राष्ट्रीय वन नीति बनाने पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्चे पटसन की कीमत

294. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ : **श्री नाथ पाई :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उत्पादकों को कच्चे पटसन के लाभप्रद मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है और उड़ीसा में कच्चा पटसन इस समय किस मूल्य पर बिक रहा है ;

(ख) 1965–66 में उड़ीसा में कितना पटसन पैदा करने का लक्ष्य था और वहां वस्तुत: कितना पटसन पैदा हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में वर्षा न होने के कारण वहां के पटसन पैदा करने वाले बहुत बड़े क्षेत्रों में पटसन की खेती नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो उनके लिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : पटसन की खेती की बढ़ती हुई लागत तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कच्चे पटसन के न्यूनतम सहाय्य मूल्य को 80·37 रुपये से 93·77 रुपये प्रति क्विन्टल बढ़ा दिया है । अन्य जिन्सों तथा किस्मों के लिए व्युत्पादित मूल्य तैयार किए जा रहे हैं । अक्तूबर, 1966 के अन्तिम सप्ताह के दौरान उड़ीसा में दनपुर में निम्नतम किस्म के पटसन का बाजार मूल्य 121 रुपये प्रति क्विन्टल था ।

(ख) उत्पादन लक्ष्य 6.61 लाख गांठें ।
वास्तविक उत्पादन 1.88 लाख गांठें ।

(ग) जी हां ।

(घ) उड़ीसा सरकार ने कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं । राज्य में, 60,000 एकड़ पटसन क्षेत्र में सिंचाई करने के वर्तमान लक्ष्य के मुकाबले चौथी योजना के दौरान लगभग 2·98 लाख एकड़ पटसन क्षेत्र में सिंचाई करने का प्रस्ताव है ।

Dry Port at Delhi

*295. **Shri Shinkre:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the United Chamber Association of Delhi has urged upon Government to declare Delhi as a dry port; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) and (b). The Ministry of Transport and Aviation has not received any suggestion from the United Chamber Association of Delhi for the declaration of Delhi as a dry port but a suggestion in this regard made by the Northern India Regional Export Promotion Advisory Committee is under consideration by the Ministry of Commerce.

डा० धर्म तेजा द्वारा ब्रिटेन में नौवहन कम्पनी की स्थापना

*296. **श्री उमानाथ:** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जयन्ती नौवहन कम्पनी के डा० धर्म तेजा द्वारा ब्रिटेन में कोई शिपिंग कम्पनी खोले जाने के किसी प्रस्ताव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कम्पनी के भागीदारों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रस्तावित नई नौवहन कम्पनी के बारे में यह काम तय करते समय उनके पास भारतीय पासपोर्ट था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी):(क) से (घ). सरकार इस प्रस्ताव के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। फिर भी इस सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

भूमि विकास बैंक

*297. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री ह्न० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूमि विकास बैंकों की ऋण नीति में परिवर्तन करने का है जिससे उन्हें कृषि उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ावा देने का प्रभावशाली साधन बनाया जा सके;

(ख) कृषकों को न केवल भूमि के विकास के लिए, बल्कि भूमि की मालकियत के लिए ऋण देने की क्या सम्भावनायें हैं;

(ग) ग्रामीण ऋण को आसानी के साथ सुलभ करने के लिए क्या अग्रेतर उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) कृषि पुनर्वित्त निगम उस प्रयोजन को पूरा करने के लिये जिस उद्देश्य से उसे तीन वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, कहां तक सफल हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). राज्य सरकारों को पहले ही यह सलाह दी जा चुकी है कि भूमि विकास बैंकों की ऋण नीतियां उत्पादन-अभिमुख होनी चाहिएं और अनेक बैंकों ने ऐसा ही किया है तथा उन्होंने उत्पादन से अन्य उद्देश्यों के लिये ऋण देने कम कर दिये हैं। संसाधनों की कमी और उत्पादन-कार्यक्रमों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए भमि की मालकियत के लिये ऋण देने की सम्भावनाएं बहुत ही सीमित हैं।

(ग) भूमि विकास बैंकों की ऋण देने की क्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार उन्हें सहायता दे रही है। सरकार इन बैंकों की प्रबन्ध और परिवेक्षण कर्मचारियों के लिये राज-सहायता देकर उनकी सहायता कर रही है ताकि वे और अधिक शाखायें प्रारम्भिक एकक खोल सकें और किसानों की, आवेदनों की शीघ्रता से जांच करके और ऋण स्वीकार करके, अच्छी सेवा कर सकें।

(घ) यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि कृषि पुनर्वित्त निगम अपने उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है जिस उद्देश्य से वह स्थापित किया गया था। इसने समस्याओं को सुलझाना शुरू कर दिया है। इसका पूर्ण प्रभाव देखने के लिये कुछ और अधिक समय की आवश्यकता है।

Super Bazars in Delhi and other Places

*298. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:
Shri Vasudevan Nair:
Shri Warior:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Onkar Lal Berwa:
Dr. P. Srinivasan:
Shri Maniyangadan:
Shri R. S. Pandey:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the number of Super Bazars or similar Bazars so far open in Delhi and at other places of India with their names;

(b) the total amount spent by the Central Government, State-wise, thereon so far;

(c) the number of Super Bazars proposed to be opened in the country; and

(d) the total amount invested by the Central Government in these Bazars in Delhi and at other places by advancing loans for building and other purposes?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) The number of Department Stores so far opened in Delhi and other places of India and their names are indicated in Annexure I. [*Placed in Library, See* No. LT-7319/66].

(b) The total amount spent by the Central Government, statewise, as assistance to Department Stores is at Annexure II. [*Placed in Library, See* No. LT-7319/66].

(c) It is proposed to set up about 60 Department Stores in the different parts of the country during 1966-67.

(d) No loan has so far been advanced to Department Stores for construction of buildings. Particulars of other investments and loans are as under:—

	Lakhs
1. Contribution to share capital	
(i) Delhi	Rs. 18.00
(ii) Other areas	Rs. 67.00
2. Loan for furniture, fixtures and fittings:	
(i) Delhi	Rs. 8.25
(ii) Other areas	Rs. 27.27

फसलों की प्रति एकड़ उपज

299. श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में देश में विभिन्न फसलों की प्रति एकड़ उपज में कोई उन्नति हुई है;

(ख) प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है; और

(ग) साधारण रूप से अथवा विशेष क्षेत्रों में उपज को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों 1963–64, 1964–65 और 1965–66 में महत्वपूर्ण फसलों की प्रति एकड़ उपज के अखिल भारतीय आंकड़े इस प्रकार हैं :–

(प्रति हेक्टेयर किलोग्राम)

फसल	1963–64	1964–65	1965–66
खाद्यान्न . .	690	757	647
गन्ना (गुड़ के हिसाब से) .	4695	4696	4304
रुई (लिंट) .	121	123	108
पटसन . . .	1283	1292	1079
तिलहन	478	560	416

1965–66 में प्रति हेक्टेयर उपज 1964–65 और 1963–64 में प्रति हेक्टेयर उपज की तुलना में सामान्यतया कम रही। यह मुख्यतया उस वर्ष में देश के बहुत से भागों में सूखा पड़ने के कारण हुआ।

(ख) और (ग). अनाज तथा वाणिज्यक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सामान्यतया श्रमप्रधान खेती सम्बन्धी उपायों द्वारा की जाती है। बल इस बात पर दिया जाता है कि ऐसे चुनीन्दा क्षेत्रों में, जिनमें अधिक उत्पादन किया जा सकता है, सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग तथा पौधा सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किये जाये। ये कार्यक्रम श्रम-प्रधान कृषि ज़िला कार्यक्रम और श्रमप्रधान कृषि क्षेत्र कार्यक्रमों के नाम से विख्यात हैं। विपुल उपज वाली किस्मों का भी कार्यक्रम चालू किया गया है जिसके अन्तर्गत अनाज की प्रति हेक्टेयर उपज में काफी वृद्धि करने का है। वाणिज्यक फसलों के लिये भी ऐसे ही कार्यक्रम चालू किये जा रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में खर्च की आवश्यक व्यवस्था की गई है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कैरावेल विमान

*300. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष के दौरान जो कैरावेल विमान नष्ट हो गये हैं, क्या उनके स्थान पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने नये विमानों की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो ये दो कैरावेल विमान कब से चला दिये जायेंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) 4 सितम्बर, 1966 को नष्ट हुए कैरेवल की स्थान-पूर्ति के लिये अभी किसी विमान के आदेश नहीं दिये गये, क्योंकि वाइकाउंट विमान द्वारा उसकी स्थान-पूर्ति का अभी अध्ययन किया जा रहा है, तथा लगभग एक वर्ष से पहले अभी तत्काल स्थान-पूर्ति की कोई संभावना भी नहीं। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अप्रैल, 1966 में दो कैरेवेल विमानों के लिये आदेश दिये थे—एक 15 फरवरी, 1966 को नष्ट हुए कैरेवेल की स्थाना-पूर्ति के लिये तथा दूसरा एयर इंडिया द्वारा वापिस लिये गये बोइंग चार्टर के स्थान पर।

(ख) जिन दो कैरेवेल विमानों का आदेश दिया गया था उनमें से एक का 29 अक्तूबर, 1966, को वितरण हो गया था, और इस समय उसका उपयोग पुनश्चर्या-प्रशिक्षण तथा अनुसूचित अतिरिक्त उड़ानों के लिये किया जा रहा है। दूसरे विमान का वितरण दिसम्बर, 1966 के शरू में किया जाने वाला है। दोनों विमानों का यथाशीघ्र दिसम्बर, 1966 में नियमित सेवा पर परिचालन प्रारम्भ हो जायगा।

केरल में मछली का व्यापार

1300. **श्री इम्बीचीबाबा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में मछली के व्यापार में बिचौलियों द्वारा लिये जाने वाले लाभ की राशि के बारे में कोई जानकारी है;

(ख) सारडीन, मैकरेल, सीयर फिश (स्कोम—ब्रोमोनस) शार्क तथा रे, और रिबन मछलियां मछुओं से वास्तव में किस औसत मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं तथा केरल के कालीकट, त्रिचूर, एरणाकुलम, कोट्टयम, क्विलोन और त्रिवेन्द्रम जैसे नगरों में उपभोक्ताओं को कितना औसत मूल्य देना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार की मछुओं के लिए अधिकतम मूल्य तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित मल्य सुनिश्चित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) केरल में मछली के व्यापार में बिचौलियों द्वारा लिये जाने वाले लाभ की राशि के बारे में

कोई अध्ययन नहीं किया गया है । परन्तु भारत को पता है कि समद्र तट तथा बाज़ार के भावों में मछली व्यापार में बिचौलियों द्वारा काफी कमाई की जा रही है ।

(ख) तट पर आयल सारडीन मछलियों का प्रति मीटरी टन औसत मूल्य 149.92 रुपये, अन्य सारडीन मछलियों का 281.84 रुपये, मैकरेल का 429.33 रुपये, सीयर मछली का 378.35 रुपये, शार्क तथा रे का 375.90 रुपये तथा रिबन मछली का 302.77 रुपये है । शहरों में उपभोक्ताओं द्वारा अदा किये जाने वाले प्रति मीटरी टन के मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

	कालीकट	त्रिचूर	एरणाकुलम	कोट्टयम	क्विलोन	त्रिवेन्द्रम
आयल सारडीन .	375	425	450	700	400	450
अन्य सारडीन .	425	500	500	750	400	375
मैकरेल . .	570	650	800	1000	700	750
सीयर फिश	1000	1900	1700	2225	1400	1200
शार्क तथा रे	700	800	750	1000	750	700
रिबन फिश .	550	600	600	750	500	475

(ग) और (घ). मछली पकड़ने वालों तथा मछली खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार मछली पालकों की सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दे रही है । जहां तक केरल का सम्बन्ध है, केवल मछली पालकों की प्राथमिक सहकारी समितियों को ही यान्त्रिक नावें दी जा रही हैं और मार्किटिंग फैड्रेशनों के माध्यम से बिक्री करने की योजना को कार्यरूप दिया जा रहा है ।

केरल में मछुए

1301. श्री इम्बीचीबावा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुओं के जीवन तथा सम्पत्ति को समुचित बीमे द्वारा समुद्र के दैवी प्रकोप से होने वाले खतरे तथा विनास से बचाने के लिये केरल सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है ;

(ख) क्या मछुओं को योजनाबद्ध तथा व्यापक ढंग से कम व्यवसाय वाले महीनों में कठिनाइयों का सामना करने में सहायता देने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) साहाय्य तथा किराया-खरीद पद्धति से अन्तर्गत राजकीय मत्स्य विभाग मछुओं को जो यांत्रिक नावें देता है उनका कुल या थोड़ी हानि के लिए बीमा किया जाता है । मछुओं का जीवन बीमा नहीं किया जाता । समुद्र पर कार्य करते हुए मछुओं की जीवन हानि या विकलांगता पर राजकीय मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य सहायता निधि में से 1000 रुपये प्रति परिवार से अधिक आर्थिक सहायता

नहीं दी जाती । राजकीय मत्स्य विभाग साहाय्य मत्स्यों पर उन मछुओं को मछली पकड़ने वाले औजारों की खरीद एवं सप्लाई के लिये आर्थिक सहायता भी देता है जिनके औजार समुद्र पर काम करते हुए खो जाते हैं या जिनके औजार मरम्मत योग्य नहीं रहते । मछली पकड़ने वाले औजारों की कीमत पर 25 प्रतिशत सहायता दी जाती है और प्रत्येक मामले में यह सहायता अधिकतम 500 रुपये होती है ।

(ख) तथा (ग). मछुओं को योजनाबद्ध तथा व्यापक ढंग से कम व्यवसाय वाले महीनों में कठिनाइयों का सामना करने में सहायता देने की कोई योजना नहीं है । किन्तु कम व्यवसाय वाले जून तथा जुलाई के महीनों के दौरान समुद्री क्षेत्रों के गरीब मछुओं की साप्ताहिक राशन मुफ्त देकर और अनुदान देकर सहायता की जाती है ।

मछली पकड़ने वालों को दी जाने वाली बर्फ का मूल्य

1302. **श्री इम्बीचीबावा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मछली पकड़ने वालों को थोक में बर्फ देने के औसत उपभोक्ता मूल्य क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल तट के कई भागों में, विशेषकर उन मौसमों में जब अधिक मछली पकड़ी जा सकती है, मछली पकड़ने वालों की बर्फ की मांग पूरी नहीं होती ; और

(ग) यदि हां, तो मछली पकड़ने वालों को पर्याप्त मात्रा में थोक बर्फ देने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) मछली पकड़ने वालो को 50 रुपए प्रति टन की दर पर बर्फ बेची जाती है ।

(ख) जी हां । अधिक मछली पकड़ने के मौसमों में बर्फ के मौजूदा कारखाने जितनी बर्फ तैयार करते हैं उससे मछली पकड़ने वाले लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाती ।

(ग) आशा है आगामी 10 महीनों में नौ और बर्फ के कारखाने कार्य शुरु कर देंगे । ये कारखाने बन रहे हैं और ये प्रतिदिन 175 टन बर्फ तैयार करेंगे । इसके अतिरिक्त चौथी योजना की अवधि में 250 टन की क्षमता के 5 बर्फ कारखाने लगाने का भी कार्यक्रम है । ये संयन्त्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र में लगने वाले कारखानों की स्थापना से मछली पकड़ने वालों की बर्फ की समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी ।

केरल में कृषि तथा पशु चिकित्सा महाविद्यालय

1303. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य में कृषि तथा पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थान कम करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दे

1304. श्री सेज़ियान : क्या **विधि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1962 से 31 मार्च, 1966 तक की अवधि में कम्पनियों ने विभिन्न राजनैतिक दलों को कितना चन्दा दिया ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 293ए० की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपने लाभ हानि के लेखे में राजनैतिक चन्दों की कुल राशि और दल, व्यक्ति या संस्था का नाम जिसको चन्दा दिया गया और लेखे से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष जिस के दौरान चन्दा दिया गया, का विवरण प्रकट करना होता है । लाभ और हानि का लेखा, सम्बन्ध प्रलेखों सहित, प्रत्येक कम्पनी द्वारा समवाय पंजीयक को, सामान्यतः लेखा तैयार होने की तिथि के दस मास के भीतर, प्रस्तुत करना होता है । इस के अतिरिक्त, सब कम्पनियों के वित्तीय वर्षों में एकरूपता नहीं होती और वे तिथियां जिनको चन्दा दिया गया, का लाभ और हानि के लेखे में लिखा जाना भी अपेक्षित नहीं होता । इसलिए, लेखों के परीक्षण से माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट अवधि के दौरान कम्पनियों द्वारा राजनैतिक चन्दों की कुल राशि बताना संभव नहीं । फिर भी, 1961 के मध्य से कम्पनियों द्वारा दिये गये राजनैतिक चन्दों का विवरण (जो समवाय पंजीयकों को 1–8–1962 से 31–3–1966 तक की अवधि में कम्पनियों के लाभ हानि के खातों से प्रकट होने वाली सूचना के आधार पर तैयार किया गया है) संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—7320/66**]

कृषि जन्य पदार्थों के मूल्य

1305. श्री वै० तेवर : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उपकरणों के मूल्यों पर अवमूल्यन के प्रभाव, भूमि की लागत तथा उत्पादन लागत के आधार पर कृषिजन्य पदार्थों की न्यूनतम तथा अधिकतम कीमतों का पुनर्विलोकन करने की व्यवहारिकता का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति के पश्चात् ही सरकार खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि पण्यों के न्यूनतम सहाय्य मूल्यों को निर्धारित करती है । सहाय्य मूल्यों का निर्धारण करते समय आयोग अन्य बातों के अतिरिक्त बाजार के वर्तमान मूल्यों, अन्तः फसल बराबरी तथा उत्पादन के व्यय (जिसमें विभिन्न आदानों के व्यय, भूमि लगान, कर तथा अन्य खर्च भी शामिल हैं) को ध्यान

में रखता है। सरकार ऐसे पण्यों के मूल्यों का समय समय पर पुनर्विलोकन करती रहती है और ऐसा करते समय उपलब्ध दित्ते तथा अन्य संबंधित जानकारी को दृष्टि में रखा जाता है। यह पुनर्विलोकन प्रतिवर्ष किया जाता है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11

1306. डा० कर्णी सिंहजी: क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11 का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मार्च, 1966 तक कितनी प्रगति हुई है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) दुंगरागढ़ और बिरम्सर के बीच के लगभग 51 मील के टुकड़े को छोड़कर राजपथ का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। इस टुकड़े के निर्माण-कार्य के लिये चौथी योजना में स्वीकृति दी जा रही है और 1968 तक इसको पूरा किये जाने की सम्भावना है।

पारादीप पत्तन

1307. श्री राम हरख यादव: क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पारादीप पत्तन के प्रशासन के बारे में कोई एकीकृत नियम बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) पारादीप पत्तन का प्रशासन उस समय तक परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय के एक विभाग द्वारा किया जा रहा है जब तक कि मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अधीन एक पत्तन न्यास की स्थापना नहीं हो जाती। अतः इसका प्रशासन सामान्य सरकारी नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

Headquarters of Food Corporation of India

1308. Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to shift the headquarters of the Food Corporation of India from Madras to Delhi for better coordination between Government and the Corporation; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) and (b). The Food Corporation of India has sent a proposal for establishing two principle control offices of the Corporation in Madras and Delhi with the suggestion that the top officers of the Corporation should be stationed at Delhi. The proposal is under examination.

एल्प्पी जिले (केरल) में भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम

1309. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री वारियर :**

क्या **कृषि, खाद्य, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के एलप्पी जिले के कयामकुलम कयाल में भूमि को कृषियोग्य बनाने का काम पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अभी नहीं । कार्य में निम्न अनेक बातें शामिल हैं :—

(1) सर्वेक्षण आदि प्रारंभिक कार्य

(2) रेटिंग उद्योग का पुनःस्थापन

(3) बाहरी बान्धों का निर्माण तथा कोलोनाइज़ेशन ब्लाकों व रक्षा सम्बन्धी कार्य ।

(4) एक सिचाई सल्यूस तथा 3 जलनिकास नालियों का निर्माण

(5) क्रास बान्धों का निर्माण

(6) ड्यूनापैडी नहर का विस्तार तथा एक "लाक" का निर्माण

(7) 50 अश्वशक्ति के पम्प सैटों की स्थापना करना

(क) बिजली लाईनों का विस्तार

(ख) पम्प हाऊसों का निर्माण ।

योजना पर कार्य 1958 के अन्त में शुरू किया गया था और अभी चालू है । उपरोक्त मद संख्या (3) का कार्य पूर्ण हो चुका है । केरल सरकार मद संख्या (2) के अनुमानों पर विचार कर रही है । अभी तक केरल सरकार ने अन्य मदों के बारे में विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किये हैं ।

* (ख) सूचित किया गया है कि समस्त मदों की स्वीकृति के समय से 2 वर्ष की अवधि में कार्य पूरा हो जाएगा ।

केरल जल परिवहन निगम

1310. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री वारियर :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जल परिवहन निगम संबंधी परिसमापन कार्यवाही पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो परिसमापन कार्यवाही कब तक पूरी हो जाने की आशा है ;

(ग) इस निगम के कितने कर्मचारी इस समय राज्य अन्तर्देशीय जल सेवा में काम कर रहे हैं ; और

(घ) इस निगम के कर्मचारियों के कितने अनिर्णीत दावे अभी निपटाये जाने बाकी हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस कार्यवाही को पूरा करने में एक वर्ष का समय लगेगा ।

(ग) 746 कर्मचारी ।

(घ) परिसमापन अधिकारी ने यह बताया है कि कर्मचारियों के बोनस, उपदान, वेतन-बकाया महंगाई भत्ते और कुछ अन्य राशियों के वापिस किये जाने सम्बन्धी दावे अभी विचाराधीन हैं ।

मद्रास-कन्याकुमारी तटवर्ती सड़क

1311. श्री वैं० तेवर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और कन्याकुमारी के बीच की पूर्वी तटवर्ती सड़क का कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): मद्रास और कन्याकुमारी को मिलाने वाली प्रस्तावित सड़क एक राज्यीय सड़क है । अतः मद्रास सरकार ही इस सड़क से मुख्य रूप से संबंधित है । हालांकि इस सड़क के विकासहेतु सहायता प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रही है । कुछ समय पहले राज्य सरकार ने इस कार्य के लिये 14 करोड़ रुपये का एक प्राक्कलन भेजा था । राज्य सरकार को इस परियोजना के संबंध में विस्तृत लागत–लाभ अध्ययन करने को कहा गया है ताकि केन्द्रीय सरकार इस मामले पर विचार कर सके । उस अध्ययन के निष्कर्षों के प्राप्त हो जाने पर इस प्रस्ताव पर और आगे विचार किया जायेगा । निष्कर्षों की प्रतिक्षा की जा रही है ।

Messrs Mckenzies Limited, Bombay

1312. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Messrs. Mckenzies Ltd., Bombay took a loan of about Rs. 33 lakhs for their business from the Bank of India on the basis of nearly Rs. 22 lakhs of paid-up capital and other assets in September, 1966;

(b) if so, whether it was in accordance with the relevant provisions of the Companies Act; and

(c) if not, the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhiraman): (a) Yes, Sir. It is a fact that Messrs. Makenzies Limited took a loan of nearly Rs. 33 lakhs for their business from the Bank of India Limited.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर

1313. **श्री उमानाथ : श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने अमरीका में प्रचलित "लैंड ग्रांट कालेज" प्रणाली लागू कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अनेक छेत्रों ने इस प्रणाली के विरोध में हड़ताल की थी; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) यह कहना ठीक नहीं है कि जवारलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने अमरीकी लैंड ग्रांट कालेज प्रणाली को अपनाया है। विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई प्रणाली में अमरीकी लैंड ग्रांट कालेजों की कुछ बातें शामिल है परन्तु उन्हें अपनाते समय उनमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर लिये गये हैं।

(ग) जी हां ।

(घ) कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करना मुख्यत: राज्य सरकारों का कार्य है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबन्ध मण्डल ने हाल ही में छात्रों की हड़ताल से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर विचार करके निर्णय किया है कि शिक्षा तथा परीक्षा पद्धति पूर्ववत रहनी चाहिये परन्तु विश्वविद्यालय इस पद्धति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिये कदम उठा सकता है। अत: विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति की है जो तीन मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

Consumer Cooperative Stores

1314. **Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the number of Consumer Cooperative Stores to which essential commodities have been supplied by Government;

(b) the value of such goods supplied; and

(c) the names of the branch Cooperative Stores to which these goods have been supplied?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) Government are not undertaking the supplies of essential commodities to the consumer cooperative stores directly. At the instance of the Government the manufacturers of essential commodities agreed to meet the requirements of consumer cooperatives on a priority basis and at prices which are charged by them at the first point of distribution. These arrangements have been communicated to all the consumer cooperatives who are to get into contact with the manufacturers and obtain their supplies directly from them.

(b) and (c). Since Government have not made direct supplies of any goods to consumer cooperatives, these questions do not arise.

मद्रास में पंचायत प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन दल

1315. **श्री सेझियान :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायती राज के कार्य-संचालन तथा कृषि उत्पादन को

बढ़ाने में उसके योगदान के संबंधों में अध्ययन करने के लिये उनके मंत्रालय के अधिकारियों का जो दल मद्रास गया था, उसने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) (ख) और (ग) इस मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल पंचायती राज संस्थाओं का, मुख्यतः कृषि उत्पादन बढ़ाने में उनके योगदान का अध्ययन करने के लिये मद्रास गया था। उस दल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है : कृषि विकास के लिये ऐसी योजनाओं को बनाना जो इन संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर ही क्रियान्वित की जा सकें और जिनके लिये ये संस्थाएं घन आसानी से जुटा सके पंचायत और पंचायत संघ स्तर पर एक संविधिक स्थायी समिति का गठन करना, इन संस्थाओं को अनुमोदित कृषि विकास की योजनाओं पर उपलब्ध संसाधनों को खर्च करने की और अधिक स्वतन्त्रता देना और उनकी सलाह के अनुसार बीज उर्वरक आदि का वितरण करना। अध्ययन दल के निष्कर्षों को राज्य सरकारों को अवश्यक कार्य हेतु भेज दिया गया है।

गेहूं का चोरी छिपे लाना-ले-जाना

1316. श्री दाजी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1966 के दौरान दिल्ली में तथा यहां से बाहर गेहूं अथवा चावल लाने ले जाने के लिये कितने लोग गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) उनमें से कितने दोषी सिद्ध हुए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 31 व्यक्ति।

(ख) 26 व्यक्ति।

नई दिल्ली का सुपर बाजार

1317. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या खा , कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली का सुपर बाजार दिल्ली अथवा इसके निकटवर्ती क्षेत्र में सब्जी की खेती करवायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हौज़ खास के निकट खाली पड़ी 137 एकड़ भूमि सब्जी की खेती करने के लिये सुपर बाज़ार को दी है। पट्टा तैयार किया जा रहा है और

शीघ्र ही इसे अन्तिम रुप दे दिया जायेगा। सुपर बाजार स्वयं ही उस फार्म पर खेती करेगा और इस के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

Loss on the Transport of Imported Foodgrains

1318. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:
Shri Daljit Singh:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred on the quantity and transport, etc. of the foodgrains imported this year upto the end of September 1966;

(b) the total quantity of imported foodgrains and other foodstuffs which were destroyed either due to sinking of ships, rot or other reasons; and

(c) the total amount of loss suffered?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) The c & f value of foodgrains imported during this calendar year, up to the end of September, 1966, is approximately Rs. 363.4 crores.

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पश्चिम बंगाल में न जोती गई भूमि

1319. **श्री सुबोध हंसदा।**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० बेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा की कमी के कारण वर्तमान खरीफ फसल के मौसम में पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी भूमि में खेती नहीं की गई ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगा लिया गया है ;

(ग) क्या इस में सिंचाई की जाने वाली भूमि भी शामिल है, और

(घ) इसके कारण फसल की उपज में कितनी हानि हुई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ख) पूछी गई जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय मत्स्य निगम

1320. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मत्स्य निगम समिति द्वारा गत तीन महीनों में कलकत्ता मंडी में प्रति मास कितनी मछली भेजी गई ;

(ख) गत तीन महीनों में कलकत्ता मछली का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, और

(ग) यह निगम पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य किन स्थानों से मछली मंगवाकर कलकत्ता मंड़ी में भेजता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पिछले 3 मास में संभरण की गई मछली की मात्रा निम्न प्रकार है :–

अगस्त, 1966	77,445 किलोग्राम
सितम्बर, 1966	65,169 किलोग्राम
अक्तूबर, 1966	40,572 किलोग्राम
कुल	183,186 किलोग्राम

(ख) इस अवधि में निगम द्वारा संभारण की गई मछली का औसत फुटकर विक्रय मूल्य इस प्रकार है : भेतकी —5·20 रुपये प्रति किलोग्राम, बड़ी कार्प मछली—4.30 रुपये प्रति किलो ग्राम तथा विविध किस्मों की मछली—2 रुपये प्रति किलोग्राम ।

(ग) स्रोत मद्रास, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र तथा दामोदर घाटी निगम ।

समवाय सचिव परीक्षा

1321. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल और अक्टूबर, 1965 तथा अप्रैल, 1966 में हुई समवाय सचिव परीक्षाओं का परिणाम बहुत खराब रहने के क्या कारण हैं;

(ख) परीक्षा लेने वाले और पाठ्यक्रम तैयार करने वाले प्राधिकारियों के नाम क्या हैं, और

(ग) परीक्षा परिणामों में सुधार लाने के लिये यदि सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो क्या ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) अभ्यार्थियों में प्रयोजन के प्रति सद्भावना तथा इस दिशा में परिश्रम की कमी और पर्याप्त शिक्षण सुविधाओं की अनुपस्थिति परिणामों के खराब होने के कारण हो सकते हैं।

(ख) इन परीक्षाओं को समवा। विधि बोर्ड असांविधिक आधार पर बनाए गये एक सलाहकार बोर्ड की सहायता से संचालित करता है। यह सलाहकार बोर्ड, अन्य बातों के साथ साथ, सरकार को इन परीक्षाओं के लिये योजना बनाने और पाठ्यक्रम निर्धारित करने के बारे में सलाह देता है।

(ग) समवाय अधिनियम क धारा 25 के अधीन कंपनी के रूप में एक संस्थान स्थापित करने का विचार किया गया है, जो इन परीक्षाओं से संबंधित सारे कार्य तथा प्रत्याशित अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के प्रबंध को अपने हाथ में लेगा।

आयोजन सम्बन्धी अग्रिम परियोजना

1323. **श्री बागड़ी :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री आयोजन सम्बन्धी अग्रिम परियोजना के बारे में 3 मई 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इससे क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य के 28 ज़िलों में से इस उद्देश्य के लिये चुने गये 13 जिलों में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और शेष जिलों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। एक ऐसी संस्था जो उपलब्ध आंकड़ों का पुनर्विलोकन करती तथा यह निश्चय करती कि सर्वेक्षण के द्वारा किस प्रकार की अतिरिक्त जानकारी एवत्र की जाय की स्थापना में देर होने के कारण ही इस वसर्वेक्षण करने में भी अधिक समय लगा। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर राज्यीय चौथी योजना की रूपरेखा के अन्तर्गत ही जिला योजनाएं वनायी जायेंगी, जिन्हें अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना के टोंकन

1324. **श्री बागड़ी :** **श्री रामसेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना कार्डों के स्थान पर धातु के बने टोकन दे रही है ;

(ख) कार्ड वाले सभी लोगों को धातु के टोकन देने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक 507 दुग्ध केन्द्रों पर कार्ड-होल्डरों को पीतल के 94,068 टोकन दिये जा चुके हैं ।

(ग) बाकी 300 केन्द्रों पर वर्तमान कार्डों के स्थान पर पीतल के टोकन जारी करने के विषय में कार्यवाही की जा रही है । आशा है दिसम्बर 1966 के अन्त तक अधिकांश कार्डों के स्थान पर पीतल के टोकन दे दिये जायेंगे ।

एयर इंडिया की उड़ानों में मनोरंजन

1325. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया ने अपनी कुछ विमान सेवाओं में मनोरंजन की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां तो इस नवप्रवर्तन पर कितना धन व्यय होता है ; और

(ग) इस नये कार्यक्रम के फलस्वरूप एयर इण्डिया को कितना अतिरिक्त कार्य मिला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :(क) से (ग) एयर इंडिया के वायुयानों में से एक वायुयान पर प्रयोगात्मक आधार पर तीन महीने की अवधि के लिए उड़ानों के दौरान मनोरंजन की व्यवस्था के लिए उपस्कर लगाने का प्रस्ताव किया गया था । बम्बई में की गई प्रदर्शन उड़ान से यह पता चला कि उपस्कर में कुछेक परिवर्तन आवश्यक हैं । वे परिवर्तन किये जा रहे हैं और उपस्कर लगाने का कार्य पूरा हो जाने पर एयर इंडिया का अपने वायुयानों में से एक वायुयान पर परीक्षण के तौर पर उड़ान के दौरान चलचित्र दिखाने तथा श्रव्य मनोरंजन की व्यवस्था करने का विचार है । उनके सभी वायुयानों पर लम्बी अवधि के लिए ऐसे मनोरंजन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर उक्त प्रयोग के परिणामों को दृष्टि में रख कर ही विचार किया जायेगा । परीक्षण के तौर पर लगाया गया उपस्कर निःशुल्क होगा ।

जेतसर में मैकेनाइज्ड स्टेट फार्म

1326. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेतसर के यंत्रीकृत राजकीय फार्म में वाणिज्यिक स्तर पर फसलों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) क्या विभिन्न फसलों की प्रति एकड़ उपज देश के अन्य भागों के औसत उत्पादन से अधिक है ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में और अधिक यंत्रीकृत फार्म स्थापित करने के लिये कृषि मशीनें मंगाने के बारे में विदेशों के साथ कोई पक्के करार किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) फार्म का मुख्य उद्देश्य बीज की उन्नत किस्म का उत्पादन करना है ।

(ख) वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादित फसलों और बीज की उन्नत किस्मों को उत्पादित करने वाली फसलों की तुलना नहीं की जा सकती ।

(ग) रूस की सरकार के साथ अभी तक इस मामले पर बातचीत चल रही है ।

उत्तर भारत में काजू की खेती

1327. श्री ब० कु० दास : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्तर के राज्यों में काजू की खेती का विकास करने का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कौन कौन से ज़िले चुने गये हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में काजू की खेती करने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के झब्बुआ ज़िले गुजरात के बुलसर ज़िले पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, वीरभूंम, बांकुरा, पुरलिया तथा वर्दवान ज़िलों, आसाम में गोलपाड़ा, दारंग, नोगान्गृ, कच्छार, लखीमपुर, सिवसागर, खासी तथा जेन्तिया की पहाड़ियों, मिकिर की पहाड़ियों तथा कामरूप में तथा त्रिपुरा के संघ क्षेत्र में शुरू किया गया था ।

(ग) 1963-64 से 1965-66 के पिछले 3 वर्षों में निम्न अतिरिक्त क्षेत्र को बुवाई के अन्तर्गत लाया गया है :—

मध्य प्रदेश	171 एकड़
गुजरात	600 एकड़
पश्चिम बंगाल	1030 एकड़
त्रिपुरा	1019 एकड़

माइलो के भाव

1328. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग एक वर्ष के अन्दर सरकार ने अमरीकी माइलो के भाव अनुमानत: बीस बार निर्धारित किये हैं ;

(ख) भारत में आयातित अमरीकी माइलो का भाव क्या है तथा यह किस भाव पर बेचा जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत में अमरीकी माइलो का आयात वर्ष 1965 में अकालग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के चारे के रूप में देने के लिये किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत में आयात किये गये कोदों (माइलो) का आर्थिक मूल्य 52.89 रुपये प्रति क्विन्टल है तथा फिलहाल केन्द्रीय सुरक्षित भंडारों से इसकी सप्लाई 33 रुपये प्रति क्विन्टल के

निकासी मूल्य पर की जा रही है। परन्तु 15 नवम्बर, 1966 से यह मूल्य बढ़ा कर 40 रुपये किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं। फिर भी कोदों (माइलो) के भंडार में से कुछ पशुओं के चारे के लिये दिया गया था।

बिहार के केन्द्रीय गोदामों में खाद्यान्नों की बर्बादी

1329. **श्री श्रीनारायण दास : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदामों में माल भरने की व्यवस्था खराब होने और पर्याप्त सावधानी न बरती जाने के कारण इस वर्ष बिहार के विभिन्न केन्द्रीय गोदामों में 2 करोड़ रुपये के मूल्य का 16,000 टन अनाज खराब हो गया है ;

(ख) यदि हां तो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है ; और

(ग) क्या इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार को खाद्यान्न का सम्भरण

1330. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य को अगस्त से नवम्बर, 1966 तक कितना खाद्यान्न भेजा गया ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा की गई मांग कितनी पूरी की गई है ; और

(ग) वहां के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) खाद्यान्नों की राज्यों को की जाने वाली सप्लाई इस बात पर निर्भर करती है कि केन्द्र के पास कितना अनाज उपलब्ध है तथा विभिन्न राज्यों की सापेक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं। अगस्त से नवम्बर 1966 तक बिहार राज्य को जितनी मात्रा में आयातित खाद्यान्न गेहूं, कोदों और मक्का सप्लाई किया गया है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(हजार टन में)

अगस्त, 1966	80
सितम्बर, 1966	65
अक्टूबर, 1966	81
नवम्बर, 1966	24 (5 तक)

यह आशा की जाती है कि नवम्बर, 1966 के दौरान बिहार को एक लाख टन से ऊपर आयातित खाद्यान्न सप्लाई किया जायेगा ।

(ग) 1 नवम्बर को राज्य सरकार के पास 66 हजार टन से कुछ अधिक खाद्यान्न का भंडार था ।

गंगा नदी पर पुल

1331. श्री श्रीनारायण दास : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने गंगा नदी पर पुलों के निर्माण के लिये कुल कितनी राशि नियत की है ;

(ख) ये पुल किन-किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ; और

(ग) क्या पुल बनाने के लिये स्थानों का चयन कर लिया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा पर कुछ चुने हुए पुलों के निर्माण पर आने वाली लागत का कुछ भाग पूरा करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में केन्द्रीय क्षेत्र के लिये 9 करोड़ रुपये की राशि नियत करने का प्रस्ताव किया गया है । इस सहायता के लिये ठीक कितनी राशि दी जायेगी, यह तो योजना के अन्तिम आवंटनों पर निर्भर होगा । जहां पुल बनाये जायेंगे, उन स्थानों का चयन लागत-लाभ अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर किया जायेगा । ये अध्ययन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे हैं ।

नाशक कीटों द्वारा प्रभावित धान

1332. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक अधिक उपजने वाले धान की फसल के कुल कितने क्षेत्र को नाशक कीटों ने नुक्सान पहुंचाया, और

(ख) उससे उत्पादन को कुल कितनी हानि पहुंची है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में गत खरीफ की फसल के दौरान अधिक उपज देने वाली 'तेचुंग नेटिव---1' नामक धान की किस्म कीट-आक्रमण (फुलगोरिड और जैसिड) से नष्ट हुई है । इन राज्यों में कुल 5·85 लाख एकड़ में धान की यह किस्म बोई गई थी जिसमें से लगभग 20,000 एकड़ की फसल नष्ट होने का अनुमान लगाया गया है । फिर भी राज्य सरकारों ने केन्द्र की सहायता से जो सामयिक और प्रभावपूर्ण कदम उठाये, उनसे फसल में तेजी से सुधार हुआ ।

गैमन (इंडिया) लिमिटेड

1333. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **विधि** मंत्री 26 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैमन (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किये गये विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघनों अथवा अन्य उल्लंघनों के बारे में हो रही जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या कोई कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) से (ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अब सूचित किया है कि अप्रैल, 1962 में कम्पनी के बैंकरस ने, कम्पनी द्वारा बैंकरस को अपने विदेशी अंशों और ऋण-पत्रों के बारे में भेजा गया दिनांक 11-11-1961 का ब्यौरा, उन्हें प्रेषित किया था, जिसमें यह बताया गया था कि अंश और ऋण-पत्र 1942 से लेकर उन द्वारा धारित किये जाने लगे थे और इनका अर्जन लन्दन में जमा निधि से और/या बोनस तथा अधिकृत अंशों (राइट्स शेयर्स) के प्रतिस्थापना द्वारा हुआ था । कम्पनी ने रिजर्व बैंक को यह भी सूचित किया है कि समय समय पर कुछ विदेशी ऋण-पत्रों पर बोनस और अधिकृत अंशों (राइट्स शेयर्स) का उपार्जन भी हुआ था और लन्दन में उनके एजेंटों द्वारा अंश संग्रहीत किए गए तथा बेचे गए जिनसे पौण्ड 1,04,552 की वसूली हुई । कम्पनी ने रिजर्व बैंक को पौण्ड 53,000 के बारे में अन्तरण साक्ष्य के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये थे । जहां तक शेष राशि का सम्बन्ध है, कम्पनी को कहा गया है कि वे उस राशि के अन्तरण के समर्थन में लेख्य-साक्ष्य प्रस्तुत करें । पूर्वोक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

2. कम्पनी ने लन्दन में अपने हिसाब-किताब की पड़ताल के लिए लन्दन में एक शालपत्रित लेखाकारों की फर्म को नियुक्त किया है । कथित फर्म के प्रतिवेदन और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के लिए कैरावेल विमान

1334. **डा० पू० ना० खां :**
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडयिन एयर लाइन्स कारपोरेशन को छः कैरावेल विमान खरीदने के लिए फ्रांस सरकार और फ्रांस के मैसर्स सूद एवीयेशन ने कितना ऋण दिया है ;

(ख) इस ऋण की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस समय इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास कितने कैरावेल विमान ऐसे हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1168·89 लाख फ्रांक्स ।

(ख) ऋण की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

	ऋण लौटाने की अवधि	ब्याज की दर
	वर्ष	प्रतिशत वार्षिक
(1) पहले तीन कैरेवेलों के लिए (फ्रांस से ऋण) . . .	10	5
(2) चौथे कैरेवेल के लिए (सूड एवियेशन से ऋण) .	7	5
(3) पांचवें और छठे कैरेवेल के लिए (सूड एवियेशन से ऋण) .	7	5.25

(ग) अक्तूबर, 1966 में प्राप्त एक कैरेवेल सहित, पांच ।

इल्यूशिन विमान में तबदीली

1335. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने इल्यशिन विमान में कुछ प्रस्तावित तबदीलियां करना स्वीकार कर लिया है ताकि उन्हें रात की हवाई डाक तथा भाड़े की उड़ान सेवाओं पर प्रयोग किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने अपनी विमान सेवाओं पर इल्यूशिन आई एल-18 वायुयान के परिचालन का क्रियात्मक दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन किया है, तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि निर्माताओं द्वारा सहमत परिवर्तन कर भी दिये जायें तो भी उनके लिये उसका परिचालन संभव नहीं होगा ।

बन्दरगाहों की अनाज उतारने-रखने की क्षमता

1336. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों से आयात किये जाने वाले अनाज को उतारने-रखने के संबंध में बन्दरगाहों की वर्तमान क्षमता क्या है ;

(ख) क्या राज्यों में पड़े सूखे की स्थिति के कारण बढ़ते हुए निर्यात को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क), (ख) और (ग) गत वर्ष देश के अनेक भागों मे भयंकर सूखा पड़ने के कारण बिगड़ी हुयी खाद्य स्थिति को ध्यान में रखकर अपने बन्दरगाहों की अनाज उतारने-लादने की क्षमता को बढ़ाने के प्रश्न पर दिसम्बर, 1965 और जनवरी, 1966 में बड़े विस्तार से विचार किया गया था। इसके परिणाम-स्वरूप बिना वर्षा के महीनों में 12 लाख टन तक अनाज के उतारने-लादने का प्रबन्ध किया गया था और यह लक्ष्य, यदि सब ओर से विचार किया जाय तो, अप्रैल-जून 1966 के दौरान प्राप्त कर लिया गया था। अनाज उतारने-लादने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में बन्दरगाहों के निकासी-शेड में सुधार, आतिरिक्त अनाज उतारने-लादने के लिए नयी मशीनों और उपकरणों का मंगाना और लगाना, वैगन सप्लाई में वृद्धि, श्रमिकों की संख्या में भारी वृद्धि, सड़क परिवहन व्यवस्था तथा दूसरी प्रकार की सुविधायें सम्मिलित हैं। हालांकि फिलहाल उर्वकों के भारी मात्रा में आयात के कारण आने वाले महीनों में 8-9 लाख टन अनाज से अधिक का उतारना-लादना सम्भव न हो सकेगा। अनाज के अधिक मात्रा में आयात को उतारने-लादने की आवश्यकता पड़ने पर इस क्षमता को और अधिक बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में भूमिगत जल

1337. डा० कर्णी सिंहजी: क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में किये गये पूर्वोत्तर राजस्थान के सर्वेक्षणों से उस क्षेत्र में बहुत बड़े परिमाण में भूमिगत जल के विद्यमान होने के जो प्रमाण मिले हैं, उनका किस सीमा तक और किस प्रकार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने अथवा सिंचाई में सहायता करने के लिए प्रयोग किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करना मुख्यत: राज्य सरकारों का कार्य है। राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में भूमिगत जल की सम्भावना के बारे में राजस्थान सरकार को अवगत करा दिया गया है।

रूसी बहुप्रयोजनीय विमानों की खरीद

1338. श्री यशपाल सिंह : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विभाग द्वारा प्रयोग किये जाने हेतु रूसी बहु-प्रयोजनीय ए० एन० 2 एम० विमान खरीदने का सरकार का इरादा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विमान की कीमत कितनी है ; और

(ग) कितने विमान खरीदने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामनंदन मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sugarcane Price due from Sugar Mills

1339. Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various sugar mills in the country owe a large amount to farmers as price of sugarcane supplied during 1964-65 and 1965-66;

(b) if so, the names of the sugar mills and the amount due to each of them; and

(c) the steps being contemplated by Government to enable the farmers to get payment of the price of sugarcane at the earliest?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) and (b). The all-India position of payment of cane price for 1965-66 and 1964-65 seasons as on 30th September, 1966, is as under:—

(Figures in Lakh rupees)

	1965–66	1964-65
Total price of cane purchased	19272.40	17914.41
Cane price paid up to 30th Sep. 1966	18755.52	17902.29
Arrears of cane price	516.88	12.12

Factorywise information in respect of arrears of cane price as on 30th September, 1966 is given in the statement attached. (Placed in Library, See No., LT-7313|66).

(c) State Governments have been asked to take concerted measures for early clearance of arrears of cane price by factories. Some of the State Governments have already initiated legal action, where necessary.

भोजन व्यवस्था नियंत्रण आदेश, दिल्ली

1340. श्री महेश्वर नायक : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजन व्यवस्था नियंत्रण आदेश, दिल्ली के परिणामस्वरूप होटलों तथा आहार-गृहों ने न केवल सप्ताह में एक बार बल्कि सप्ताह में तीन बार तक चावल तथा गेहूं से बने पदार्थ देना बन्द कर दिया है जिसकेपरिणामस्वरूप उन में नियमित रूप से भोजन खाने वालों को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) उस योजना से कितना फालतू अनाज बचता है और वह किस प्रकार वास्तव में उपभोक्ताओं को मिलता है ; और

(ग) क्या भोजन व्यवस्था नियंत्रण आदेश तथा अतिथि नियंत्रण आदेश को लागू करने में विभिन्न त्रुटियों के कारण सरकार उन्हें पूरी तरह समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दिल्ली (भोजन व्यवस्था नियन्त्रण) आदेश के अन्तर्गत दिल्ली के भोजनालयों द्वारा सोमवार की शाम को अनाज से बना भोजन खिलाना और गुरुवार और शनिवार को चावल खिलाना निषिद्ध है ।

(ख) इस निषिद्धि के परिणामस्वरूप प्रति मास लगभग एक हजार क्विंटल चावल की बचत की जाती है । इससे केन्द्रीय पूल में उपलब्धता बढ़ जाती है जिससे कि कमी वाले राज्यों को सरकारी वितरण के लिए चावल दिया जाता है ।

कोचीन शिपबिल्डिंग यार्ड

1341. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान को कोचीन में जहाज निर्माण कारखाने के बारे में एक पत्र भेजा है ;

(ख) क्या उन्होंने दूसरा पत्र संघर्ष समिति के संयोजक, श्री वी० आर० कृष्णन आइयर को भेजा है ;

(ग) क्या दोनों पत्रों में दिये गये आश्वासनों में कोई अन्तर है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन पत्रों की प्रतियां सभा-पटल पर रखने का है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रधान मंत्री सचिवालय द्वारा एक पत्र भेजा गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार इस को आवश्यक नहीं समझती ।

राशन की दुकानों पर देशी गेहूं

1342. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन की दुकानों पर पिछले दो महीनों से देशी गेहूं उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) जी नहीं । चूंकि अक्तूबर के दूसरे सप्ताह के आरम्भ में दिल्ली में पंजाब के गेहूं

का स्टाक काफी कम हो गया था इसलिए देशी गेहूं का दिया जाना 19-10-1966 से बन्द कर दिया गया है ।

Class IV Employees in Law Ministry

1343. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) the number of Class IV employees in his Ministry and its Attached and Subordinate Offices at present;

(b) whether the service records of these employees are maintained in Hindi;

(c) the total number of Orders, Circulars and Notices relating to these employees issued in 1965, and the number of the Orders which were issued in Hindi; and

(d) the number of applications and petitions received from these employees in Hindi in 1965, the number of decisions on the above applications communicated in Hindi and the reasons for not communicating the rest of the decisions in Hindi?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) 552.

(b) No, Sir.

(c) 254 Orders, Circulars and Notices were issued in the Legislative and Legal Affairs Departments of the Ministry. Out of these, 67 were issued in Hindi. Information in this regard so far as the Company Affairs Department is concerned is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(d) 114 applications/petitions were received in Hindi in the Legislative and the Legal Affairs Departments. Out of these, decisions on 51 applications/petitions were communicated in Hindi. Decisions on the remaining applications/petitions were not communicated in Hindi either because replies were not called for, or because they were required to be communicated urgently and translating them into Hindi would have resulted in delay. Similar information in respect of the Department of Company Affairs is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Hindi Glossary of Technical Terms

1344. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Hindi Department of his Ministry is not using the Glossary of technical terms prepared by the Ministry of Education in Hindi translations done by that Department;

(b) if so, which glossary is being used by them;

(c) whether this glossary has been approved and published by Government;

(d) whether it is also a fact that the language used in Hindi translation by his Ministry is so difficult that it is beyond the understanding of an ordinary educated man;

(e) if so, whether Government propose to use simple terminology in the translations; and

(f) if not, the reasons therefor?

The Minister in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) and (b) The Official Language (Legislative) Commission functioning under the Ministry of Law has been entrusted with the functions, among others:—

(i) of preparing and publishing a standard legal terminology for use, as far as possible, in all official languages; and

(ii) of preparing authoritative texts in Hindi of all Central Acts, Ordinances, Regulations and Rules and Orders made by the Central Government under a Central Act etc.

The Commission accordingly determines the standard Indian Language equivalents of English legal terms for use, as far as possible, in all the regional languages; and it is such terminology which is adopted by them in the preparation of Hindi texts of statutes. Technical and Scientific terms which are not of legal nature occurring in such Hindi texts are taken from the glossary of technical terms prepared by the Ministry of Education.

(c) The Commission has published a Glossary of Standard Indian Language Equivalents of English terms of Law as occurring in the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act and the Transfer of Property Act. A more comprehensive Glossary consisting of terms occurring in 25 important Central Acts is under publication. As the terms occurring in the glossary published by the Commission are the terms used in the Hindi texts of the Acts authenticated by the President, they have the same authority as terms used in enacted legislation.

(d) to (f) Law being a highly technical subject, the terms used in statutes are not easily understood by persons not having sufficient knowledge of and training in law. Every effort is, however, made to make the language as simple and intelligible as possible but where complex ideas and legal implications have to be expressed precisely and the Hindi text has to correspond in the minutest detail and implications to the English text, it has not been always found possible to make the Hindi version altogether simple without sacrificing accuracy. The terminology evolved has to be such as can be used in all the official languages of the country. As Sanskrit is the common base of most of the languages, the Commission has to draw upon Sanskrit for evolving a common terminology where a simple word acceptable to a majority of Indian languages is not available.

Hindi in Law Ministry

1345. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Hindi knowing Assistants and Clerks working in his Ministry and its subordinate offices are discouraged to do their official work in Hindi; and

(b) if not, the number of Assistants and Clerks in the Ministry and its subordinate offices who are doing noting and drafting work in Hindi?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) No, Sir. On the other hand, all encouragement is given for conduct of work in Hindi, wherever possible.

(b) 55.

Bridge on River Gomti

1346. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether the bridge to be constructed on the Gomti on the National Highway between Varanasi and Ghazipur has been completed;

(b) whether the roads approaching this bridge have also been constructed; and

(c) when this bridge is likely to be opened to traffic?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) A bridge over the Gomti river at Mohanaghat on Gorakhpur-Ghazipur-Banaras road, National Highway No. 29, has been completed, except for the provision of a wearing coat on the bridge decking;

(b) Construction of approach roads to the bridge has been completed, except for metalling and surface painting.

(c) The bridge will be opened to traffic as soon as the balance of work on the bridge and the approaches is completed. This work is expected to be completed by the end of January 1957.

चौथी पंचवर्षीय योजना में चीनी के कारखाने

1347. श्री वासप्पा : **श्री प्र० चं० बरुग्रा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 26 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 99 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित नये चीनी कारखानों की क्षमता क्या होगी ; और

(ख) मैसूर राज्य में सहकारी क्षेत्र में कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) चतुर्थ योजना के दौरान नई चीनी मिलें लगा कर लगभग 5.7 लाख टन की अतिरिक्त पैदा करने का का विचार है। इस प्रयोजन के लिए 3.55 लाख टन की क्षमता के लिए 20 नये कारखानों (18 सहकारी और दो संयुक्त स्कन्ध) के लिए लाइसेंस पहले से ही दिये जा चुके हैं।

(ख) अब तक अनुमोदित की गई 20 नई चीनी मिलों में से 4 राज्य मैसूर (सभी सरकारी क्षेत्र में) के लिए हैं।

वनस्पति के मूल्य

148. श्री [illegible] झा : **श्री० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा ग्राजाद : **श्री रामचन्द्र मलिक :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री सुधांशु दास :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही म वनस्पति के मूल्य निश्चित किये गये हैं और यदि हां, तो इनमें

कितनी कमी की गई है और इस वर्ष के आरम्भ तथा 1965 में जो मूल्य थे उनकी तुलना में ये पुनरीक्षित मूल्य कैसे हैं;

(ख) जनवरी, 1965 से मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) मूल्यों को और कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) वनस्पति के मूल्यों में पहले 1-10-66 को कमी की गई थी और फिर 1-11-66 को। कमी बताने वाला एक विवरण संलग्न है जिसमें 1-11-66 के मूल्यों और 1966 और 1965 के आरम्भ के मूल्यों में तुलना की गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—7314/66]**

(ग) और (घ) वनस्पति के मूल्य मूंगफली के तेल के मूल्यों के साथ साथ गिरते और चढ़ते हैं जिससे कि इसको बनाया जाता है। जनवरी, 1965 से वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि और अक्तूबर और नवम्बर, 1966 म कमी का यही कारण है।

वनस्पति के निर्माण में प्रयोग के लिये रूस और अमरीका से सस्ते तेलों के आयात का प्रबन्ध किया गया है। देश में ही खाद्य तेलों के उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

केरल में कुमारा कोम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

1349. श्री मणियंगाडन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पयेटन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टायम जिला में कुमारा कोम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या पर्यटन केन्द्र के रूप म उस स्थान की पात्रता के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

कोचीन पत्तन

1350. श्री मणियंगाडन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन जहाज़ों को, जिन्हें कार्यक्रम के अनुसार कोचीन पत्तन पर जाना था, अन्य पत्तनों की ओर मोड़ दिया गया है;

(ख) क्या जहाजों ने कोचीन पत्तन पर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो 1965 तथा 1966 में कितनी बार इस प्रकार कार्यक्रम रद्द कर किया गया है ;

(घ) क्या हाल ही में यात्री जहाजों ने कोचीन पत्तन पर आने तथा वहां से जाने का अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इस प्रकार के इस वर्ष केवल कुछ ही मामले हुए हैं ।

(ख) और (ग) कोचीन पत्तन न्यास ने सूचना दी है कि कोचीन पत्तन पर आने के कार्यक्रम के रद्द किये जाने की उनके पास कोई जानकारी नहीं हैं ।

(घ) जी नहीं । वास्तव में 1963 से कोचीन पत्तन पर कोई नियमित यात्री यातायात नहीं रहा है ।

(ङ) चूंकि बम्बई भारत में अन्य स्थानों के साथ हवाई तथा भूमि के मार्गों द्वारा अच्छी तरह मिला हुआ है, इसलिये सवारी जहाजों के लिये कोचीन की बजाये बम्बई आना अधिक सुविधाजनक रहा है । बम्बई से उनको अधिक यात्री भी मिलते हैं । कोचीन में यात्रियों के चढ़ने और उतरने की सुविधाएं भी कुछ अपर्याप्त रही हैं ।

(च) कोचीन पर कुछ सवारी जहाजों को आकर्षित करने की दृष्टि से वहां पर यात्रियों के उतरने-चढ़ने सम्बन्धी सुविधाओं को देने का प्रश्न पत्तन न्यास के विचाराधीन है ।

केरल पशु-चिकित्सा विधेयक

1351. श्री मुहम्मद कोया : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पशुधन निरीक्षकों ने उनको यह अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें पशुओं के छोटे छोटे रोगों का उपचार करने की अनुमति दी जाये और तदनुसार केरल पशुचिकित्सक विधेयक का संशोधन किया जाये;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रार्थना पर विचार किया था; और

(ग) ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां । भारत सरकार को पशुधन सहायक एसोसिएशन, केरल का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने इस प्रार्थना पर विचार किया और स्वीकार योग्य नहीं पाया क्योंकि इन पशुधन निरीक्षकों तथा सहायकों में आवश्यक योग्यता नहीं है और इन्हें पशु-चिकित्सकों के समान पद नहीं दिया जा सकता । फिर भी जैसा कि केरल मैडीकल प्रैक्टीशनर्श

एक्ट के अन्तर्गत कुछ चिकित्सकों के मामले में किया गया है उसी प्रकार पशुधन सहायकों को को बी क्लास रजिस्ट्रेशन देने के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है।

सहकारी ऋण नीति

1352. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में सहकारी ऋण नीति का विनियमन सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा जारी किये गये परिपत्रों से किया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में यह नीति पंजीयक द्वारा राज्य सरकारी बैंकों के परामर्श से निर्धारित की जाती है तथा कुछ राज्यों में सहकारी समितियों के पंजीयक से परामर्श करने के बाद राज्य सरकारी बैंक इस बारे में परिपत्र जारी करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में लागू ऐसी पद्धतियों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) फसल ऋण पद्धति की मुख्य बातों तथा सहकारी समितियों द्वारा उत्पादन के लिये ऋण देने सम्बन्धी नीति पर, जो कि राज्यों को परिचालित फसल ऋण पुस्तिका में दी गई है, राज्य सरकारों द्वारा बुलाये गये राज्य स्तरीय सम्मेलनों में चर्चा की जाती है जिनमें कि सम्बन्धित विभागों और सहकारी संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इन सम्मेलनों में पहुंचे गये निष्कर्षों की रोशनी में क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्विति के लिये सहकारी विभागों द्वारा विस्तृत हिदायतें जारी की जाती हैं। विभिन्न संचालन सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में सहकारी बैंकें भी अपनी सदस्य समितियों को हिदायतें जारी करती हैं। ये सब हिदायतें सम्मेलनों में बहुमत से किये गये निर्णयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। विभिन्न राज्यों में वास्तविक रूप से अपनाई गई रीतियों के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास जानकारी नहीं है।

उर्वरकों की चोरबाजारी

1353. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1965 से सितम्बर, 1966 तक उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की चोर-बाज़ारी के मामलों में विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : अब तक 10 राज्य सरकारों तथा 5 केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई जानकारी सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7315/66]** अन्य राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त होते ही उसे भी सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

I.A.C. Air Accidents

1354. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 204 on the 2nd August, 1966 and state:

(a) whether Government have since received the details of the loss caused by the accidents to the Indian Airlines Corporation; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) and (b) The details of financial loss suffered by Indian Airlines Corporation as a result of air accidents during the period from 1st January to 2nd August, 1966 are indicated below:—

Date & Place of accident	Type/Regn No. of aircraft	Financial loss suffered by IAC
7-266; near Banihal Pass	F-27; PH-SAB on Charter to IAC.	No loss as the aircraft was fully insured.
15-2-66 Palam Airport	Caravelle; VT-DPP	No loss as the aircraft was fully insured.
19-2-66 Imphal	Dakota; VT-CCC	Rs. 40,000.00
1-4-66; Gauhati	Viscount; VT-DOD	Rs. 5,752.00
25-4-66; Nagpur	Dakota; VT-DDR	The aircraft has not yet been repaired and it has been dicided by the Corporation to sell the aircraft in 'as is condition'.

लगान की समाप्ति

1355. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या खाद्य, **कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में बुनियादी भू-कर लगाये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए लगान हटाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) बुनियादी भू-कर लगाये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों के लगान हटाने के निर्णय के बारे में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है। भू-कर राज्य का विषय है और राज्य सरकारें भू-कर लगाने, हटाने या उसमें संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी तक मद्रास सरकार ने निर्णय किया है कि वर्तमान फसली 1376 (जो पहले ही प्रथम जुलाई, 1966 से शुरू हो गई है) और उसको इकट्ठा करने का कार्य दिसम्बर–जनवरी को शुरू किया जायेगा। भूमि कर पर सरचार्ज और पानी की दर 25 प्रतिशत नवम्बर, 1965 में लागू हुई, लैंड रैवीन्यूल तथा वाटर सैस (सरचार्ज) एक्ट, 1965, (1965 का मद्रास एक्ट 34) हटा दिया जायेगा। इस से 1.5 करोड़ रुपये का घाटा होगा जिसको राज्य सरकार उपयुक्त बचत तथा कम महत्व वाली योजनाओं को दोबारा बना कर पूरा करेगी।

(ग) विकासात्मक योजनाओं के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने हेतु भू-कर की दरों को संशोधित करना आवश्यक हो सकता है।

दक्षिण परिवहन क्षेत्र

1356. श्री कोल्ला वैंकैया : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य ट्रक तथा गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में दक्षिण परिवहन क्षेत्र के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) यह क्षेत्र कब कार्य आरम्भ करेंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर राज्यों के बीच उन विशिष्ट राष्ट्रीय तथा राज्य के राजपथों पर, जिन्हें कि यातायात के लिये उचित समझा जाता है, प्रत्येक राज्य की 200 माल-वाहक मोटर गाड़ियों के संचालन के लिये एक विशेष पारस्परिक समझौता किया गया है। समझौते की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :—

(एक) यह समझौता किन्हीं अन्य पारस्परिक समझौतों के अतिरिक्त होगा, जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं राज्यों के बीच पहले से ही किये गये हों या भविष्य में किये जायें और उनके उपबन्धों के विरुद्ध नहीं होगा।

(दो) यह समझौता सर्वप्रथम प्रत्येक राज्य की 200 माल ढोने वाली मोटर गाड़ियों पर लागू होगा और यह पांच वर्ष के लिये लागू रहेगा। तथापि, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक राज्य में उपलब्ध मोटर गाड़ियों की संख्या का समय समय पर और कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन और किया जा सकेगा और उसे बदला जा सकेगा।

(तीन) ये मोटर गाड़ियां एक संयुक्त परमिट के अधिकरण के अन्तर्गत चला करेंगी और इन पर अन्य राज्यों के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। (मोटर

गाड़ियां अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रति हस्ताक्षरों की आवश्यकता समाप्त कर दिया गया है)

(चार) इस समझौते के अन्तर्गत चल रहा कोई सार्वजनिक वाहन को गृह राज्य में मार्गों पर बिना किसी प्रतिबन्धों के चलने की अनुमति होगी जबकि गृह राज्य बाहर किसी राज्य के बाहर किसी क्षेत्र में चलते हुए, ऐसे वाहन में अन्य राज्यों में अन्तर्राज्यीय मार्ग पर किन्हीं दो स्थानों पर, जिनकी दूरी 300 किलोमीटर से कम हो, माल उतारने और माल चढ़ाने की मनाही होगी। (स्थानीय चालकों के हितों की सुरक्षा के लिये यह खण्ड रखा गया है)।

(पांच) इस समझौते के अन्तर्गत चल रही मोटरगाड़ी को मोटरगाड़ियों के निरीक्षक तथा पुलिस के उपनिरीक्षक अथवा अन्य कोई अधिकारी जिस पर कि हस्ताक्षर करने वाले राज्य सहमत हों, द्वारा इस समझौते के उपबन्धों के प्रवर्तन के अभिप्राय से रोका जा सकेगा और इसका निरीक्षण किया जा सकेगा। (यह उपबन्ध लम्बे फासले वाले माल यातायात में किसी सम्भव परेशानी को कम करने के लिये रखा गया है)।

(छः) इस समझौते के अन्तर्गत चल रही किसी मोटर गाड़ी पर गृह राज्य द्वारा लगाये गये किसी मोटर गाड़ी तथा माल कर के अतिरिक्त पंजीकृत अथवा अनुमोदित लादे जाने वाले भार को ध्यान में न रखते हुए गृह-राज्य के अतिरिक्त हस्ताक्षर करने वाले चार राज्यों में से प्रत्येक राज्य को 500 रु० अथवा इससे कम रु० का कर प्रति वर्ष देना होगा। यह कर गृह-राज्य द्वारा इकट्ठा किया जायेगा और हस्ताक्षर करने वाले अन्य राज्यों को भेजा जायेगा। (माल कर और मोटर गाड़ी कर केवल एक ही स्थान पर इकट्ठा किया जायेगा और ऐसा इस अभिप्राय से किया गया है कि चालक और प्रशासन दोनों को सुविधा हो)।

यह योजना भाग लेने वाले राज्यों द्वारा आवश्यक औपचारिक बातों के पूरा किये जाने के बाद लागू होगी।

पूर्वी क्षेत्र में खाद्य निदेशालय

1357. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बन्दरगाह के जरिये खाद्यान्न तथा उर्वरक की आयात अधिक होने के कारण हाल में खाद्य निदेशालय के पूर्वी क्षेत्र का काम बढ़ गया है;

(ख) क्या गोदी विकासी तथा नौभरण का कार्य विभागीय रूप से कराने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो निदेशालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अपने 4000 से अधिक कर्मचारियों को फालतू घोषित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में पुनः कोई अनुमान लगाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कलकत्ता पत्तन के द्वारा भारी मात्रा में खाद्यान्न और उर्वरकों के आयात किये जाने के कारण पूर्वी खण्ड के प्रादेशिक खाद्य निदेशालय के कार्य में हाल ही में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) कलकत्ता में निकासी और नौभरण के कार्य को विभागीय रूप से कराने का इस समय कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ) यह कहना सही नहीं है कि प्रादेशिक निदेशालय के श्रेणी तीन और चार के 4000 से ऊपर कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है। तथापि, कुछ मास पूर्व किये गये एक कार्य अध्ययन के परिणामस्वरूप कुछ श्रेणियों में लगभग 250 व्यक्तियों को फालतू पाया गया था। तब से कार्य में कुछ परिवर्तन हुआ है और कर्मचारियों की आवश्यकताओं का नया अनुमान लगाया जा रहा है।

मालाबार में कैनोली नहर

1358. श्री मुहम्मद कोया : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहर नौपरिवहन योजनाओं के एक अंग के रूप में मालाबार (केरल राज्य) में कैनाली नहर को चौड़ा तथा गहरा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग) राज्य सरकार ने सलाह दी है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कैनोली नहर को चौड़ा और गहरा करने का एक प्रस्ताव है।

अग्रेतर ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

बनिहाल के निकट हुई इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के फोकर फ्रेण्डशिप विमान की दुर्घटना की जांच

1359. श्री विगे : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री बनिहाल दर्रे के निकट फोकर फ्रेंडशिप विमान की दुर्घटना की जांच के बारे में 26 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोकर फ्रेंडशिप विमान की दुर्घटना की जो 7 फरवरी, 1966 को बनिहाल दर्रे के पास हुई थी, जांच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) दुर्घटना के कारणों की जांच करने वाली जांच अदालत ने अपनी सार्वजनिक बैठकें 18 अक्तूबर, 1966 को समाप्त कर दीं। लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक भारत सरकार को नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जोधपुर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

1360. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री जोधपुर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास के बारे में 2 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 948 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोधपुर (राजस्थान) में एक पर्यटक केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). एक पर्यटक बंगला बनाने का प्रस्ताव उन योजनाओं में शामिल किया जायेगा जिनका व्यय राज्य सरकारों के साथ साझे में किया जाता है, और उसका क्रियान्वित किया जाना तदर्थ नियत की जाने वाली निधि पर निर्भर करेगा।

राज्यों के सामुदायिक विकास मंत्रियों का सम्मेलन

1361. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में राज्यों के सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन ने सामुदायिक विकास सम्बन्धी भविष्य की नीति और प्रशिक्षण, ग्रामीण जनशक्ति, व्यावहारिक पौषाहार, महिला कल्याण तथा बाल देख-रेख के कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं और कृषि उत्पादन में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य पर सिफारिशें की हैं। मुख्य सिफारिशों की प्रतियां पहले से ही संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

आंध्र प्रदेश में चावल का मूल्य

1362. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में भारत के खाद्य निगम द्वारा जिन भावों पर चावल खरीदा और बेचा जाता है उनमें 7 रुपये से लेकर 13 रुपये तक का अन्तर होता है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). 15 मार्च 1966 से राज्य सरकार तत्सम्बन्धी व्यय परिवहन रेल भाड़ा माल को उठाने, रखने स्टोरेज आदि के लिए भारत के खाद्य निगम को कुछ छूट दे रही थी और उन छूट में 3.60 रु० का राज्य सरकार को देय प्रशासनिक प्रभार भी शामिल है। विक्रय मूल्य में कोई मुनाफ़ा शामिल करने की अनुमति नहीं है :

	रुपये
(एक) जिलों से हैदराबाद और सिकन्दराबाद को ले जाये गये स्टाक के लिए	10.50
(दो) ऊपर (एक) को छोड़ कर एक जिले से दूसरे जिले को ले जाये गये स्टॉक के लिए	10.75
(तीन) एक ही जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाये लेजाये गये स्टॉक के लिए	8.24

सरकार द्वारा कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं परन्तु जांच होने पर यह पाया गया कि यह आरोप गलत था कि खाद्य निगम ने सौदों में मुनाफ़ा कमाया है।

समुद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं

1363. **श्री प० कुन्हन :**
श्री उमानाथ

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना में और अधिक समुद्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थायें स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसी कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) तथा (ख). एर्नाकुलम में मत्स्य तकनोलोजी की एक केन्द्रीय संस्था है जिसके उप-केन्द्र कालीकट तथा कोचिन (केरल), काकीनदा (आन्ध्र प्रदेश), बर्ला (उड़ीसा), बरावल (गुजरात) और बम्बई में हैं। केन्द्रीय सरकार के अधीन चौथी पंचवर्षीय योजना काल में कोई अतिरिक्त मैराइन टकनोलोजीकल संस्था स्थापित करने का विचार नहीं है।

केरल के वनों का उन्मूलन

1364. **श्री प० कुन्हन :**
श्री उमानाथ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के वर्षों में बड़े पैमाने पर केरल के वनों के उन्मूलन की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने इस वनोन्मूलन के फलस्वरूप जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(ग) गत बीस वर्षों में जनता द्वारा कितने क्षेत्र में वनों का अतिक्रमण किया गया अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा कितने क्षेत्र में वनोन्मूलन किया गया ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल की वन सम्पत्ति

1365. श्री प० कुन्हन :
श्री उमानाथ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की वार्षिक आय में वन सम्पत्ति का अनुमानतः कितना भाग है ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल राज्य में वन सम्पत्ति का उपयोग योजनाबद्ध ढंग से नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां तो क्या केरल राज्य में वन सम्पत्ति का उपयोग करने की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए सरकार का एक बन आयोग नियुक्त करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 1965–66 की अवधि में केरल में वार्षिक आय में वन सम्पत्ति का भाग 7 प्रतिशत था ।

(ख) केवल स्वीकृत योजनाओं के लिए ही वनों का उपयोग किया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्विलोन के लिए कृषि फार्म

1366. श्री प० कुन्हन :
श्री उमानाथ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्विलोन जिले का 100 एकड़ का जिला कृषि फार्म कोट्टायमचाथान्नूर क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र के जल संस्थान अपर्याप्त हैं अथवा उनका उपयोग करने पर बहुत अधिक लागत आती है और भूमि के दाम भी बहुत तेज़ हैं;

(ग) क्या यह फार्म संस्थान—कोटा में जहां भूमि सस्ती है तथा पानी बहुतायत से और आसानी से मिलता है स्थापित करने के कोई सुझाव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) राज्य प्रशासन से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमि सुधार उपायों का लागू किया जाना

1367. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में भूमि सुधार उपायों को लागू करने का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गति को तेज करने और इनको लागू करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) विधान के अन्तर्गत भूमि सुधार राज्य का विषय है। अतः भूमि सुधार नियमों को लागू करने का प्रारम्भिक दायित्व राज्य सरकारों पर है। पंचवर्षीय योजनाओं में निश्चित की गई भूमि-नीति सिफारिशों के अनुसार कार्यक्रम बनाने और उन्हें चलाने में भारत सरकार राज्य सरकारों की सहायता करती है । प्रत्येक राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार भूमिसुधार कार्यक्रम बनाती है। पंचवर्षीय योजनाओं में जो नीति सम्बन्धी सिफारिशें दी गई हैं उनमें प्रत्येक राज्य की स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को देखते हुए मामूली हेर-फेर किया जा सकता है ।

गत 15 वर्षों में भूमि सुधार के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया गया है और कई बातों में काफ़ी प्रगति हुई है । भूतपूर्व मध्यस्थ व्यक्तियों के लगभग 20 मिलियन काश्तकार राज्यों के साथ सीधे सम्पर्क में आ गये हैं । राटवारी क्षेत्रों में और जमीनदारी क्षेत्रों में काश्तकारों, तथा उप-काश्तकारों की समस्याओं को हल करने के लिए विधान बनाया गया है। पट्टे की सुरक्षा, किराए की नियमितता तथा काश्तकारों को राज्य के साथ सीधे सम्पर्क लाने और उन्हें स्वामी बनाने की व्यवस्था बहुत से राज्यों में कर दी गई है । फलस्वरूप लगभग 3 मिलियन काश्तकार और भागीदार 7 मिलियन एकड़ के अधिक भूमि के स्वामी बन गये हैं। बहुत से राज्यों में कुल उपज के चौथे भाग पर उचित किराया निश्चित कर दिया गया है। पहले पंजाब क्षेत्र को जहां फालतू भूमि के निपटारे के लिए पहले ही व्यवस्था मौजूद है छोड़ कर सारे राज्यों में सीलिंग के लिए विधान अपनाया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार फालतू क्षेत्र के 2 मिलियन एकड़ भूमि पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कब्जा कर लिया गया है । ये सभी उपाय स्वामी द्वारा खेती करने में सहायक हैं और यही राष्ट्रीय भूमि नीति का उद्देश्य है। भमि सुधार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो योजनाएं प्लान योजनाओं के रूप क्रियान्वित की जा रही हैं उनके नाम ये हैं:—(1) भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए भूमि सुधारों में बेहतरी—ये केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना है (2) खंडित भूमि की चकबन्दी जो केन्द्र द्वारा साहायय स्टेट प्लान योजना है। केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना एक नई योजना है, भूमि चकबन्दी की योजना बहुत से राज्यों में

कई वर्षों से चल रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 29.5 मिलियन एकड़ भूमि की चकबन्दी हो चुकी थी। अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में 13 राज्यों और 2 संघ क्षेत्रों ने भूमि चकबन्दी की योजनाओं के लिए 19.74 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की जो 31 मिलियन एकड़ भूमि को लाभान्वित करेगी।

इस प्रकार भूमि सुधार के क्षेत्रों में काफी सफलता प्राप्त हुई है। ये कार्यक्रम लोकतंत्रीय रीतियों से क्रियान्वित किए गए थे। अतः यदि कुछ विशेष क्षेत्रों में परिणाम तेजी से नहीं निकल सके तो यह लोकतंत्रीय प्रक्रिया का ही कारण हो सकता है। फिर भी यदि कोई कमी रह गई है तो राज्य सरकारें उस पर पूरा ध्यान दे रही हैं। केन्द्रीय सरकार प्रत्येक राज्य में स्थिति को निरन्तर देख रही है और राज्य सरकार से समय समय पर अनुरोध किया गया है कि भूमि सुधार की क्रियान्विति को दृढ़ करे और सुधार करे।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की भूमि सुधार क्रियान्विति समिति ने विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार उपायों की क्रियान्विति पर पुनर्विचार किया है। क्रियान्विति समिति के सुझाव बहुत से राज्यों के पास भेज दिए गए हैं ताकि वे विचार और उचित कार्यवाही कर सकें। ये सुझाव योजना आयोग की पत्रिका इम्पलीमेन्टेशन आफ लैण्ड रिफार्मर्ज—ए रिव्यू में दिए गये हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

पूर्वी क्षेत्र के खाद्य निदेशालय में फालतू कर्मचारी

1368. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य निदेशालय ने पूर्वीय क्षेत्र के लगभग 400 कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्ति का लाभ देने का विचार है ?

(ग) क्या सारे कर्मचारी इन लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं और यदि नहीं, तो कितने कर्मचारी पात्र नहीं हैं; और

(घ) यदि वे स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्ति नहीं चाहते तो क्या सरकारी सेवा से उन की छंटनी कर दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ) पूर्वी प्रदेश कलकत्ता प्रादेशिक खाद्य निदेशालय के कार्यालय की कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए कुछ महीने पहले किये गये कार्य अध्ययन के परिणामस्वरूप कुछ श्रेणियों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी पाये गये थे। तथापि कार्य भार में कुछ परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप कर्मचारियों की आवश्यकता का अब ताज़ा अनुमान लगाया जा रहा हैं। इसके परिणामस्वरूप जो कर्मचारी फालतू पाये जायेंगे उनको खाद्य विभाग के अन्तर्गत अन्य प्रदेशों में उपबन्ध रिक्त समान स्थानों पर लगाया जायेगा। शेष फालतू कर्मचारियों को फालतू पूल में स्थानांतरित कर दिया जायेगा जो कि हाल ही में गृह मंत्रालय में स्थापित किया गया है। इस पूल में स्थानांतरित किये गये व्यक्तियों को नये कामों में प्रशिक्षण दिया जायेगा और सरकार

यथा शीघ्र इनको सरकारी उपक्रमों और अन्य विभागों में काम देने का प्रयत्न करेगी । स्थानान्तरित किये गये व्यक्तियों को वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत ऐच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की भी छूट होगी । केवल उन व्यक्तियों की छंटनी की जायेगी जो कि सेवानिवृत्त नहीं होना चाहते और जिनको छः महीने तक अन्य विभागों में काम नहीं मिल सकता ।

चावल की मिलें

1369. श्री मलाइ छामी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चल रहे अधिकांश चावल मिलों को, जिनकी संख्या अनुमानतः 45,000 है, खाद्य निगम की सात सदस्यीय समिति की सिफारिश के अनुसार समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वे बहुत ही पुराने हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो चावल कूटने का कार्य करने के लिए अन्य क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा में चीनी का कारखाना

1371. श्री दशरथ देव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से त्रिपुरा में एक चीनी का मिल खोलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्रिपुरा में छोटी सिंचाई योजनाय

1372. श्री दशरथ देव : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में आरम्भ की गई सब लघु सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सका था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्रियान्वित न की जा सकी योजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) इन योजनाओं की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कितनी भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) पूछी गई जानकारी त्रिपुरा सरकार से इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में पुल

1373. श्री दशरथ देव : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में गुम्पती, देव, मुहरी और खोवाई नदियों पर पुल बनाने का कार्य, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल था, क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन में से कौन कौन से पुलों का निर्माण नहीं किया जा सका; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) तृतीय पचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा में कुल मिला कर छः बड़े पुल बनाने का प्रस्ताव था जो कि इस प्रकार है :—

(1) खोवाई—तेलियामुरा सड़क पर चेबरीघाट के स्थान पर खोवाई नदी पर पुल;

(2) अगरतला–उदयपुर–सबरूम सड़क से 32 मील दूरी पर नदी गोमती पर पुल ।

(3) कुमारघाट—कैलाटाहर सड़क पर कुमार घाट के स्थान पर नदी देव पर पुल ।

(4) उदयपुर–सबरूम सड़क पर मुहरी नदी पर पुल ।

(5) बेलोनिया—बोगाफा सड़क पर मुहरी पर पुल ।

(6) उदयपुर—मालाधार सड़क पर गुमती नदी पर पुल ।

क्रम संख्या (1), (2), (3) और (4) पर दिये गये पुलों का निर्माण इस समय चालू है । क्रम संख्या (5) और (6) पर दिये गये शेष दो पुलों की स्थिति और भाग (ग) का उत्तर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर दिया जायेगा ।

खाद्य निगम द्वारा राज्यों में खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लिया जाना

1374. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में तथा कुछ अन्य राज्यों में खाद्यान्न व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) जी हां। यह निर्णय किया गया है कि 15-11-1966 से मध्य प्रदेश में स्थित गोदाम तथा उनमें अनाज के स्टॉक और उनमें नियोजित कर्मचारी आज के खाद्य निगम द्वारा ले लिये जायेंगे। उस तारीख से उस राज्य में स्थित केन्द्रीय समाहार एकक भी निगम द्वारा ले लिया जायेगा। चालू खरीफ के मौसम के दौरान निगम राज्य सरकार की ओर से मकई, जवार और बाजरे की खरीद और वितरण का काम करेगा। केन्द्रीय सरकार के खाते में चावल का समाहार जो कि अब तक केन्द्रीय समाहार एकक द्वारा किया जाता रहा था अब निगम द्वारा किया जायेगा। 1-11-1966 से निगम ने दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के गोदामों को भी उनके अनाज के स्टॉक सहित अपने हाथ में ले लिया है।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के भाड़े में वृद्धि

1375. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाँइन्स कारपोरेशन के विमान भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या भाड़े में वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप होने वाली आय का कोई भाग यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए नियत किया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) किरायों को बढ़ाने के लिए कारपोरेशन द्वारा भेजा गया प्रस्ताव कारपोरेशन द्वारा किये जाने वाले उस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए है जो कि प्रत्यक्ष रूप से रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप हुआ है। इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन की ट्रंक लाइनों के लिए 'टेलेक्स' सम्पर्क व्यवस्था

1376. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की सभी ट्रंक लाइनों को राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा से जोड़ने तथा शहर और हवाई अड्डे के बुकिंग कार्यालयों के बीच "हाट लाइन" स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होगा; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री एन० संजीव रेड्डी) :(क) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स के कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई तथा बैंगलूर स्थित स्टेशनों पर 'नेशनल टेलेक्स' सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा दिल्ली में भी 4-11-66 से प्रदान कर दी गई है ।

कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, बेंगलूर तथा कोचीन में कारपोरेशन के टिकट घरों तथा हवाई अड्डों के बीच 'हाट लाइन' विद्यमान हैं। दिल्ली, गोहाटी, अगरतल्ला, मदुराई, गोआ, कोएम्बेतूर, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम् तथा त्रिची में भी यह सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) 'नेशनल टेलेक्स' सुविधा के हर स्टेशन पर वार्षिक किराये का खर्च 2210 रुपये है। इसके अलावा, किराया उसी अवधि के लिए दिया जाता है जिस समय इसका वास्तव में उपयोग किया जाय। उपयोग के लिए परिचालन का अनुमानित खर्च प्रति वर्ष 4 और 6 लाख के बीच है ।

मौजूदा 5 'हाट लाइनों' पर आवर्ती खर्च 7500 रुपये तथा अनावर्ती खर्च 600 रुपये है तथा प्रस्तावित 9 "हाट लाइनों' के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के आंकड़े क्रमशः 13,500 रुपये एवं 1,100 रुपये होंगे ।

कुमाऊं के पर्वतीय तथा सीमांत जिलों में मिट्टी का कटाव

1377. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमाऊं के पर्वतीय तथा सीमावर्ती जिलों में मिट्टी के कटाव की समस्या के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस कार्य के लिए सरकार का विचार एक अध्ययन दल नियुक्त करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी क जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कांडला पत्तन में आयातित गेहूं

1378. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन पर आयातित गेहूं, जहाजों से उतारे जाने के पश्चात् गोदामों में रखे जाने के लिये बोरों में भरे जाने से पहले बन्दरगाह पर खुली जगह में ढेरों में पड़ा रहता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दौरान समुद्र का पानी इधर उधर फिरने वाले कुत्ते, बिल्लियां तथा गधे इस गेहूं को खराब कर देते हैं और गेहूं को बोरों में भरते समय कभी कभी मरे हुए कुत्ते तथा बिल्लियां इन ढेरों में दबी हुई पाई जाती हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो यह सुनिश्चित् करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि गेहूं के ढेरों को इस तरह खुली जगह में न पड़े रहने दिया जाए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कांडला पर सामान्य रूप से अनाज को जहाजों से उतार कर पारवहन शेडों में ले जाया जाता है जहां पर कि इस को बोरों में भरा जाता है और तत्पश्चात, ट्रकों/रेलवे वैगनों में लादा जाता है या पत्तन गोदामों में जमा किया जाता है। भारी भीड़ के समय में, जब कि पारवहन शेडों मे कोई स्थान नहीं होता, जैसा कि अप्रैल-मई 1966 के दौरान हुआ, अनाज की कुछ मात्रा को इस पत्तन पर थौड़े समय के लिये खुली जगह में भी उतारना पड़ा था। इस समय खुली जगह में कोई अनाज नहीं उतारा जाता।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जो अनाज खुली जगह में उतारा जाता है उसे साथ के साथ ही बोरियों में भर दिया जाता है या यथाशीघ्र बोरियों में भर दिया जाता है और तिरपाल/पोलीथीन से ढक कर रखा जाता है।

Bridge over Ganga

1379. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 206 on the 26th July, 1966 and state:

(a) whether the Directorate of Transport Research has since finalised its report in regard to the scheme for constructing a bridge over Ganga; and

(b) if so, the main recommendations thereof?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) No, Sir. The report is still under finalisation.

(b) Does not arise.

Fertilizer Factory in Cooperative Sector

1380. Shri Sarjoo Pandey:
Shri Kindar Lal:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 205 on the 26th July, 1966 and state:

(a) the progress since made in regard to the proposal for the establishment of a fertilizer factory in collaboration with the U.S.A.I.D.;

(b) whether the team from U.S.A., which was scheduled to visit India in September last, came here;

(c) if so, whether it has submitted any report in this regard; and

(d) the places visited by the team?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) The U.S. Fertiliser Feasibility Study Team to explore the possibilities of setting up a fertiliser factory in the cooperative sector in India has since arrived and is continuing its feasibility study in the country.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) The team has visited the following places:

Gujarat
Ahmedabad
Baroda
Anand
Kandla

Uttar Pradesh

Bulandshahr
Bhaghpat (Meerut)
Lucknow
Saharanpur
Dehradun and Mussorie
Mirzapur and Varanasi

Maharashtra

Bombay
Poona
Kolhapur
Aurangabad
Sangli
Ahmednagar
Pravarnagar (Ahmednagar)

Bihar

Dhanbad
Barauni

Kerala

Cochin
Kothagudam

Andhra Pradesh

Hyderabad
Vishakhapatnam

Madras

Madras
West Bengal
Calcutta.

मैसूर में लघु सिंचाई कार्यक्रम

1381. श्री ह्न० च० लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में सिंचाई के कुंएं तथा तालाब शीर्षक के अन्तर्गत कितने लघु सिंचाई कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये तथा उन पर कितना धन खर्च किया गया ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कितने लघु सिंचाई कार्यक्रम क्रियान्वित करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसूर राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं पर कुल 35·64 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई जिसमें पावर लाइन विस्तार पर खर्च किए गए 7·07 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। इस में से 7·12 करोड़ रुपये नए कुएं बनाने में खर्च हुए और 16·08 करोड़ रुपये सभी किस्म की लघु सिंचाई योजनाओं पर खर्च हुए जिसमें तालाबों का नविकरण भी शामिल है। अनुवर्ती खर्च का बड़ा भाग तालाबों पर लगा। नवीनतम सूचना के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 28,393 नए सिंचाई के कुएं बनाए गए और 4684 तालाब नए बनाए गए।

(ख) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के वर्किंग ग्रुप आन एग्रीकल्चर ने प्रस्ताव सुझाव दिया है कि मैसूर में चौथी योजना अवधि के दौरान निम्न प्रकार से लघु सिंचाई कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने चाहिएं :—

जी एम एफ सैक्टर	चौथी योजना वित्तीय खर्च
	(रुपये करोड़ों में)
जी एम एफ सैक्टर	
1. सरफेस वाटर फलो सिंचाई योजनायें	18·60
2. सरफेस लिफ्ट सिंचाई योजनाय	1·40
3. कुएं खोदना, पम्पसैट्स तथा कुओं का बोर करना	20·00
4. भूमि जल सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल	0·25
5. एप्लाईड नूटरीशनल प्रोग्राम	0·25
कुल :	40·59
सहकारिता सैक्टर	
लैण्ड मार्टगेज बैंक	20·00

ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रस्तावित कार्यक्रम से निम्नलिखित लाभ होंगे :—

	चौथी योजना
	(000 एकड़)
(1) नई सिंचाई	504.00
(2) स्थायीकरण सिंचाई	55.00
(3) नाली तथा बांध	23.75
(4) भूमि जल रिचार्ज	5.00
कुल :	587.75

पर्यटन सम्बन्धी गोल मेज सम्मेलन

1382. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने के विभिन्न उपायों पर विचार करने के लिये पर्यटन सम्बन्धी एक गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) : जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में किये गये विचार-विमर्श अनौपचारिक प्रकृति के थे इसलिये कोई औपचारिक निर्णय नहीं किये गये । तथापि , जो बातें विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत हुई उनका सम्बन्ध हवाई टरमीनलों और विमान सेवाओं, सड़क परिवहन, होटल आवास, पर्यटकों के लिए मनोरंजन, विदेशी मुद्रा के 'लीकेज' सम्बन्धी समस्याएं, पर्यटकों को सामान्यतया दी जाने वाली सुविधाएं, पर्यटन-हित के क्षेत्रों का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार से था । सम्मेलन में दिए गए सुझावों की जांच की जा रही है ।

Handling of Foodgrains at Agra Depot

1383. **Shri Bagri:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2300 on the 16th August, 1966 regarding the handling of foodgrains at Agra Depot and state:

(a) whether special Police Establishment have started investigations in this case;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) if so, the stage which the enquiry has reached?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The enquiry is in progress and at the stage of recording statements.

फसलों की उपज बढ़ाने का नया तरीका

1384. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूट्रांन नमी मापक यंत्र तथा गामा-किरण एषणी (गामारे डेंसिटी प्रोव) के आविष्कार के परिणामस्वरूप फसलों की उपज बढ़ाने के नये तरीके का विकास किया गया है जैसाकि 29 अक्तूबर, 1966 को दिल्ली में नमी मापने में न्यट्रांन के प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तिम अधिवेशन में अणु-शक्ति विभाग के भूतत्वीय सलाहकार ने कहा था; और

(ख) यदि हां, तो फसल की उपज बढ़ाने के लिए इन यंत्रों का उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : इस विषय में एक नोट संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—7316/66**]

टीपू सुल्तान सड़क

1385. श्री इम्बीचीबाबा :
श्री उमानाथ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में त्रिचूर तथा पालघाट जिलों में टीपू सुल्तान सड़क के निर्माण-कार्य को वरिष्ठता देने के बारे में विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ग) इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग) प्रस्तावित टीपू सुलतान रोड़ केरल राज्य में एक स्थानीय सड़क है । केरल सरकार, इसलिए, इससे मुख्य रूप से सम्बंधित है । उसने सूचना दी है कि कार्य को उसकी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में शामिल किया गया है और योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने और कार्य आरम्भ किये जाने का अधिकार दिए जाने के बाद ही निर्माण आरम्भ किया जा सकता है। यदि कार्य 1967-68 के दौरान आरम्भ हो गया तो सड़क चतुर्थ योजना अन्त से पहले पूरी हो जाने की उनको आशा है ।

केरल में छोटी और मध्यम दर्जे की बन्दरगाहें

1386. **श्री इम्बीचीबावा :** **श्री उमानाथ :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में छोटी और मध्यम दर्जे की किन-किन बन्दरगाहों के तलकर्षण के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : केरल से संबंधित चतुर्थ योजना के प्रस्तावों पर शीघ्र ही योजना आयोग के साथ चर्चा की जाएगी ।

केरल में पालघाट में पैकेज कार्यक्रम

1387. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री उमानाथ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केरल में पालघाट जिले में पैकेज कार्यक्रम की क्रियान्विति में विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि कृषकों को ऋण देने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक, पालघाट को रिज़र्व बैंक ने ऋण देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक, पालघाट को अग्रिम धन के रूप में रुपया देने से इन्कार करने के बारे में भारत सरकार को कोई पता नहीं है । राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में राशन की एक से अधिक अधिकृत दुकानों से राशन लेने के बारे में शिकायत

1388. **श्री बागड़ी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी ज़ोन में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक ही समय अधिक अधिकृत राशन की दुकानों से तथा जाली रिहायशी पतों पर राशन लेकर अनाज के दुरुपयोग के बारे में दिल्ली राशनिंग अधिकारियों को हाल ही में एक संसद्-सदस्य से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या इस शिकायत के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) सम्बन्धित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अग्रेतर कार्यवाही उस से इस नोटिस का उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् की जायेगी ।

Cow as a National Animal

1389. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to declare cow as a national animal;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) to (c) The question of declaration of the National Animal is under consideration.

बर्मा से बीज के आलू का आयात

1390. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मैसूर राज्य की सरकार तथा वहां की जनता ने बर्मा से ऐसे बीज के आलू का आयात करने के लिए अभ्यावेदन किये हैं, जिनकी उपज देशी किस्म के आलू की तुलना में अधिक होती है ;

(ख) क्या ऐसे अभ्यावेदन गत वर्ष भी प्राप्त हुए थे ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। तालक प्राइमरी एग्रीकल्चुरल प्रोड्यूस मारकिटिंग सोसायटी लिमिटेड चिकबालापुर, मैसूर राज्य के अध्यक्ष से बर्मा से 2000 टोन्ज़ बीज के आलू का आयात करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस मांग का मैसूर राज्य सरकार ने समर्थन किया है।

(ख) जी हां, ऐसा ही अभ्यावेदन गत वर्ष भी उसी संगठन से प्राप्त हुआ था।

(ग) गत वर्ष बीज के आलू के आयात की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि :—

(1) अच्छी किस्म के बीज के आलू पर्याप्त मात्रा में देश में उपलब्ध थे।

(2) केंद्रीय आलू अनुसन्धान संस्था, शिमला के द्वारा जो परीक्षण किए गए हैं उनसे पता चलता है कि बर्मा के बीज के आलुओं की अपेक्षा देशीय किस्म अधिक अच्छी है; और

(3) विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक नहीं थी।

इस वर्ष भी यह निर्णय किया गया है कि उन्हीं कारणों को ध्यान में रख कर बर्मा से बीज के आलू आयात न किए जायें।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन

1391. **श्री रामचन्द्र मलिक :** **श्री सुधान्शु दास :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में और 1965–66 में अब तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने पर्यटन विमानों से तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के माध्यम से कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ; और

(ख) उक्त अवधि में विमान दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) 1964–65 और 1965–66 के वर्षों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा की राशियां क्रमश: 400.42 लाख रुपये और 358·72 रुपये थीं। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था से व पर्यटक चार्टरों से अर्जित राशियां निम्न प्रकार हैं :—

	1964–65 लाख रुपये	1965–66 लाख रुपये
अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था	368.59	332.00
पर्यटक चार्टर	16.71	3.27

(ख) आई० ए० सी० के विमान-बेड़े में कैरेवेल और फोकर वायुयानों का बीमा हुआ होता है। इसलिए ऐसे वायुयानों की दुर्घटना के कारण कारपोरेशन को कोई हानि नहीं हुई है। कारपोरेशन के विमान-बेड़े में अन्य वायुयानों का बीमा नहीं हुआ होता है। ऐसे वायुयानों की दुर्घटना के कारण कारपोरेशन को 1964–65 और 1965–66 के वर्षों के दौरान 4.65 लाख रुपये की हानि हुई।

केरल में थेक्काड़ी हवाई अड्डा

1392. **श्री मणियंगाडन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में थेक्काड़ी के निकट एक हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ; और

(ग) क्या इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) थेक्काड़ी के निकट इस प्रयोजन के लिए एक स्थान का निरीक्षण किया गया परन्तु वह उपयुक्त नहीं पाया गया । दूसरे उपलब्ध स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां ।

Publicity Material Relating to Agriculture

1393. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the publicity material relating to agriculture published during the last one year;

(b) the percentage of publications published in English and of that published in Indian languages respectively out of the aforesaid material; and

(c) the percentage of English knowing agriculturists in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) A statement showing the titles of publications brought out during the period November, 1965 to October, 1966 in Hindi, English and other regional languages is enclosed. [*Placed in Library,* See *No. LT-7317/66*].

(b) About 52 per cent in English, 36 per cent in Hindi and about 12 per cent in other Indian languages. Several more Hindi publications are in various stages of production.

(c) No information is available.

Publication of Judgements of High Courts in Hindi

1394. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1756 on the 9th August, 1966 and state:

(a) whether a decision on the proposal to publish a journal containing Hindi versions of the important decisions of the High Courts which was under consideration of Government has since been taken; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इर्विन हस्पताल को दूध की सप्लाई

1395. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारियों ने 1 नवम्बर, 1966 को इर्विन हस्पताल को दूध की सप्लाई बन्द कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या उक्त अस्पताल को अब पुनः दूध दिया जाने वाला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तूतीकोरिन हवाई अड्डा

1396. श्री मुथिया : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डा नियंत्रक, मद्रास ने तूतीकोरिन के निकट एक हवाई अड्डा बनाने के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिश की गई है तथा उसमें कौन सा स्थान सुझाया गया है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) वागाइकुलम के निकट, तूतीकोरिन से ग्यारह मील दूर और तूतीकोरिन––टिन्नेवेली रोड के डेढ़ मील दक्षिण में स्थित एक स्थान हवाई अड्डे के विकास के लिए उपयुक्त समझा गया है ।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

सिलचर-जिरिबूम-मणिपुर सड़क

1397. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर–जिरिबूम–मणिपुर सड़क पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके पूरी होने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) इस सड़क पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं। माननीय सदस्य शायद मनीपुर राज्य में सड़क के भाग का उल्लेख कर रहे हैं ।

(ख) सामान्य विधि तथा व्यवस्था की दशाओं के अन्तर्गत इस कार्य के चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) निर्माण पर कुल अनुमानित लागत 564 लाख रुपये है । इसमें से 57 लाख रुपये दूसरी पंचवर्षीय योजना में और लगभग 202 लाख रुपये तीसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च किये गये थे । शेष 305 लाख रुपये चौथी पंचवर्षीय योजना में खर्च किये जाने की सम्भावना है ।

शिलांग-जोवाई-बदरपुर सड़क

1398. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिलांग–जोवाई–बदरपुर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का है ;

(ख) क्या आसाम सरकार ने इस सड़क के विभिन्न चरणों के निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय का कोई ब्यौरा भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) शिलांग जोवाई-बदरपुर सड़क शिलांग अगरतला सड़क का, जो राज्य सड़क है और इसका कुछ भाग आसाम में और कुछ भाग त्रिपुरा में है, ही भाग है । इस सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के बारे में समय समय पर प्रस्ताव रखे गये थे । परन्तु वित्तीय सीमांओं के कारण इन प्रस्तावों को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका । फिर भी इस क्षेत्र में यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारत सरकार आसाम में जोवाई (पासी) से बदरपुर तक सड़क में टूटे हुए भागों का विकास करने का स्वयं वित्तपोषण कर रहा है । अनुमान है कि इस कार्य पर 2.22 करोड़ रुपये खर्च आयेगा और इस कार्य में काफी प्रगति हुई है। राज्य सरकार ने आसाम में समूची सड़क में अतिरिक्त सुधार करने के लिये प्राक्कलन भेजे हैं । इस प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं हो सका है कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान आवश्यकता के संदर्भ में कोई अन्य विकास-कार्यों को हाथ में लेना अनिवार्य है । इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये भत्ते

1399. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 1, नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये प्रसादतः धन दिये जाने, बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता तथा सेवा-निवृत्ति संबंधी लाभों के सम्बन्ध में 20 जुलाई 1966 के समझौते तथा आश्वासनों को कार्यरूप देने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो क्या ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन-मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : 20 जुलाई, 1966 को आल इण्डिया पोर्ट एन्ड डाक वर्कर्स फेड्रेशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में जो निष्कर्ष निकले थे उन पर कायवाही में इस प्रकार प्रगति हुई है :—

(एक) प्रसादतः धन का भुगतान–निर्णय किया गया है कि बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कांडला मद्रास मर्मागोआ और विशाखापटनम पर मुख्य पत्तन न्यासों के सभी तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के

कर्मचारियों को सम्बन्धित लेखा वर्षों में उन्हें प्राप्त हुई मजूरी अथवा उपलब्धियों को 4 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाय। इस सम्बन्ध में पहली बार भुगतान लेखा-वर्ष 1965-66 में अर्जित मजूरी अथवा उपलब्धियों के आधार पर 1966-67 में किया जायेगा।

(ङ) **बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता**-बम्बई, मद्रास, कोचीन विशाखापटनम कांडला और मर्मागोआ के पत्तन न्यासों ने बच्चों के लिये शिक्षा भत्ता और ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ती देने के लिये योजनायें लागू की हैं। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों से प्रस्ताव अभी आने हैं।

(च) **सेवा-निवृत्ति संबंधी लाभ**—यह विषय विचाराधीन है।

कलकत्ता बन्दरगाह पर लादे गये आयातित गेहूं की मात्रा में वृद्धि

1400. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह पर तोलने की मशीनों तथा तुलासेतुओं में खराबी होने के कारण पश्चिम बंगाल तथा आसाम के उन आटा मिलों को, जिन्हें अनाज दिया जाता है, अनुमानित तोल के आधार पर गेहूं दिया जाता है;

(ख) क्या इस अनुमानित तोल के कारण उन्हें गेहूं बहुत कम मात्रा में मिलता है, जबकि उन्हें अधिक मात्रा के लिये धन देना पड़ता है, और उन्हें लाखों रुपये की हानि होती है

(ग) क्या इन दो राज्यों के कुछ आटा मिलों से सरकार को ऐसे दावे प्राप्त हुए हैं कि जून से सितम्बर तक कलकत्ता तक बन्दरगाह से भेजा गया गेहूं कम उतरा है; और

(घ) यदि हां, तो उन आटा मिलों द्वारा दी गई अधिक राशि को लौटाने अथवा उन्हें वास्तव में कम दिये गये गेहूं की सप्लाई करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) कलकत्ता बन्दरगाह पर अनाज के जहाजों की अभूतपूर्व भीड़ और इससे रेल यातायात में हुई भारी वृद्धि के कारण पत्तन आयुक्तों को जून से सितम्बर, 1966 तक अपने रेलवे तुला-सेतुओं से अनाज माल डिब्बों का तोला जाना अस्थायी रूप से बन्द करना पड़ा था। इस अवधि में, चूंकि पत्तन-आयुक्तों द्वारा तुला-सेतुओं से अनाज तोलना बन्द रहा, यह निर्णय किया गया कि आटा मिलों से उनके दिये गये तथा उसी जहाज से ट्रकों में ले जाये गये और सड़क तुला-सेतुओं पर वजन किये गये गेहूं के लिये प्रति बोरी औसत भार के आधार पर खाता किया जाये। तथापि विलम्ब न होने देने तथा रेलवे रसीदों में वजन का उल्लेख करने के लिये 24 मीट्रिक टन, जो बाद में बदल कर 23 मीट्रिक टन कर दिया गया था, प्रति माल डिब्बा की दर को माना गया था। इस अस्थायी वजन और सड़क सेतुओं पर किये गये औसत वजन के आधार पर निश्चित किये गये वजन

के बीच अन्तर के लिये आटा मिलों को प्रतिपूर्ति देय है।, अतः अनाज के माल-डिब्बों को न तोले जाने के कारण आटा मिलों को किसी हानि का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, यदि अस्थायी वजन के आधार पर कोई अधिक राशि ले ली गई है तो वह सम्बन्धित आटा मिलों को लौटा दी जायेगी।

Manufacture of Vanaspati in Co-operative Sector

1401. Shri Shinkre:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to issue licences to Co-operative Sector factories for manufacturing vegetable ghee;

(b) if so, the number of such factories in the country;

(c) the conditions on which licences would be issued to them; and

(d) the number of such factories in the country to which licences have been issued so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) At present no licences for new vanaspati factories are being issued but Government is considering the issue of licences in suitable cases to cooperative societies of groundnut growers.

(b) One such concern was licensed in August, 1965, based on utilization of existing idle capacity, but has not yet gone into production.

(c) These are being worked out.

(d) Does not arise.

पंजाब के गोदामों में गेहूं

1402. श्री बागड़ी : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 में सरकार द्वारा समाहार किये गये गेहूं का बड़ा भारी स्टाक अब तक पंजाब की मंडियों में गोदामों में भरा पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह गेहूं चूहों तथा कीड़ों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है; और

(ग) तो इतनी भारी मात्रा में गेहूं बर्बाद किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि देश में खाद्यान्न की बहुत भारी कमी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं। समाहार किये गये गेहूं का सारा स्टाक सरकार ने ले लिया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE. CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): The Minister of Home Affairs gave a wrong statement on the 9th instant and he misled the House and the country....

Mr. Speaker: It cannot be taken up in this manner. The hon. Member should table notice according to rules.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): I wrote to you regarding ban on the students march in Delhi on 18th November.

Mr. Speaker: I am looking into it. I will inform the Member.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : 7 नवम्बर की घटनाओं के बाद लोक सभा के परिषद् के सभी द्वार छुट्टियों के दौरान बन्द कर दिये जाते हैं। पिछली तीन छुट्टियों के दौरान मेरे लिये तथा अन्य सदस्यों के लिये संसद भवन में दाखिल होकर ध्यान दिलाने की सूचना दाखिल करना असम्भव हो गया। आप यह हिदायतें जारी करें कि ऐसे सुरक्षा अधिकारी वहां लगाये जायें, जो हमें जानते हों ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सम्बन्ध में मुझे लिखें। मैं जांच करूंगा तथा आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): May I know the reasons of the Home Minister not giving a statement today in regard to the ban on the national march of students?

Mr. Speaker: I will take it up tomorrow.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लागत लेखा प्रणाली रिकार्ड (सीमेंट) नियम

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरमन) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 542 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखा-प्रणाली रिकार्ड (सीमेंट) नियम, 1966 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 1402 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7305/61]

विमान (चौथा संशोधन) नियम, 1956 और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मोटर गाड़ी नियम का संशोधन

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत विमान (चौथा संशोधन) नियम, 196 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 196 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1600 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित । **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०-7306/66]**

(2) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 133/65/ एफ० संख्या 63-291/64-65-पत्र० की एक प्रति जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1965 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मोटर गाड़ी नियम, 1939 में एक संशोधन किया गया था

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-7307/66]

बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) नियम, केरल राज्य कृषि ऋण नियम आदि

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बहु-एकक सहकारी समितियां अधिनियम, 1942 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) नियम, 196 की एक प्रति जो दिनांक 8 अक्तूबर 196 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1552 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल कृषक ऋण अधिनियम, 1961 को धारा 9 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल राज्य कृषि ऋण नियम, 1963 में कतिपय संशोधन दिये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 371/65 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 387/65 जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) अधिसूचना संख्या जी० ओ० (पी) 577/65/एग्रि जो दिनांक 26 अक्तूबर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 1/66 जो दिनांक 4 जनवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 104/66 जो दिनांक 8 मार्च 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) एस० आर० ओ० संख्या 105/66 जो दिनांक 8 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) एस० आर० ओ० 238/66 जो दिनांक 21 जून, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) एस० आर० ओ० संख्या 251/66 जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) एस० आर० ओ० संख्या 314/66 जो दिनांक 16 अगस्त, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) एस० आर० ओ० संख्या 344/66 जो दिनांक 13 सितम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) एस० आर० ओ० संख्या 347/66 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(3) ऊपर की मद (2) को (एक) से (दस) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०—7309/66]

(4) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सरकार भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1966 की धारा 7 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 380/66 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 381/66 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 383/66 जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०—7310/66]

(5) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग)

(चार) के साथ पठित केरल भूमि विकास अधिनियम, 1964 की धारा 33 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 354/66 की एक प्रति जो दिनांक 20 सितम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल भूमि विकास योजनायें नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया था ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०—7311/66]

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रसन्नता की बात है कि विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण रखा गया है । इसकी एक प्रति सूचना कार्यालय में रखी जानी चाहिये ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

साठवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झंझुनू) : मैं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 के पैरा 57—गृह-कार्य मंत्रालय के विषय में अतिरिक्त अदायगी तथा परिहार्य व्यय—के बारे में लोक लेखा समिति का साठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक पर वादविवाद के बारे में नियम १०९ के अन्तर्गत प्रस्ताव

MOTION UNDER RULE 109 RE. DEBATE ON REPRESENTATIONS OF PEOPLE (AMENDMENT) BILL AND CONSTITUTION (TWENTY-FIRST AMENDMENT) BILL

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore): Do they intend to postpone the election?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं केवल कुछ दिनों का समय मांग रहा हूं । यदि हम इसे पांच दिन बाद लें तो इससे कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा । बहुत से सदस्य जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार गये हुए हैं वे चार पांच दिन में आ जायेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I strongly oppose the motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs. It has been proved during the last two sessions that the ruling party has become so unfit that it cannot ensure the requisite majority for passing a Constitution Amending Bill.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : सभा के कार्यक्रम के बारे में इस सरकार ने इतनी लापरवाही दिखाई है कि इस सम्बन्ध में वास्तव में कुछ करना चाहिये। एक सीधे से मामले के सम्बन्ध में भी सरकार यह कहती है कि हम इसे स्थगित करना चाहते हैं और उसका एक मात्र कारण वे यह बताते हैं कि सभा में उनके बहुत से सहयोगी बिहार तथा उत्तर प्रदेश गये हुए हैं। यह अच्छी बात है कि वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि देश के उस भाग में क्या हो रहा है।

जब संविधान में संशोधन तथा लोक प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित कोई मामला कार्य-सूची पर हो तो सरकार को उस विषय के बारे में अधिक गम्भीर होना चाहिये। सभा को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : संसद्-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव हास्यास्पद प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं एक प्रस्ताव रखा था कि यह कार्य सोमवार को नहीं बल्कि मंगलवार को लिये जाये।

क्या संविधान में यह उपबन्ध है कि किसी विधेयक पर मतदान केवल तभी होगा जब बहुमत हो। मैं नहीं जानता कि कोई संसद् इस प्रकार के प्रस्ताव से सहमत होगी। यह प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभा के समक्ष रखा गया यह प्रस्ताव इतना साधारण नहीं जितना कि संसद्-कार्य मंत्री तथा सभा नेता बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। गुरुवार को श्री ह० चं० माथुर ने यह मामला उठाया था और आप ने कहा था कि यदि सभा की ऐसी इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सोमवार को हम कोई और कार्य ले सकते हैं और इसे मंगलवार का लेंगे। तब मैंने नम्रता पूर्वक कहा था कि यह बुरा पूर्वोद्धारण बन जायेगा। (व्यवधान)

श्री विभूति मिश्र ने कहा था कि इतने कम समय में आना उनके लिये कठिन हो जायेगा। परन्तु आपका अन्तिम निर्णय यह था कि अब इसे मंगलवार को लिया जायेगा तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं की।

सदस्यों के अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलने के अधिकार के बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु क्या संसद् का कार्य कांग्रेस संसदीय दल के कुछ सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार बनाया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक के अनुसार सरकार द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से बनाये गये नियम सभा-पटल पर रखने होंगे ताकि संसद् आवश्यक संशोधन कर सके। इस स्थगन से नियमों का क्या होगा ? सरकार संसद् का अधिवेशन समाप्त होने के बाद नियम बना लेगी और चुनाव करा लेगी। सरकार को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये कि उनके अपने घोटाले के कारण हुए विलम्ब के बावजूद नियम संसद के स्थगित होने से पहले यहां लाये जायेंगे।

भविष्य में यदि किसी ऐसे राज्य में कोई कठिनाई हो जिससे हमारा अथवा अन्य विरोधी दलों का सम्बन्ध हो, तो क्या सरकार सभा के कार्यक्रम में परिवर्तन करेगी और उसे हमारी सुविधा के अनुसार बनायेगी ?

श्री ए० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस कार्य के लिये मंगलवार अन्तिम दिन निर्धारित किया गया था । मंत्री महादय उस दिन जानते थे कि इस संविधान में संशोधन करने के लिये आवश्यक बहुमत न होने के कारण स्थगित किया जा रहा है । हम उस के लिये सहमत हो गये थे ।

जब हम ने विद्यार्थियों में बेचैनी अथवा अन्य मामलों के सम्बन्ध में चर्चा करने की मांग की तो तुरन्त ही यह कहा गया कि इसके लिये समय नहीं है । परन्तु कल भी गणपूर्ति न होने के कारण आधे घंटे के लिये सभा स्थगित की गई । पिछले सप्ताह में गणपूर्ति न होने के कारण सभा को दो बार स्थगित करना पड़ा । क्या उससे समय की हानि नहीं होती ।

यहां उत्तर प्रदेश के बुरी तरह प्रभावित जिलों के सभी सदस्य उपस्थित हैं । इसलिये, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर वाद-विवाद केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की सुविधा के लिये स्थगित किया जा रहा है क्योंकि उनमें से कुछ चुनाव के लिए टिकट के सम्बन्ध मे गये हुए हैं । इस कारण वाद-विवाद बिल्कुल स्थगित नहीं किया जाना चाहिये ।

संसद-कार्य मंत्री को यह निश्चित आश्वासन देना चाहिये कि नियम निश्चित रूप से चुनाव से पहले सभा-पटल पर रख जायेंगे ।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): I oppose the motion moved by the leader of the House. The fact of the matter is that the Members have gone to Uttar Pradesh and Bihar for tickets and internal disputes of the Congress party and not because of drought.

Sufficient number of Members are present in the House. Within 5 or 6 days other important matter may crop up. It appears that the Government intend to postpone the elections.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): At the time of moving Adjournment Motion, if fifty persons are not there, we are not allowed to ask for time. If this matter is being postponed because of the requisite number of Members not being available time should also be allowed when we ask for it. (*Interruptions*).

Shri Bagri: Mr. Speaker, Sir, I will appeal through you to the Leader of the House to pass this Bill and maintain the dignity of the House.

श्री राम सहाय पाण्डेय : विरोधी दलों के सदस्यों ने बहुत से संवैधानिक प्रश्न उठाये हैं । अत: सभा विधि मंत्री के विचार सुनने के लिये इच्छुक है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : संविधान का यहां पर कोई खास सवाल तो आता नहीं । एक दो सप्ताह में रबी की फसल उगाने का समय समाप्त हो जायेगा । तब बहुत से सदस्य जो इस सम्बन्ध में गये हुए हैं .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल यह पूछा गया है कि क्या सरकार नियम बना सकेगी और समय पर उन्हें सभा पटल पर रख सकेगी ।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : जहां तक नियमों को सभा पटल पर रखने का सम्बन्ध है, मैं निस्सन्देह उन्हें समय पर सभा पटल पर रख दूंगा। उन्हें उन पर टिप्पणी करने के लिये पर्याप्त समय मिल सकेगा ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे माननीय मित्र, श्री कामत ने पूछा था कि क्या हम ने कभी ऐसे मामलों में विरोधी दल को अवसर दिया है। एक बार नहीं.....

श्री हरि विष्णु कामत : आप एक विवरण सभा पटल पर रख दें। मुझे किसी अवसर का पता नहीं है ।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : वैधानिक कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित प्रस्तावों के बारे में कई बार।

श्री हरि विष्णु कामत : नियमों के बारे में क्या ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : जब तक राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं दे देते हैं, मैं नियमों को सभा पटल पर नहीं रख सकता। मैं नियम तैयार रखूंगा और अनुमति मिलते ही सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि सत्र दो तारीख को समाप्त हो जायेगा। अब विधि मंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह नियम बनाने का काम आरम्भ नहीं कर सकते। यह बात मेरी समझ में नहीं आई है ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : नहीं, नहीं। नियम तैयार होंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या राज्य सभा भी उनका अनुमोदन करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 153; विपक्ष में 30 ।

Ayes 153; Noes 30.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : सभा के नेता ने मत नहीं दिया है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): I want to know something about the report presented here by Shri Morarka.

Mr. Speaker: I cannot allow discussion on that report at present.

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक—जारी

EMPLOYEES' STATE INSURANCE (AMENDMENT) BILL—contd.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : (आनन्द) कल मैं उपधारा 51घ का उल्लेख कर रहा था। इसके अन्तर्गत यदि कोई कर्मचारी घायल व्यक्तियों को बचाने की सेवा करता है, तो उसको संरक्षण दिया जायेगा ।

खण्ड 24 के अन्तर्गत व्यावसायिक रोग को रोजगार सम्बन्धी क्षति समझा जायेगा ।

खण्ड 26 में चिकित्सा बोर्डों को मामला भेजने, चिकित्सा अपील न्यायाधिकरणों तथा कर्मचारी बीमा अदालतों को अपील करने का उपबन्ध है । इस योजना में चिकित्सा सहायता, बीमार पड़ने पर चिकित्सा लाभ, महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति लाभ आदि की यवस्था तो की गई है परन्तु बुढ़ापे में कर्मचारियों का संरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की गई है ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान लोक लेखा समिति के वर्ष 1965–66 के 54वें प्रतिवेदन की ओर भी दिलाना चाहता हूं ।

मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या यह विधेयक जम्मू और काश्मीर राज्य पर भी लागू होगा ?

यह संगठन श्रेय का पात्र है क्योंकि इसने, जो भी शिकायत इसकी जानकारी में लाई गईं, उनको दूर करने का प्रयत्न किया ।

इस विधेयक में उल्लिखित सुझावों से योजना का काम सरल ढंग से होने और प्रशासनिक खर्चे में काफी बचत होने की सम्भावना है ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे स्मरण है कि हमने प्रार्थना की थी कि अलीगढ़ विधेयक तथा बनारस विधेयक को इकट्ठा ले लिया जाये । पिछले सत्र में शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि इन दोनों विधेयकों को इकट्ठा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे मामलों पर, जिनकी जानकारी मंत्री महोदय को है, कोई विनिर्णय नहीं दे सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप बाहर जाने से पहले जो भी अध्यक्षपीठ पर हों उनसे अनौपचारिक रूप से बातचीत करके अपना निर्णय हमें बता जायें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मेरी आवश्यकता हुई तो मैं पुनः आने को तैयार हूं ।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : चाहे यह विधेयक देरी से लाया गया है परन्तु मैं फिर भी इसका स्वागत करता हूं ।

मैं 400 रुपये से 500 रुपये महावार पाने वाले कर्मचारियों को शामिल करने की बात का विशेष रूप से स्वागत करता हू ।

"आश्रित" शब्द की परिभाषा भी बदल दी गई है। अब इस शब्द के अन्तर्गत विधवा माँ के मां-बाप को शामिल कर दिया गया है। छूट-सीमा को 150 रुपये से बढ़ा कर 200 रुपये किया जा रहा है, जो बहुत सराहनीय बात है। विकलांगता तथा आश्रितता लाभ की दर में संशोधन किया जा रहा है। वास्तव में प्रस्तुत विधेयक में अनेक कल्याणकारी उपबंधों की व्यवस्था है।

एक बात यह है कि डाक्टर लोग शिकायत करते हैं कि डाक्टरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कारखानों के कर्मचारी कुछ दबाव डालते हैं, और उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है अन्यथा ये कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, कर्मचारियों को इस प्रकार दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपनी सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और इन उदार उपबन्धों का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। दूसरी ओर कर्मचारी शिकायत करते हैं कि उन्हें उन लाभों से वंचित रखा जा रहा है जो कि उन्हें प्रस्तुत विधेयक के अधीन मिलने चाहिएं क्योंकि काफी हद तक यह राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। कर्मचरी इस बात की आशा करता है कि अस्पतालों में आम आदमी की अपेक्षा उसे अधिक लाभ तथा सुविधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि वह इसके लिए भुगतान कर रहा है। जनता की भी मांग है कि उसे चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिएं। कर्मचारी की यह दलील ठीक है कि उसे आम जनता की अपेक्षा विशेष उपचार मिलना चाहिए क्योंकि वह इसके लिए भुगतान करता है। जनता और कर्मचारियों के दिमागों से इस असंगत विचारधारा को दूर करने के लिए राज्य सरकारों तथा बीमा निगम के बीच कोई समझौता होना चाहिए। जब कर्मचारी आवश्यक लाभ एवं सुविधा प्राप्त करने के लिए धन दे रहा है, तो उसे आम आदमी की अपेक्षा अधिक लाभ एवं सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

डाक्टर द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यक औषधियों का अस्पतालों में रखा जाना जरूरी है। किन्तु कर्मचारियों द्वारा इनके लिए धन दिये जाने के बावजूद भी, उन्हें ये औषधियां अस्पतालों से बहुत कम मिलती हैं। यह कहना सर्वथा ठीक है कि कर्मचारियों को उस सीमा तक लाभ एवं सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जहां तक उन्हें मिलने चाहिएं। मंत्री महोदय को इस विषय पर विचार करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर, इस प्रश्न के इस विशेष पहलू पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit): Mr. Speaker, Sir, the Principal Act has been completely modified in the form of this Amendment. However, I welcome this Bill as it has certain good provisions for the welfare and benefit of the workers. For example, the raising of the existing wage-limit for coverage of employees from Rs. 400 to Rs. 500 per month, the grant of Funeral Benefit, simplification of qualifying conditions for maternity benefit are among the welcome features of the Bill. The Bill applies to those seasonal industries which work for not more than seven months a year. This period should be increased to 11 months. Compared with the old rates, the contribution is made by the employees has been considerably increased, which, I feel, should be reduced. The hon. Minister should look into this matter.

[Shri Mohan Swarup]

It has been provided in the Bill that a Member of Parliament will cease to be a member of the Employees' State Insurance Corporation when he/she ceases to be a Member of Parliament. I feel he/she should be allowed to continue as a member of the Corporation for his full term even if he ceases to be a Member of Parliament earlier.

Sections 27 and 31 of the Principal Act should not be omitted.

The exemption limit for employees' contribution which was being raised from the present below rupee one to below Rs. 1.50 per day should be raised to Rs. 2.

In Clause 17, provision has been made to realise contributions from the employees in case they failed to pay hem, but it is regrettable that no provision has been made therein to deal with the employers who do not pay their contributions.

It is being provided in sub-Clause (c) of Clause 21 that sickness benefit will not be paid to any person for more than 56 days in any two consecutive benefit periods. The sickness benefit should be paid till the illness lasts.

Supporting the Bill, I will now conclude by saying that the benefits which the workers deserve should be given to the extent they ought to.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधान श्रमजीवी वर्ग के सामाजिक कल्याण तथा लाभ के लिए है। इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेषत: पश्चिम बंगाल के सदस्यों ने उस राज्य में चिकित्सा सम्बन्धी लाभों तथा अस्पतालों के कार्य-संचालन के बारे में असन्तोष व्यक्त किया है। यह योजना इस समय देश में 38 लाख कर्मचारियों पर लागू होती है और इसका आगे विस्तार हो जायेगा। इतनी बड़ी योजना में कुछ कमजोरियों, त्रुटियों तथा कमियों का होना अस्वाभाविक नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार अस्पतालों, औषधालयों तथा डाक्टरों के 'पेनल' पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। मैंने स्वयं बहुत से अस्पतालों तथा औषधालयों का निरीक्षण किया है और डाक्टरों के पेनल का कार्य-संचालन भी देखा है। हमने चिकित्सा विशेषज्ञों के बहुत से दल नियुक्त किये हैं जो भिन्न भिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कभी-कभी वे विभिन्न अस्पतालों एवं औषधालयों में अचानक ही चले जाते हैं और विभिन्न चिकित्सा सम्बन्धी उपायों को सुझाते रहते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यसंचालन के इस महत्वपूर्ण पहलू पर सरकार निरन्तर ध्यान देती रहेगी।

संशोधन विधेयक में एक व्यवस्था यह की गई है कि यदि किसी राज्य में यह योजना सफलतापूर्वक नहीं चल पाई, तो उस स्थिति में केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य की अनुमति से उसे अपने हाथ में ले सकती है। यदि हमें यह मालूम हो जाये कि हमारे कर्मचारियों को उस हद तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है जितना कि उनको मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार उपचार कार्यवाही करने से नहीं हिचकेगी। इस सम्बन्ध में यदि किसी राज्य को कोई वास्तविक कठिनाई महसूस हो तो उसकी सहायता के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे।

मेरे माननीय मित्र श्री स० मो० बनर्जी ने अन्त्येष्टि लाभ की राशि के बारे में यह विचार व्यक्त किया था कि 100 रुपये प्रति व्यक्ति राशि पर्याप्त नहीं है। किन्तु इस प्रकार के लाभ

की व्यवस्था पहली बार ही की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा की स्थायी समिति ने, जिसमें कर्मचारियों, नियोजकों तथा सरकार सभी के प्रतिनिधि मौजूद थे सर्वसम्मति से यह निर्णय किया है। हमने ऐसा महसूस किया कि आरम्भ में अन्त्येष्टि लाभ 100 रुपये प्रति यक्ति निर्धारित किया जाये और इसे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर, इस सम्बन्ध में बाद में निर्णय लिय. जा सकता है ।

इस बात की जोरदार आलोचना की गई है कि नियोजकों से वसूली करने के सम्बन्ध में निगम प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर रहा है । जहां तक लक्ष्मी रत्तन कौटन मिल्स, कानपुर का सम्बन्ध है, 13 मई, 1966 को उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है । निगम तथा कथित पूंजीपतियों तथा बड़े-बड़े मिल मालिकों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही करने तक कभी नहीं हिचकिचाया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने उन कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है जो बीमा-शुदा यक्तियों को औषधियां प्राप्त करने में होती हैं । केवल उन दवाइयों को छोड़ कर जो विशेषज्ञों द्वारा बताई जाती हैं, शेष सभी औषधियों को कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय देते हैं । तालिका चिकित्सकों के लिए तीन सूचियां हैं । कुछ मामलों में तालिका-डाक्टर अपने ही भण्डारों से औषधियां देते हैं । कुछ मामलों में वे रोगियों को औषधि-विक्रेताओं के पास भेज देते हैं । जिन मामलों में कुछ औषधियां केवल विशेषज्ञों द्वारा ही बताई जानी होती हैं। वहां रोगियों को विशेषज्ञों के पास भेज दिया जाता है । यदि प्रशासन को किसी प्रकार सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़े, तो इस सम्बन्ध में सरकार समुचित कार्यवाही करेगी ।

जहां तक इस योजना को मौसम कारखानों पर लागू करने का सुझाव है, सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी और यदि संभव हुआ , तो उचित कार्यवाही की जायेगी ।

जहां तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का सम्बन्ध है, मैंने यह आश्वासन दिया था कि यदि कर्मचारियों की कोई वाजिब शिकायत है, तो हम आपस में बैठ कर विचार-विमर्श करने तथा उपचार कार्यवाही करने के लिए सदा तैयार रहेंगे । मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अनुशासनहीनता तथा कदाचार को सहन नहीं करेगी जिसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध उसका कड़ी कार्यवाही करने का विचार है ।

जहां तक निलम्बन आदेशों को वापस लेने का सम्बन्ध है, ऐसे अनेक मामलों में, जहां कर्मचारियों ने अपनी कार्यवाहियों के लिए खेद व्यक्त किया, उनके निलम्बन आदेश वापिस ले लिए गए हैं । अन्य कर्मचारी जो कदाचार, हिंसा तथा अन्य आपत्तिजनक कार्यवाहियों के लिए अपराधी हैं, अभी निलम्बित रहेंगे और उन्हें आरोप-पत्र दिये जा रहे हैं तथा उचित कार्यवाही की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 40 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 40 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 40 were added to the Bill.

खंड 41—नयी धारा 99क का रखा जाना

Clause 41—Insertion of new Section 99A

संशोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 21, पंक्ति 24,——में "purposes" ["प्रयोजनों"] के स्थान पर "pr

["उपबन्धों"] शब्द रख दिये जायें । (3)

[श्री शाहनवा

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 41, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 41, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 41, as amended, was added to the Bill.

खंड 42 और 43 विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 42 and 43 were added to the Bill.

खंड 1, संक्षिप्त नाम, आरम्भ तथा लागू

शोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, में

"1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये । (2)

[श्री शाहनवाज ख

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में "Sixteenth year" [सोलहवां वर्ष"] के स्थान पर "Seventeeth year" ["सत्रहवां वर्ष"] रख दिये जायें ।

[श्री शाहनवाज खां]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया ।

The motion was adopted.

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यद्यपि निलम्बित कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप हैं, तथापि सरकार को उन्हें क्षमा कर देना चाहिए और उन्हें दिये गये आरोप-पत्रों को वापस ले लेना चाहिए ।

दूसरी बात यह कि सरकार को ऐसे स्वस्थ बीमा-शुदा व्यक्ति को, जो किसी वस्तु के लिए कभी दावा नहीं करता, दावा न करने की कुछ छूट जरूर देनी चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : चूंकि कर्मचारियों द्वारा अब हड़ताल वापस ले ली गयी है और निगम में कोई गड़बड़ नहीं है, अतः कर्मचारियों के मामलों पर अधिक सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): इन मामलों का पुनर्विलोकन पूरी सहानुभूति के साथ किया जायगा । सरकार उन कर्मचारियों को, जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पुरस्कार देने की इस योजना पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना मिली है कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद बीमार हैं और विलिंगडन अस्पताल में दाखिल किये गये हैं। हम उनके जल्दी से स्वस्थ हो जाने की कामना करते हैं।

श्री मु० क० चागला बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार हो गये हैं।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस प्रस्ताव पर, कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1915, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये, वाद-विवाद जो 25 नवम्बर, 1965 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर, कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये, वाद विवाद जो 25 नवम्बर, 1965 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मु० क० चागला द्वारा 24 नवम्बर, 1965 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात :—

"कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Mr. Speaker, Sir, the House today is resuming discussion on the Banaras Hindu University (Amendment) Bill. So far as my viewpoint regarding names of educational institutions is concerned, I feel that after independence when we became a secular state, the Government should have enacted legislation in order to change religious or communal names of educational institutions.

While passing the Bill, the Rajya Sabha has removed the word "Hindu" from the name of the Banaras Hindu University. But keeping in view the present situation in the country, I would like to suggest that we should not raise any controversy for dropping the word "Hindu" or "Muslim" from the names of certain educational institutions. An apprehension has cropped up in the minds of the Hindus 'that after removing the word "Hindu" from the name of the Banaras Hindu University, the word Muslim might not be dropped from the name of Aligarh Muslim University.

(श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए।)
(SHRI SHAM LAL SARAF in the Chair)

In the circumstances, the proper course for the Government would be to bring forward a Bill to provide that it will give no financial assistance to those educational institutions which are named or will be named after a particular caste or community. Such a Bill will solve the problem and will not rake-up such a controversy as has arisen now.

The Registrar of the Banaras Hindu University is responsible for the ills of the University. In the interest of the working of the university, he should be removed from his office. Only then the trouble in the University will come to an end

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Sir, the inscription on the foundation stone of the University gave the name of the University as "Kashi Vishwavidalaya" in Sanskrit in Devnagari script and Banaras Hindu University in English. Certain bricks gave the name of the University as "Kashi Hindu Vishwavidyalaya" in abbreviation.

This is a fact that name of the University was 'Kashi Vishwavidyalaya' in Hindi and 'Banaras Hindu University' in English. This is inscriped on the foundation stone and other bricks also, and together with that it has a detailed history also. If you go in the details of the historical records pertaining to the University revealed that the word 'Hindu' has always been there. linked with the name of the University.

This should also be understood that this term Hindi never meant at any time, any religion, caste or a community. It was always a way of life. That is the reason that I am of the opinion that this word 'Hindu' should remain in the name of the University. Hindu means all those who live in Hindusthan irrespective of their caste, creed and religion.

Shri Yashpal Singh (Kairana): I cannot understand why this term Hindu was thought to be removed. As such this term never meant any particular religion or community. This has got a very wide meaning. It only denotes whatever is of this country and stands as a symbol of Indian culture and nationalism. Any person who is born in this vast land of Hindusthan is a Hindu. He may belong to any religion, speak any language

and may have any profession. In fact all Indians are Hindus. Word 'Hindu' is a sign of national designation and a regalia of national honour.

So, I am of the opinion that word Hindu and Muslim should not be removed from the Banaras and Aligarh Universities. Word Hindu is immortal and should not be omitted from the name of the Banaras Hindu University at any cost. No Government can dare change it.

Shri Bal Krishan Singh (Chandauli): Banaras Hindu University has a great contribution to its credit towards the reconstruction of Indian nation. This present Bill is before us due to three reasons. First to implement the recommendations of the Mudaliar Committee. And this is the thing which I very strongly oppose. The Mudaliar Committee has painted a very dark picture of the Banaras Hindu University. I am of the opinion that the report of the Committee have done great injustice to the students of Eastern U.P., who studied in the University.

It was stated in the report that they indulged in indiscipline and could not bear the expenditure of Banaras. They were not able to pay the fee of the University and the Boarding House. That is also true that the fee concessions were given to the students here. But this is done in a number of universities. This is not the special feature of this University alone. I feel that inquiry has played with the sentiments of the poor students of Eastern U.P. This should be noted that the people of Eastern U.P. remained poor, for they participated in the struggle against the British people. But they kept up the flame of their self-respect.

Let me also state that when the Bill came before the Rajya Sabha, there was no agitation. When Rajya Sabha changed the name even then there was no agitation. But the Joint Select Committee gave a good report. Rajya Sabha raised the controversy by changing the name. But nothing should be done which is not liked by the people as a whole. My submission therefore is that the word Hindu should not be omitted from the name of the University. This very word stands as a symbol of the character of this institution.

Shri Sumat Prasad (Muzaffarnagar): Due to the indiscipline of the student community the education has become a subject of great worry. I feel at this moment some ideal should be put forward by the Central Universities. But at the same time we must give due consideration to the sentiments of the people. This is very clear thing that no reform is possible without unless it is in tune with the time.

Today we find that the most of our educational institutions are named after different communities. This is not proper. We shall have to change such names ultimately. But we shall have to proceed in this direction in some proper way. My submission is that some comprehensive Bill should be brought forward in which a provision was to be made that the educational institutions named after communities will not be given any Government aid and assistance.

I am of the opinion that at present name of the Banaras Hindu University should not be changed. It should be retained till such time when the comprehensive Bill comes after the elections. And the problem should be solved in that way.

सभापति महोदय: श्री चटर्जी ।

श्री राधेलाल व्यास : मैं तीन बार उठा हूं परन्तु मुझे समय नहीं दिया गया । इसलिए मैं सभा कक्ष से बाहर जा रहा हूं ।

(इसके पश्चात् श्री राधेलाल व्यास सभाभवन से बाहर चले गये)

(Shri Radhelal Vyas then left the House.)

सभापति महोदय : मैं एक ही दल के व्यक्तियों को बार बार समय नहीं दे सकता ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : किसी विश्वविद्यालय का नाम बदलना बड़ा गम्भीर मामला है। हिन्दू नाम को रखने में कोई साम्प्रदायिक बात नहीं है। यह कहना भी बिल्कुल निराधार है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक साम्प्रदायिक संस्था है। अथवा यह कि, यहां केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मेरा मत यह है कि किसी भी विश्वविद्यालय में तब तक कुछ भी बुराई नहीं जब तक वहां कोई गलत शिक्षा नहीं दी जाती । मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि यह विश्वविद्यालय सच्चे अर्थों में शिक्षा का आदर्श केन्द्र बने। जो भी गलत तथा अवांछनीय प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं वे दूर कर दी जायेंगी। और इस संस्था को तो स्वर्गीय पं० मदन मोहन मालवीय ने स्वयं आरम्भ किया था । यह उनका स्मारक है जिसे हमें कायम रखना चाहिए ।

मेरा सम्बन्ध कलकत्ता और बंगाल से है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल ने जितने धर्म निरपेक्षता के पुजारी, विचारक और क्रांतिकारी पैदा किये वे सब हिन्दू कालिज कलकत्ता के पैदा किये हुए थे। प्रश्न केवल यही होता है कि संस्था में शिक्षा किस प्रकार की होती है। मुझे इस बात का दु:ख है कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को सामान्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं होती। उन से भेदभाव भी किया जाता है। मेरा निवेदन है कि विद्यार्थियों में जो असंतोष है वह देश व्यापी है, अत: उसका अध्ययन भी व्यापक दृष्टि से ही किया जाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि केवल आवेश में आकर ही विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। सारे मामले पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार करना चाहिए और संस्था का पुराना नाम ही कायम रहने देना चाहिए ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : हमें जोश में नहीं आना चाहिए और मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । हमें नाम को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। देखने वाली बात तो यह है कि विश्वविद्यालय का ढांचा कैसा है । मुझे इस बात का हर्ष है कि इस विधेयक द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में संशोधन किया गया है और परिवर्तन करके उसके अन्तर्गत सभी धर्मों की शिक्षा के लिए उपबन्ध कर दिया गया है। मेरी राय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

यह बड़ी विचित्र बात है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय में बहुत ही खराब हालत है जब कि ये दोनों ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और

इन्हें हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं। इन विश्वविद्यालयों की एक विशेषता यह है कि इन को साम्प्रदायिक नाम दिया गया है। अतः उस नाम को हटाया जाना चाहिए। इस सारे विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी संस्था विशेष के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं और यदि उस संस्था पर कोई आघात होता है तो हम पर भी आघात होता है।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : बनारस विश्वविद्यालय अधिनियम 1915 में पारित हुआ था। अब देश की वर्तमान आवश्यकताओं के सन्दर्भ में, इस विधेयक द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का विचार है। परन्तु हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि क्या 'हिन्दू' शब्द को हटाने तथा विश्वविद्यालय के नाम को बदलने के लिए यह उचित समय है। इस समय देश में हर जगह हिंसा की कार्यवाहियां हो रहीं हैं और विद्यार्थियों में अशान्ती चरम सीमा पर है। नाम में परिवर्तन करने के कारण वर्तमान हिंसा, हड़तालें और प्रदर्शन और बढ़ सकते हैं। यह भी मांग है कि 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' नाम यों ही रहने दिया जाय और वह उस समय बदला जाय जब उसके लिए अनुकूल समय हो।

नये खण्ड 7 में उप-कुलपति की नियुक्ति का, जिसकी पदावधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है और जिसकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकेगी, उपबन्ध है, इस नियम का दृढ़ता से पालन भी होना चाहिए। असामान्य परिस्थितियों में इस नियम को ढीला करना उचित होगा। अतः अधिकतम अवधि दस वर्ष निर्धारित की जाय। संकट काल में लागू किये जाने वाले उपबन्ध का मैं समर्थन करता हूं। इससे उप-कुलपति को तुरन्त उचित कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होता है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मैं बनारस गया था और मैंने देखा है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की आधारशिला में 'विश्वविद्यालय" शब्द का कोई जिक्र नहीं है। इसमें काशी विश्वविद्यालय का उल्लेख है। विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन पर इतनी आपत्ति नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हिन्दूत्व धर्म निरपेक्षता का परिचायक है तथा इसने कभी संकीर्णता का परिचय नहीं दिया। इसीलिए हमारा विचार है कि परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि यह अन्तिम परिवर्तन समझा जाना चाहिए तथा भविष्य में नाम सम्बन्धी कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : पिछली बार जो चर्चा हुई थी उसका मैंने अध्ययन किया है और फिर आज उस पर चर्चा शुरू हुई है। मुख्य बात नाम के प्रश्न के सम्बन्ध में है। यही विवाद का विषय बन गई है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं नाम को विशेष महत्व नहीं देता। विश्वविद्यालय में जो कुछ होता है वह नाम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात है। उसकी ओर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। मैं इस बात को पूर्णतः सभा पर ही छोड़ देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का नाम बदला जाय अथवा नहीं।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि सभी साम्प्रदायिक नामों को बदलने में व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का सुझाव रखा गया है। यह बहुत ही अच्छा सुझाव है और सरकार इस पर विचार करेगी। इसके अतिरिक्त उपकुलपति और रजिस्ट्रार को हटाने का भी प्रश्न है। जिस समय यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस समय उपकुलपति के पद पर श्री भगवती कार्य कर रहे थे। उनकी अवधि समाप्त हो रही थी और हम चाहते थे कि कोई नया उप-कुलपति चुन लिया जाय।

हमने एक ऐसे व्यक्ति को नया उप-कुलपति चुना है जो कि बहुत ही विद्वान और योग्य व्यक्ति है। विद्यार्थियों की समस्याओं को जानता है और उनमें लोकप्रिय भी है। डा० सेन पहले जादवपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति रह चुके हैं और वहां उन्होंने अपने कार्य को बहुत ही कुशलतापूर्वक किया था। मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिससे कि उप-कुलपति अपने पूरे कार्य काल अर्थात् 5 वर्ष तक कार्य करता रहे। किन्तु उप-कुलपति को पांच साल से अधिक उसी पद पर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी पद पर लम्बे समय तक रहने से निहित स्वार्थ उत्पन्न होते हैं।

सभापति महोदय : जब खण्डवार विचार किया जायेगा तब माननीय सदस्य इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री मु० क० चागला : जब अध्यादेश पारित किया गया था तब कार्यपालिका समिति का नामनिर्देशन किया गया था और उसके कोई निदेशपद निर्धारित नहीं किये गये थे। अब तक बनारस विश्वविद्यालय एक असाधारण कानून के अन्तर्गत ही कार्य कर रहा है। अब कार्यपालिका परिषद् समाप्त हो जायेगी। अब नया उप-कुलपति नियुक्त किया गया है। यदि उसके विचार में रजिस्ट्रार अच्छा अधिकारी नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये रजिस्ट्रार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। परन्तु हम उनको कानून द्वारा नहीं हटा सकते। ऐसा करना उचित भी नहीं होगा। किसी भी उपकुलपति को पांच वर्ष से अधिक समय तक अपने पद पर बने रहना उचित नहीं है। विद्यार्थी संघ के लिये हमने एक खण्ड प्रस्तुत कर दिया है।

श्री मदन मोहन मालवीय इस विश्वविद्यालय को रिहायशी विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। अब नये नये कालेज स्थापित हो गये हैं। इसलिये प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि क्या बनारस विश्वविद्यालय को इन कालेजों को सम्बद्ध करने वाला विश्वविद्यालय बनाया जाये। मेरा अपना विचार यह है कि इसको एक रिहायशी विश्वविद्यालय ही रहना चाहिए। इसलिये मैं कहूंगा कि इस स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार चर्चा करेंगे। पहले हम खण्ड दो के संशोधन पर विचार करेंगे।

श्री बालकृष्ण सिंह (चन्दौली) : मैं संशोधन संख्या 1 तथा 2 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I may also kindly be allowed to move my amendments.

सभापति महोदय : आपके संशोधन श्री बालकृष्ण सिंह के संशोधनों से मिलते है। अतः आप उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ पांडेय (सलेमपुर) : मैं संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं। मैं संशोधन संख्या 30 भी प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 8 और 9 तथा विधेयक में जहां कहीं भी यह शब्द आये वहां पर "Madan Mohan Malviya Kashi Vishwavidyalaya" ["मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University" ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय"] रख दिये जायें।

सभापति महोदय : श्री मुथिया का संशोधन संख्या 59 और संशोधन संख्या 30 एक से हैं। श्री हरि विष्णु कामत के संशोधन संख्या 57, 58 और 60 प्रस्तुत नहीं किये जा सकते क्योंकि वह इस समय यहां नहीं हैं।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : मैं संशोधन संख्या 87 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 1, 2, 2 9, 30 और 87 प्रस्तुत किये गये। खण्ड दो तथा उक्त संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री मु० क० चागला : वास्तविक मतभेद इस बात पर है कि विश्वविद्यालय का नाम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा जैसा कि राज्य सभा ने पास किया है अर्थात् काशी विश्वविद्यालय रखा जाये।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): In 1904 it was decided in a meeting held under the chairmanship of Shri Prabhu Narain Singh to appoint a committee so that a Hindu University could be established. A report was published by the said committee in July, 1905 and this was circulated to all the leaders irrespective of their religion to know their reaction. On 31st December, 1905 the committee submitted its report. In 1906 a 'Sanatan Dharm Mahasammelan' was held in Allahabad under the Chairmanship of Jagat Guru Shankarcharya. He suggested that it should be Bhartiya University instead of Hindu University. A draft scheme of this University was published on the 12th March, 1906. After various meetings between the various committees set up for the purpose, it was decided to adopt the name 'Hindu University' in 1911.

The word 'Hindu' has always been the part of Banaras Hindu University. This word has also been engraved on the foundation stone and various other stones used in the various buildings. This word does not represent any particular caste and there is nothing communalism in it.

In the Select Committee of the Imperial Legislative Assembly both Hindu and Muslim members were present and they decided to establish the Hindu University. Lord Hardinge also welcomed the establishment of this University as a national institution. So it becomes clear from the history of this University that there is nothing communal in the word Hindu.

It is not proper to change the name of the University by removing the word Hindu as has been recommended by Rajya Sabha. The word 'Hindu' must remain where it is.

Shri Bal Krishan Singh (Chandauli): We should not do anything which may not be acceptable to the society.

I am not in favour of changing the name of this University because the sentiments of the founders are attached with it. It has always been an national institution and there is no communalism in it.

If the word 'Hindu' is removed then I would say that it would harm the integrity of the nation. The whole world will pass its remarks as to why this word 'Hindu' has been removed. I would, therefore, request that the present name may be retained.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): The word 'Hindu' is a very wide term and it includes all the people living in India irrespective of their religion. No particular community is connected with this word and I would say that students belonging to all communities are getting education in that University.

This University has nothing to do with any religion. In Section 7 it is clearly written that this University is meant to promote the study of religion, literature, history, science and art of Vedic, Hindu, Bhuddist, Jain, Islamic, Sikh, Christian, Zorvastian and other civilisations and cultures. This is a cultural definition, so I would say that this University promote the study of all religion. But unfortunately some people gave it a different colour and established Aligarh Muslim University.

Now our Government wants to remove the word Muslim from Aligarh Muslim University therefore they also want to remove the word Hindu from the Banaras Hindu University. But it is wrong.

The name of the University *i.e.* "Kashi Hindu Vishwavidyalaya" is engraved on the marble stone just now my hon. friend gave a photo of it.

**मैं उसको सभा पटल पर रख दूंगा। मुझे ऐसा करने की अनुमति दी जाये।

This word Hindu is engraved only because the founder of the University wanted to give this word a comprehensive meaning. If the comprehensive meaning of the word is accepted then I would say that in no way it harms the spirit of the secularism.

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री उ० मू० त्रिवेदी: यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संबंधी चर्चा के समय को बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : इस चर्चा का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

** अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में आवश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण फोटो सभापटल पर रखा गया नहीं माना गया।

**The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the photo was not treated as laid on the Table.

Shri U. M. Trivedi: Shri Madan Mohan Malvia never derived that his name be attached to this University. A man is remembered by his words and actions and not simply because that his name has been engraved on the stones. The name of Shri Madan Mohan Malvia, founder of this University will be remembered till the existence of this University and so there is no significance in attaching his name with the name of the University. Even so, if his name is to be included, it should be done while retaining the word 'Hindu'.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): As some people have stated this word 'Hindu' can have wide meaning but so far as Banaras Hindu University is concerned it has been used with limited meaning.

Many Congress members such as Shri Raghunath Singh are opposing the change in name just for getting votes in the next general elections. I do not know why a whip has not been issued in this particular case when it is issued in the all cases. I want that such a whip should be issued in this case also whereby they should compell the Congress members to cast their votes in favour of changing the name of the University.

श्री मु० क० चागला : मैं ने अपने रवैये में परिवर्तन नहीं किया है । मेरा सदा वह रवैया रहा है कि इस मामले में सदस्य अपने मत देने में स्वतंत्र हैं । राज्य सभा प्रवर समिति तथा लोक सभा में भी मेरा यही रवैया रहा है । मैं चाहता हुं कि इस बात को अभिलेख पर रखा जाय । मैं सदा इस मामले में निष्पक्ष रहा हूं । इसलिये मेरे प्रति इस मामले में किसी ध्येय का उल्लेख करना माननीय सदस्य क लिये उचित नहीं है ।

Shri Kishen Pattnayak: The hon. Minister has just now stated that he remained neutral and is still neutral in this case. Everybody can cast his vote freely. I would like to say that this problem cannot be solved while remaining neutral. Either he should not have moved or issue a whip compelling the members to cast their votes in favour of it.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : देश के सामने कई समस्याएं हैं इसलिये इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये था यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से 'हिन्दू' शब्द हटाये जाने के विरूद्ध हूं । 'हिन्दू' शब्द का सुझाव डा० एनी बेसेण्ट ने दिया था इसमें साम्प्रदायिकता की कोई भावना नहीं है ।

यदि हमने हिन्दुत्व को धर्म अथवा सम्प्रदाय माना तो यह एक सबसे बड़ा पाप होगा । पहले समय में ऐसा प्रतीत होता है कि अरबों ने सिन्धु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को जो विशेष बातों में विश्वास रखते थे हिन्दू कहना आरम्भ कर दिया । "हिन्दू" शब्द का अर्थ केवल धर्म नहीं है । यह एक भावना है । दूसरे देश हमारा मान इसलिये करते हैं । क्योंकि हम बहुत महान थे । अमरीका केवल 200 वर्ष पुराना है जबकि भारत 2000 वर्ष पुराना है । शंकाराचार्य जो कि दक्षिण में उत्पन्न हुए, ने सारे देश को संगठित कर दिया । हमें हिन्दू शब्द से घृणा नहीं करनी चाहिये । हिन्दू शब्द को इसमें उसी प्रकार रखा जाये जिस प्रकार ऐनी बेसेण्ट इसे चाहती थीं ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I am glad that except Shri Pattnayak, all want that the words "Banaras Hindu University" should be retained. Word "Hindu" is not communal.

When Pandit Madan Mohan Malviya introduced Bill regarding this University, many eminent Indian religious and political leaders were present

there in the Central Assembly and they supported it. Leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Pandit Motilal Nehru supported this name.

Word 'Hindu' does not connote community but connotes humanity.

Communalism will not be removed from India by merely removing the word "Hindu".

I support the amendment that in place of the words 'Madan Mohan Malviya Kashi Vishwavidyalya' the words 'Banaras Hindu University' be substituted.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): It is being stated here that word "Hindu" signifies something very wide. But in the world this word has assumed the name of a particular community and a religion. It has very little relevance to India or its inhabitants.

Shri Raghunath Singh has brought a brick. This is all election **stunt.**

Now the people of Banaras and of the country want that the name of the University be put as "Kashi Vishwavidyalya". But certain hon. Members want to exploit the religious feelings of the people.

When our country is secular, I do not understand why the words "Brahman", "Kayasth", "Hindu" or "Muslim" should be appended to educational institutions. In all the papers of this University its name has been given as "Kashi Vishwavidyalya". Those hon. Members who raise this question are ignorant of the history of this University and about the great work done by Malaviyaji.

The Congress Party should face the communal forces boldly. The uncertain attitude shown by Congress Party on this point has encouraged communal forces who are creating troubles in our universities and colleges.

I will appeal to the hon. Minister, the House and the Congress members not to be swayed by the sentiments but face the communal forces boldly. The name of the University should be put as "Kashi Vishwavidyalya".

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : यदि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से हिन्दू शब्द को हटा दिया जाये अथवा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द हटा दिया जाये तो मेरे विचार में उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा । इसलिये मेरा कहना यह है कि ऐसी छोटी बातों पर हमने बहुत समय नष्ट कर दिया है ।

शब्द हिन्दू किसी जाति या धर्म का चिन्ह नहीं है । यह एक संस्कृति का द्योतक है जो कि सर्वत्र व्यापक है । यदि किसी विश्वविद्यालय के साथ शब्द "हिन्दू" जोड़ दिया जाता है अथवा हटा दिया जाता है तो उससे हिन्दुत्व को कोई घाटा या लाभ नहीं होता ।

मेरे मत में इन नामों को कोई महत्व नहीं देना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : संविधान के अनुच्छेद 246 सातवीं सूची में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया है । इसलिये जब तक हम संविधान का संशोधन इस दिशा में नहीं करते हम इस विधेयक पर विचार नहीं कर सकते ।

सभापति महोदय : सूची 63 में जो उल्लेख है उससे इसके महत्व को समाप्त नहीं किया जा रहा है। इसलिये आप इसे स्पष्ट कीजिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा कहना यह है कि आप नाम ही नहीं बदल सकते जब तक संविधान में संशोधन न किया जाये। मेरा दूसरा कथन यह है कि संविधान ने अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत जो चुनाव आयोग को शक्ति दी है कि वह चुनाव याचिकाओं पर चुनाव न्यायाधिकरण का गठन करके उन पर विचार करवा सके। यह शक्ति उच्च न्यायालय को लोक प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक द्वारा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 324 का संशोधन नहीं होता। मेरी यह बात अध्यक्ष महोदय ने भी मान ली है।

श्री त्यागी (देहरादून) : संविधान में लिखने का अभिप्राय तो केवल यह है कि वह संस्था उन नामों से जानी जाती थी। संविधान में यह नहीं लिखा कि इनके नाम सदा के लिये यही रहेंगे। यदि उन्हें बदल भी दिया जाये तो वह संविधान के विरुद्ध नहीं होगा परन्तु उन्हें बदलने में कोई अच्छी बात भी नहीं होगी।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 368 की ओर खींचता हूं। उसके अनुसार कुछ संशोधन सामान्य बहुमत से हो जाते हैं तथा कुछ विशेष बहुमत से होते हैं। क्या आप संविधान की सातवीं सूची में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो श्री कामत के कहने में कुछ शक्ति है।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : मैं श्री कामत का समर्थन इस बात में नहीं कर सकता। यदि कल हम "सुप्रीम कोर्ट" के स्थान पर "सर्वोच्च न्यायालय" कहना प्रारम्भ कर दें तो क्या इससे उस संस्था में कुछ अन्तर पड़ जायेगा? हम सूची में कुछ जोड़ नहीं रहे हैं और न ही कुछ हटा रहे हैं। इसलिये इस प्रकार के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : जो बात श्री कामत ने उठाई है वह उचित है। इसमें बहुत स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

इसलिये जब अनुच्छेद 368 में सातवीं सूची के बारे में विशेष जिक्र किया गया है तो उसके संशोधन के लिये विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : मैं अपने मित्र द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का विरोध करता हूं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(MR. SPEAKER *in the Chair*)

यह संविधान का संशोधन नहीं है। इसलिये इसे अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : संविधान में स्वयं इन नामों के आगे चल कर परिवर्तन के बारे में अन्दाज़ा लगाया गया था। इसीलिये उन्होंने शब्द "संविधान के आरम्भ में" लगाये थे बाद में इन संस्थाओं के और नाम हो सकते हैं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूं क्योंकि यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो अर्थ को बदले बिना संविधान को बदलते रहेंगे।

श्री मु० क० च.गला : महोदय संविधान के अनुच्छेद 246 में लिखा है कि संसद् को केन्द्रीय सूची में अर्थात सातवीं अनुसूची की सूची 1 में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है ।

"संविधान के आरम्भ में" लगाये गये शब्दों को बहुत महत्व है । संविधान में लिखा है कि राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के बारे में संसद् को कानून बनाने का अधिकार है । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें हैं । यदि संविधान में संशोधन की बात हो तो अनुच्छेद 368 लागू होगा । परन्तु क्या हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं ? क्या संविधान में यह विचार था कि यह नाम नहीं बदले जायेंगे ? मेरा उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है । इन संस्थाओं का नाम देना ही था । इस विधेयक से उस सूची में कोई नई बात नहीं जोड़ी जा रही है और न ही हटाई जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत हम जहां तक प्रविष्टि का सम्बन्ध है कानून बना सकते हैं । यदि विधेयक में यह कहा जाता कि प्रविष्टि 63 में जो नाम हैं उन्हें परिवर्तन कर दिया जाये तो संविधान में संशोधन करना होता । हम तो उन संस्थाओं के बारे में कानून बना रहे हैं जो राष्ट्रीय महत्व की हैं । नामों के बदलने से वह प्रविष्टि नहीं बदल जायेगी । इसलिये मेरे विचार में अनुच्छेद 368 यहां लागू नहीं होता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे दिया है । अब मैं उसके गुण दोषों पर बोल रहा हूं । अब प्रश्न यह रह जाता है कि उस महान व्यक्ति की याद को हम कैसे ताजा रख सकते हैं ? दूसरी बात यह है कि साम्प्रदायिक क्या है तथा धर्म निरपेक्ष क्या है ? यह यादगार लोगों के मन में होनी चाहिये । इसके लिये ईंटों और पत्थरों की इतनी आवश्यकता नहीं है । पं० मदन मोहन मालवीय के लिये मेरे हृदय में इतनी श्रद्धा है जितनी और किसी के हृदय में है । क्या उनके नाम के किसी भाग को हटा देने से कोई साम्प्रदायिक अथवा धर्म निरपेक्ष नहीं बन जाता । क्या बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से "हिन्दू" शब्द हटाने अथवा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से "मुस्लिम" शब्द हटाने से वे धर्म निरपेक्ष बन जाती हैं ? मुझे ऐसा होने में सन्देह है । केवल कलम से लिखने से यह कार्य नहीं हो सकेगा । हमारा देश एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है और हमें सही माने में धर्म निरपेक्ष राज्य के सिद्धान्त पर चलना चाहिए ।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ऐसा उपबन्ध है जिसके द्वारा हमारे देश को "इण्डिया" अर्थात् भारत कहा जाता है । इसी प्रकार मध्य मार्ग के रूप में हम इस विश्वविद्यालय को "काशी विश्वविद्यालय" अर्थात "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय" कह सकते हैं अत: मैं यह अपने संशोधन संख्या 57 और 60 प्रस्तुत करता हूं जिनके अनुसार विधेयक के पृष्ठ 2 पंक्ति 11 में "काशी विश्वविद्यालय" के स्थान पर "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अर्थात काशी विश्वविद्यालय रखा जाये ।" जहां तक "हिन्दू" शब्द का सम्बन्ध है, वह किसी प्रकार भी साम्प्रदायिक नहीं है, 'रिसर्च स्कालरों' के अनुसार सर्वप्रथम "हिन्दू" शब्द का प्रयोग सिकन्दर महान ने किया था । उसके अनुसार सिन्ध नदी के इस पार रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है । अत: यह शब्द न तो साम्प्रदायिकता का द्योतक है और न ही धार्मिक भावना की ओर संकेत करता है । 'मुस्लिम' और 'सिख' शब्दों की भांति 'हिन्दू' शब्द में भी कोई बुराई नहीं है ।

श्री मुहम्मद कोया (कोजीकोड) : मुझे इस संशोधन का जिसमें मूल नाम अर्थात बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को कायम रखने की व्यवस्था है समर्थन करने में बहुत खुशी है । 'हिन्दू'

शब्द कायम रखने में कोई साम्प्रदायिकता नहीं है। केवल हमारी भारतीय संस्कृति का ही नहीं अपितु हमारे संविधान तक का आधार विविधता में एकता है । इसलिए यदि विश्वविद्यालय के विद्यमान नाम अर्थात 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' को यूं ही रहने दिया जाये तो हमारे देश के धर्म निर्पेक्ष स्वरूप में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी ।

Shri Sheo Narayan (Bansi): Sir, the name of the Banaras Hindu University was selected by no less a personality than Dr. Annie Besant who had nothing to do with communalism. If Pandit Madan Mohan Malviya was living at the present moment, he would not at all have supported any change in this name. The word 'Hindu' attached to this institution does not at all smack of communalism. Admissions and appointments are not made on communal lines there.

The majority of the Members of the Joint Committee are also in favour of the existing name being retained. It is desirable to follow the democratic procedure of honouring the wish of the majority.

Shri Radhe Lal Vyas (Ujjain): Mr. Speaker, Sir, there has always been a controversy over the name of this University. But when we go into the history of this University, we find that when the legislation for the establishment of this institution was enacted, its three characteristics were that there would be Hindu members only in the court, that teaching of Hindu culture would be compulsory in the University and that the University would be run by public contribution and not through Government assistance. The factual position at present is that all these three characteristics have vanished and only the original name is left. Now it is only an Indian University. It will not lead us anywhere to change the name.

It is not a correct policy to have different legislation for different universities. There must be a uniform and comprehensive law for all the universities in the country.

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : वास्तव में यह एक विचित्र किस्म का विधेयक है । शिक्षा मंत्री श्री मु० क० चागला ने संयुक्त समिति में इस विधेयक के सम्बन्ध में कई संशोधन अपनी इच्छा के विरुद्ध भी स्वीकृत किये । वास्तव में यह सम्पूर्ण चर्चा सत्तारूढ़ दल तथा सरकार की कमजोर, डरपोक, लज्जाशील नीति के परिणामस्वरूप हुई है । जब राज्य-सभा में, जहां कांग्रेस का बहुमत है, यह संशोधन स्वीकृत हो चुका है, तो फिर लोक-सभा में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है ? सत्ताधारी दल को अपने सदस्यों को आदेश देना चाहिए था कि यदि वे धर्मनिर्पेक्षवाद में विश्वास करते हैं, तो वे ऐसे साम्प्रदायिक नामों का त्याग कर दें । शिक्षा मंत्री के इस आश्वासन ने और भी भ्रान्ति पैदा कर दी है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधान लाते समय वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का विधान भी साथ-साथ लायेंगे । किन्तु ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता ।

धर्मनिर्पेक्षवाद में विश्वास रखने वाले कांग्रेसी सदस्यों को स्पष्टरूप से यह आदेश दिया जाना चाहिए कि प्रस्तुत संशोधन को राज्य-सभा की भांति स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : किसी विश्वविद्यालय का नाम किसी समुदाय अथवा व्यक्ति विशेष से, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, जोड़ना अनुचित है। यह सिद्धान्त रूप से गलत है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से "मुस्लिम" शब्द को हटाने का प्रस्ताव उस समय भी रखा था और उस संस्था के नाम पर इस शब्द को जोड़ने का विरोध किया था जब कि इस सभा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। इसी प्रकार अब मैं इस विश्वविद्यालय के नाम पर लगा हुआ शब्द "हिन्दू" का विरोध करता हूं। इसलिए इसे केवल "बनारस विश्वविद्यालय" के नाम से पुकारा जाये।

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिकता की भावना पैदा करने वाली संस्थाओं को जन्म नहीं दिया जाना चाहिए। नाम का कुछ महत्व अवश्य होता है। यह सच है कि अलीगढ़ और बनारस के विश्वविद्यालयों ने देश में साम्प्रदायिकता के विचारों को बढ़ाने में योगदान दिया है।

हमें देश के भविष्य को, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और जो सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता पर निर्भर रहता है, ध्यान में रखना है और शिक्षा सम्बन्धी नीति को राष्ट्रहित की दृष्टि से निर्धारित करना चाहिए।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Sir, the basis of our Indian culture is unity in diversity. It is the conspiracy of a few persons to change nomenclature of the Banaras and Aligarh Universities. Such a change of names is neither going to promote secularism nor unity. In fact, true secularism consists in having unity in diversity. Therefore, the word "Hindu" should not be omitted from the name of the Banaras Hindu University.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Sir, so long as the words 'Hindu' or "Muslim" remain attached to the institutions, they will certainly smack of communalism. The factual position at present is that a Hindu generally thinks that the Banaras University is for him while a Muslim considers the Aligarh University for himself. The admissions and appointments are also made on communal lines. The word 'Hindu' is as communal as "Muslim". Therefore the words 'Hindu' and 'Muslim' must be removed from the nomenclature of these Universities.

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded): Mr. Speaker, Sir, the word 'Hindu' should be dropped from the name of the Banaras Hindu University. In the creation of a new socialist society, there should be no room for names of institutions which denote a sense of a community in a narrow meaning. Things of religion should be limited to the places of worship only and we should not attach any such name to an institution as smacks of communalism.

श्री मु० क० चागला : इसमें कोई सन्देह नहीं कि साम्प्रदायिकता लोगों के मस्तिष्क में रहती है। साम्प्रदायिकता तथा धर्मनिर्पेक्षता, दिल और दिमाग पर निर्भर करती है। कुछ व्यक्ति एवं संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जो अपने को राष्ट्रीय बताएं किन्तु उनके व्यवहार में अत्यधिक साम्प्रदायिकता प्रकट होती है।

जहां तक 'हिन्दू' शब्द का सम्बन्ध है, इसका अर्थ राष्ट्रीयता के रूप में अर्थात् हिन्दुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है, नहीं लगाया जाता। यह कहा गया है कि 'हिन्दू' शब्द में कोई साम्प्रदायिकता नहीं है। फिर भी हमें यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि 'हिन्दू' तथा 'मुस्लिम'

शब्दों में जातिबोध का अर्थ समाविष्ट है। इस समय प्रश्न यह है कि क्या हमें शिक्षा-संस्थाओं के नामों से जातिबोधक नामों को हटाना चाहिए अथवा नहीं।

श्री बाकर अली मिर्जा के इस विचार से मैं सहमत हूं कि किसी सीमा तक जातिबोधक नाम में किसी संस्था को एक विशेष स्वरूप देने की प्रवृत्ति हो सकती है। किन्तु यह सब उस संस्था के नेतृत्व पर निर्भर है। जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, उनका नेतृत्व केन्द्र में निहित है। यदि हम अपनी संस्थाओं को राष्ट्रीय, अखिल भारतीय, धर्मनिरपेक्ष तरीके से ढाल दें, तो वे ऐसी बन सकती हैं, परन्तु यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे सरकार पूर्णतः सदस्यों की इच्छा पर छोड़ती है।

जहां तक देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक व्यापक तथा एक समान विधान लाने का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार को उन सब के लिए विधान बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। केन्द्र केवल चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में ही ऐसा कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 30 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 8 और 9 तथा विधेयक में जहां कहीं यह शब्द आयें वहां पर "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya" ["मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय"] के स्थान पर "Banaras Hindu University" ["बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय"] रख दिये जायें। (30)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2, संशोधित रूप में, सभा में मतदान के लिये रखता हूं। अन्य संशोधन अवरुद्ध हैं।

श्री मु० क० चागला : इस खण्ड को प्रस्तुत करने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधन संख्या 30 को स्वीकार कर लेने से खण्ड 2 को हटाया जाना चाहिये क्योंकि खण्ड 2 नाम बदलने के लिये ही था।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि अब दोनों सभाओं में मतभेद हो गया है इसलिये संविधान के अनुच्छेद 108 के अन्तर्गत संयुक्त सत्र बुलाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या खण्ड 2 हटाया जायेगा ?

श्री **मु० क० चागला** : अब खण्ड 2 को विधेयक में रखना अनावश्यक है।

श्री शिंकरे : यह स्पष्ट ही है कि सरकार इस विधेयक को जल्दी-जल्दी पास करना चाहती है।

श्री प्रिय गुप्त : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है तथा इसको इस तरह से पास नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने" ।

श्री भक्त दर्शन : खण्ड 3 का सरकारी संशोधन संख्या 42 है ।

श्री बाल कृष्ण सिंह : खण्ड 3 का मेरा संशोधन संख्या 3 है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अब अवरुद्ध है । इस सम्बन्ध में सरकारी संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत किया जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 3, पंक्ति 3 में—

"1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये । (42)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 3 में "1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये । (42)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 4 पर विचार करेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : इस खण्ड के बारे में दिया गया संशोधन भी निरर्थक है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

Clause 5

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 5 लेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : तीन संशोधन संख्या 43, 44 और 45 हैं ।

श्री मु० क० चागला : सभा के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि मूल नाम ही रहना चाहिये, इस खण्ड को हटाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

खण्ड 6

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

श्री बाकर अली मिर्जा : मैं अपना संशोधन संख्या 88 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मु० क० चागला : मैं इसका विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 88 मतदान के लिये रखा गया । तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 88 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

श्री रघुनाथ सिंह : मैं संशोधन संख्या 92 प्रस्तुत करता हूं ।

I want that a dean should be selected by rotation from amongst the professors. I hope the hon. Minister will have no objection to it.

Shri M. C. Chagla: I am sorry I have objection to it. It will affect the whole scheme that we have laid down. The scheme is that a dean should be selected by rotation from the Heads of Departments. Hence I oppose the amendment.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 92 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 92 was put and negatived.

श्री बाकर अली मिर्जा : मैं अपना संशोधन संख्या 89 प्रस्तुत करता हूं ।

मेरे विचार से आवश्यकता पड़ने पर नई समिति बनाने की शक्ति भी प्रदान की जानी चाहिये ।

श्री मु० क० चागला : योजना यह है कि तीन सदस्यों की तालिका उप-कुलपति की सिफारिश करेगी और यदि 'विजेटर' को नाम स्वीकार्य न हों तो वह समिति को और नाम भेजने के लिये कहेगा । यदि श्री मिर्जा के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो इसका अर्थ होगा देरी ।

श्री बाकर अली मिर्जा: आन्ध्र विश्वविद्यालय में उन्होंने नये नाम भेजने से इंकार कर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 89 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 89 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10, 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 10, 11 and 12 were added to the Bill.

खंड 13

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 13 का भी एक संशोधन है ।

श्री बालकृष्ण सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

The right to take disciplinary action should not be snatched by the Academic Council.

श्री मु० क० चागला : मुझे अफसोस है मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 12 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 14 and 15 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 16 का भी एक संशोधन है ।

श्री भक्त दर्शन : सरकारी संशोधन संख्या 46 है । परन्तु मैं यह एक निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें एक शुद्धि की जायेगी । पंक्ति "38" के स्थान पर पंक्ति "33" होनी चाहिये ।

संशोधन किया गया ।

Amendment made

पृष्ठ 11 पंक्ति 33 में—

"1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये । (46)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 16, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

खंड 17

Clause 17

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 17 के भी कुछ संशोधन हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 12 पंक्ति 13 में—

"1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये । (47)

श्री बाल कृष्ण सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं ।

This amendment is very important. There was a provision from the very beginning in the Banaras Hindu University Act then all the colleges within the radius of fifteen miles from Vishwanath Temple, which is in the University, could be affiliated to the Banaras University. That provision is there but the restriction that hereafter University will not be permitted to affiliate any college should not be there. It will affect the Eastern U.P. to a great extent. Hence the old provision should remain and this restriction should be removed.

श्री मु० क० चागला : यदि हम मूल अधिनियम को देखें कि इस विश्वविद्यालय को अधिष्ठापक इस विश्वविद्यालय को कैसे रखना चाहते थे तो हमें पता चलेगा कि वह इसे कभी एफिलिएटेड विश्वविद्यालय नहीं बनाना चाहते थे । मैं ने बड़े संकोच के साथ यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान कालेज एफिलिएट रहें । यदि हम भविष्य में इस विश्वविद्यालय को नये कालेज एफिलिएट करने की अनुमति दे देते हैं तो इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का ध्येय ही पूरा नहीं होगा । अत: मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता । मुझे आशा है कि सभा इसका विरोधी करेगी ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 13 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 12 पंक्ति 13 में "1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये । (47)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

संख्या 18 और 19 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 18 and 19 were added to the Bill.

खंड 20

श्री भक्त दर्शन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 14 पंक्ति 24 में "1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये । (48)

श्री बाकर अली मिर्जा : मैं अपना संशोधन संख्या 90 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं हाई स्कूलों को विश्वविद्यालय के क्षेत्र से निकालना चाहता हूं ।

श्री मु० क० चागला : एक हाई स्कूल केवल ऐतिहासिक कारणों से एफिलिएट है। इसलिये उसका रहना अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 90 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 90 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 14 पंक्ति 24 में "1965" के स्थान पर "1966" रखा जाये। (48)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 20, as amended, was added to the Bill.

खंड 21 से 24 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 21 to 24 were added to the Bill.

खंड 25—(संक्रमणकालीन उपबन्ध)

श्री भक्त दर्शन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 18 पंक्ति 18 और 19 में से "Vice-Chancellor" ("उपकुलपति")

शब्द हटा दिया जाये। (49)

श्री मु० क० चागला : जब इस विधेयक को राज्य सभा ने पास किया था तो उस समय श्री भागवती उप-कुलपति थे। श्री भागवती की पदावधि समाप्त होने वाली थी। अब नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम ने डा० सेन को उप-कुलपति चुन लिया है जो बहुत ही अच्छे उप-कुलपति हैं। इसलिये यदि हम उप-खण्ड 2 लागू करते हैं तो उनका पद समाप्त हो जायेगा।

हम ने वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत उप-कुलपति को छः वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया है तथा उप-खण्ड (4) के अनुसार उप-खण्ड (2) से "उप-कुलपति" शब्द निकाल देने से वह छः वर्ष की अवधि तक उप-कुलपति बने रहेंगे। इससे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का हित भी बना रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 13 पंक्ति 18 और 19 में से "Vice-Chancellor" ("उप-कुलपति")

शब्द हटा दिया जाये। (49)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 25, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

अनुसूची

Shri Bal Krishna Singh: I hope that Shri Chagla would accept my amendment No. 14.

Now I would like to say something about amendment No. 15. I want to submit that the right to take disciplinary action against the fourth class employee should be given to the Vice-Chancellor instead of to the Registrar. because such employees are there in every faculty. I have given this suggestion as it is the Vice-Chancellor who controls the whole University.

As far as amendment 16 is concerned, the very aim of this amendment is that there will be no need to make an appeal on the orders of the Registrar.

श्री बाकर अली मिर्जा : मैं अपना संशोधन संख्या 91 प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के अभाव के कारण मैं सभा को स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 16 नवम्बर, 1966 / 25 कार्तिक, 1888 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 16th November, 1966/Kartika 25, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS III—2356 (Ai)LSD—13-5-67—600.